लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

[खण्ड 29 में अंक 51 से 62 तक हैं
Vol. XXIX contains Nos. 51 to 62]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi[English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 56 —गुरुवार, 8 मई, 1969/18 वैशाख, 1891 (शक)
No.—56 Thrusday, May 8, 1969/Vaisakha 18, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या	विषय / Subject	पृष्ठ / Pages
1561.	फिल्म सेंसर बोर्ड में तथाकथित भ्रष्टाचार / Alleged corruption in Board of Film Censors	1—4
1562.	चन्दा समिति का प्रतिवेदन / Chanda Committee Report	4—8
1563.	गाँवों में बेरोज़गारी / Rural Unemployment	8—12
1564.	पंचायती राज व्यवस्था / Panchayati Raj System	12—14
1565.	हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड / Hindustan Teleprinter Ltd.	15—17

अल्पसूचना प्रश्न — SHORT NOTICE QUESTION

22.	मुस्लिम पत्रकारों का संघ / Association of Muslim Journalists	17—23

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तारां० प्रश्न संख्या

1566.	भूमिहीन श्रमिकों की प्रतिव्यक्ति आय / Per capita income of landless Labour	23—24
1567.	उर्वरकों उद्योग सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन / Report of the Study Group on Fertilizer Industry	24
1568.	आकाशवाणी से खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में समाचारों का प्रसारण / Broadcast of news about Khan Abdul Ghaffar Khan by AIR	24—25

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1569. एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग की दूर संचार सम्बन्धी उप-समिति की बैंकाक में हुई बैठक	Meeting of Telecommunication Sub-committee of ECAFE held in Bangkok	25
1570. ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज	Trunk automatic Exchanges	25—26
1571. दिल्ली में सरकारी बेकरियों द्वारा डबल रोटी का उत्पादन	Bread production by Government Bakeries in Delhi	26—27
1572. कांडला उर्वरक परियोजना	Kandla Fertilizer Project	27
1573. अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनर्विलोकन समिति का प्रतिवेदन	Report of All India Rural Credit Review Committee	27
1574. मध्य प्रदेश में चावल मिल	Rice Mills in Madhya Pradesh	28
1575. सिंचाई प्रयोजनों के लिए आयातित चादरों का कोटा	Quota of imported sheets for irrigation purposes	28
1576. टेलीफोन बॉंड योजना	Telephone Bonds Scheme	28—29
1577. पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों का दिल्ली में पहुंचना	Arrival of Refugees from East Pakistan in Delhi	29
1578. उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल संसाधनों का सर्वेक्षण	Survey of Underground Water Resources in Uttar Pradesh	29—31
1579. सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की बहाली	Reinstatement of employees who participated in September, 1968 strike	31
1580. छोटे किसानों के विकास के लिए एजेंसी	Development Agencies for small Farmers	31—32
1581. कलकत्ता में राष्ट्रीय प्रचार संस्था (फोरम) का बनाया जाना	Formation of a National Publicity Forum in Calcutta	32
1582. कुछ राज्यों में सामुदायिक विभाग का समाप्त किया जाना	Abolition of Community Development Department in certain States	32—33

अता० प्र० संख्या U. S. O. Nos.	विषय Subject	पृष्ट Pages
1583. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों को नौकरी	Employment of Ex-trainees of industrial training Institutes	33
1584. आसाम में चावल मिलें	Rice Mills in Assam	33—34
1585. उर्वरकों पर प्रशासन खर्च लगाना	Administrative Charges on Fertilizers	34
1586. काश्मीर में विस्थापित सम्पत्ति पर स्वामित्व अधिकार	Proprietory Rights over Evacuee property in Kashmir	34—35
1587. खाद्यान्नों पर उपकर	Levy on Foodgrains	35
1588. लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना की बकाया राशि	Arrears of Employees Provident Fund and Employees State Insurance Scheme outstanding against Lakshmiratan Cotton Mills, Kanpur	35—36
1589. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, की निर्यात से आय	Export earnings of Indian Telephone Industries Ltd.	36
1590. मैसूर में चीनी बनाने के लिए लाइसेंस	Licences for manufacture of Sugar in Mysore	36—37
अतारांकित प्रश्न संख्या **U. S. Q. Nos.**		
8826. भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय	Food Corporation of India Offices	37
8827. भारतीय श्रम प्रबन्ध अध्ययन संस्था, नई दिल्ली	Indian Institute of Labour Management Studies, New Delhi	37—38
8828. भारतीय श्रम प्रबन्ध अध्ययन संस्था, नई दिल्ली में भाषण	Lectures at the Indian Institute of Labour Management Studies, New Delhi	38—39
8829. पाकिस्तान के साथ फिल्मों का आदान-प्रदान	Exchange of Films with Pakistan	39
8830. पश्चिम बंगाल में विदेशी चलचित्रों पर प्रतिबन्ध	Foreign Films Banned in West Bengal	39
8831. पश्चिम बंगाल में सिंचाई योजनायें	Irrigation Schemes in West Bengal	39—40

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
8832. गुजरात में फलों की खेती	Fruit Cultivation in Gujarat	40
8833. नलकूप लगाने के लिए राजस्थान को वित्तीय सहायता	Financial Assistance in Rajasthan for Constructing Tube-wells	40—41
8834. पटसन उद्योग के कर्मचारियों को हटाना	Displacement of workers in Jute Industry	41
8835. पटसन उद्योग में श्रमिकों की हड़ताल	Strike by Workers in Jute Industry	41
8836. उड़ीसा में भू-जलीय सर्वेक्षण	Geo-Hydrological Survey in Orissa	41—42
8837. बाजरा, गेहूँ तथा कपास का उत्पादन	Production of Bajra, Wheat and Cotton	42—43
8838. दिल्ली में राशन कार्ड वालों को गेहूँ की सप्लाई	Wheat Supply to Ration Card holders in Delhi	43
8839. आकाशवाणी, दिल्ली का संगीत जांच मंडल	Music Audition Board of AIR Delhi	43—44
8840. आकाशवाणी, दिल्ली का संगीत जांच मंडल (म्यूजिक आडिशन बोर्ड)	Music Audition Board of AIR Delhi	44—45
8841. आकाशवाणी के दिल्ली और बम्बई केन्द्रों के उच्च स्टाफ आर्टिस्ट	Top staff Artistes of AIR Delhi and Bombay	45
8842. अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता	Per capita Availability of Foodgrains	46
8843. आकाशवाणी के लिए टेप-रिकार्डों का आयात	Import of Tape Recorders for AIR	46
8844. सेंसर की गई फिल्में	Films censored	46—47
8845. गोआ में लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क खानों के कर्मचारी	Workers in the Iron Ore and Manganese ore mines in Goa	47
8846. गोआ, मैसूर और महाराष्ट्र के बांस के बागों में 'पिजरूक्की' रोग	Pizrukky Disease in the Bamboo Plantations of Goa, Mysore and Maharashtra	48

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
8847. सैंट्रल एक्सचेंज नई दिल्ली की हड़ताल में भाग लेने वाली महिला टेलीफोन आपरेटरों को नौकरी से हटाना	Discharge of Lady Telephone operators in Central Exchange, New Delhi who participitated in strike	48
8848. सूरतगढ़ यंत्रीकृत फार्म	Mechanised Farms of Suratgarh	48—49
8849. नर्मदा बेसिन में फसलों की सघनता को बढ़ाना	Increase of crop intensity in Narmada Basin	50
8850. रूमानिया से ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractor from Rumania	50
8851. फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति	Release of certain Films	51
8852. हिन्दी तथा मराठी फिल्मों पर प्रतिबन्ध	Banning of Hindi and Marathi Films	51
8853. विदेशी फिल्मों का आयात	Import of Foreign Films	51
8854. आकाशवाणी में स्टाफ गाड़ियां	Staff Cars in AIR	52
8855. हिन्दी अनाउन्सरों का चयन	Selection of Hindi Annoucers	52—53
8856. टेलीफोन बिलों की अदायगी	Payment of Telephone Bills	53—54
8857. दिल्ली टेलीफोन जिले में टेलीफोन उप-निरीक्षकों तथा लाइनमैनों के पद	Posts of telephone sub-inspectors and linemen in Delhi Telephone District	54
8858. गौ वध	Slaughtering of cows	54
8859. खाद्य तथा कृषि सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय परिसंवाद तथा विचार गोष्ठियाँ	International Symposia and seminars of food and agriculture	55
8860. लक्कदीव द्वीपसमूह में पब्लो नावों की मरम्मत के लिए वर्कशाप	Workshops for repairing pablo boats in Laccadive Islands	55
8861. खाद्य तथा कृषि संगठन के सहयोग से माँस तैयार करने का कारखाना	Meat processing factory with collaboration of FAO	56
8862. मंत्रालय में कर्मचारी	Employees in the Ministry	56

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
8863. दिल्ली दुग्ध योजना में कर्मचारी	Staff in Delhi Milk Scheme	56
8864. दिल्ली दुग्ध योजना के लिए दुग्ध चूर्ण की खरीद	Procurement of milk powder for Delhi Milk Scheme	57
8865. दिल्ली में इंजीनियरों का पंजीयन	Registration of Engineers in Delhi	57
8866. डाक विभाग के प्रपत्रों की प्रादेशिक भाषाओं में छपाई	Printing of postal forms in Regional languages	57—58
8867. राजस्थान में कुओं से पानी निकालने के लिए राज सहायता	Subsidy for drawing water from wells in Rajasthan	58
8868. जम्मू में बसे हुए शरणार्थियों की समस्यायें	Problems of Refugees settled in Jammu	58—59
8869. जन प्रचार माध्यम सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति	Expert Committee on Mass Media	59
8870. पन्ना (मध्य प्रदेश) में पशु चिकित्सा औषधालय	Veterinary Dispensary in Panna (M. P)	59—60
8871. इन्दौर से कवियों के कार्यक्रम का प्रसारण	Broadcast of poets programme from Indore	60
8872. मध्य प्रदेश को पशुपालन आदि के लिए सहायता	Assistance for Animal Husbandry etc. to Madhya Pradesh	60
8873. मध्य प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्र	Drought affected areas in Madhya Pradesh	60—61
8774. टेलीविजन के लिए कर्मचारी	Staff for Television	61
8875. टेलीविजन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	Television Training courses	61
8876. दिल्ली में प्रसारण प्रयोजनों के लिए ओ० बी० मोटर-गाड़ी	O. B. Van for Broadcasting purposes in Delhi	61—62
8877. मार्डन बेकरी लिमिटेड द्वारा बिक्री एजेन्टों की नियुक्ति	Appointment of selling agents by Modern Bakeries, Ltd.	62
8878. श्री गंगानगर, राजस्थान के लिए ट्रांसमीटर	Transmitter for Sriganga Nagar (Rajasthan)	62

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
8879. आदिम जातीय इलाकों के लिए कार्यक्रमों का प्रचार	Publicity about Programmes for Tribal Regions	63—64
8880. भारत में टेलीफोनों के लिए प्रतीक्षा सूचों	Waiting List for Telephone connections in India	64
8881. दूर संचार सेवाओं का विस्तार	Expansion of Telecommunications Services	64
8882. सरकारी दुग्ध योजनाओं का मूल्यांकन	Evaluation of Government Milk Schemes	65
8883. उत्तर प्रदेश में कृषि परियोजनाओं के लिए सहायता	Aid for Agricultural projects in U. P.	65
8885. बसुमती (प्राइवेट) लिमिटेड कलकत्ता को अखबारी कागज का आवंटन	Allotment of Newsprint to Basumati (P) Limited, Calcutta	65—67
8886. बसुमती (प्राइवेट) लिमिटेड, के विरुद्ध केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जांच	CBI enquiry against Basumati (P) Ltd.	67
8887. परती भूमि को कृषि योग्य बनाना	Reclamation of uncultivated land	67—68
8888. 'कृषि क्रांति' कार्यक्रम के लिए एकल प्रशासन	Single Administration for Green Revolution Programme	68
8889. औद्योगिक उपक्रमों द्वारा बोनस का भुगतान	Payment of Bonus by Industrial Undertakings	68
8890. विदेशों में भारतीय मोरों की मांग	Demand of Indian Peacocks in Foreign countries	69
8891. हड़ताल में भाग लेने के कारण पश्चिम बंगाल में रेलवे मेल सेवा के कर्मचारियों के समयोपरिभत्ते में कटौती	Deduction of Overtime Allowance of RMS Officials in West Bengal for participation in Strike	69
8892. राष्ट्रीय बीज निगम में प्रतिनियुक्ति पर अनूसूचित आदिम जातियों के अधिकार	Scheduled Castes Officers on Deputation in National Seeds Corporation	70
8893. तांबे के तारों की चोरी	Theft of copper wire	70

अतां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
8894. मध्यप्रदेश के पश्चिम निमाड़ जिले में तार घर	Telegraph offices in District West Nimar (M. P.)	70—71
8895. ग्रामों में तारों का वितरण	Delivery of Telegraphs in villages	71—72
8896. चरखी दादरी (हरयाणा) और दिल्ली के बीच सीधा टेलीफोन सम्पर्क	Direct telephone link between Charkhi Dadri (Haryana) and Delhi	72
8897. खेतिहर मजदूर	Agricultural Labour	72
8898. मध्य प्रदेश में कृषि अनुसंधान संस्था	Agricultural Research Institutes in Madhya Pradesh	72—73
8899. सवाई माधोपुर (राजस्थान) में आखेट निषिद्ध क्षेत्र	Sanctuary at Swai Madhopur (Rajasthan)	73
8900. सब्जी मंडी में कर्मचारियों की सेवा की शर्तें	Service conditions of Workers in Subzi-mandi Delhi	73—74
8901. केन्द्रीय भविष्य निधि संगठन का सतर्कता अनुभाग	Vigilance Section of Central Provident Fund Organisation	74
8902. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पदोन्नतियां	Promotion in Employees' Provident Fund Organisation	74
8903. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	Employees' Provident Fund Organisation	75
8904. आलू और गन्ने के मूल्यों में गिरावट	Fall in prices of potatoes and Sugar-cane	75
8905. हसनपुर चीनी मिल द्वारा गन्ने के मूल्य का भुगतान	Payment of Sugarcane price by Hasanpur Sugar Factory	75—76
8906. कृषि में परमाणु विज्ञान सम्बन्धी जानकारी का उपयोग	Application of Nuclear Scientific know how in Agriculture	76
8907. बिहार की ग्राम पंचायतों में डाक घर	Post offices in Gram Panchayats of Bihar	76—77
8908. मदुरै (तमिलनाड)में आकाशवाणी केन्द्र	AIR Station for Madurai (Tamil Nadu)	77
8909. कोसी नदी क्षेत्र का सर्वेक्षण	Survey of Kosi Command Area	77—78

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
8910. पुरी-हैदराबाद एक्सप्रैस में छंटनी अनुभाग का खोला जाना	Opening of a sorting section in Puri Hyderabad Express	78
8911. उड़ीसा में डाक तार कर्मचारियों को तूफान सहायता ऋण	Cyclone Advance to P. & T. Employees in Orissa	78—79
8912. मध्य प्रदेश के जबलपुर और भोपाल डिवीजनों में टेलीफोन केन्द्र तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र	Telephone Exchanges and Public call offices in Jabalpur and Bhopal Divisions of Madhya Pradesh	79—80
8913. आयातित ट्रैक्टरों का वितरण	Distribution of Imported Tractors	80—81
8914. विभिन्न राज्यों में बीड़ी श्रमिक की मजूरी में असमानता	Disparity in Wages of Bidi Workers in various States	81
8915. मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में संचार साधन	Means of Communication in Backward Areas of Madhya Pradesh	81—82
8916. रतीवती कोयला खान में श्रमिकों को बहाल करना	Reinstatement of workers in Ratibati colliery	82—83
8917. रतीवती कोयला खान (रानीगज) में दुर्घटना	Accident in Ratibati Colliery (Raniganj)	83
8918. रतीवती कोयला खान में दुर्घटना	Accident in Ratibati colliery	83—84
8919. रतीवती कोयला खान में दुर्घटना	Accident in Ratibati colliery	84
8920. कनारदीन कोयला खान, रानीगंज	Kanardin Colliery, Raniganj	85
8921. मध्य प्रदेश के लिए उठाऊ सिंचाई योजनायें	Lift Irrigation Schemes for Madhya Pradesh	85—86
8922. श्रीलंका से स्वदेश लौटे लोगों का पुनर्वास	Resettlement of Repatriates from Ceylon	86
8923. सहरसा जिले को एक अलग डाक क्षेत्र बनाना	Creation of Saharsa District as a separate postal Zone	86—87

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
8924. सहरसा जिले में डाकघर	Post Offices in Saharsa District	87
8925. बीज प्रौद्योगिकी में अनुसंधान	Research in seed Technology	87—88
8926. भारत में प्रवास करने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of persons migrating to India	88—89
8927. गन्ने की फसल को क्षति	Damage of Sugarcane Crop	89
8928. दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा संसद् सदस्यों को दूध के टोकन जारी करना	Issue of Milk Tokens to M.P.'s by Delhi Milk Scheme	89
8929. छोटे समाचार पत्रों पर डाक दर को कम करना	Reduction of postage on small news-Papers	90
8930. केरल में कृषि विश्वविद्यालय	Agricultural University in Kerala	90
8931. नजफगढ़ रोड़, दिल्ली में नारायणा में झुग्गी झोंपड़ी कालोनी में डाकघर	Post Offices in J. J. Colony at Naraina on Najafgarh Road, Delhi	90—91
8932. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था के अनुसंधान सहायक	Research Assistants in Indian Veterinary Research Institute	91
8933. शिवाजी की स्मृति में डाक टिकट	Commemorative stamp on Shivaji	91
8934. नई दिल्ली में कालकाजी के निकट की बस्ती में मकान बनाने के लिए गृह निर्माण ऋण	House Building Advances for Construction of Homes in colony near Kalkaji, New Delhi	92
8935. गेहूँ के निर्गम मूल्य में वृद्धि	Increase in issue price of wheat	92—93
8936. विदेशों में चलचित्रों की शूटिंग के लिए विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Film Shooting Abroad	93
8937. भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूँ की खरीद	Procurement of wheat by Food Corporation of India	93—94
8938. सऊदी अरब में भारतीय चलचित्रों के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध	Prohtbition of Indian Films in Saudi Arabia	94

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
8939. विदेशों में मनोरंजन कर मुक्त भारतीय चलचित्र	Indian Films Exempted from Entertainment tax in foreign countries	94—95
8940. आकाशवाणी से वार्ता के लिए सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करने के नियम	Rules for inviting public men for talks on AIR	95—96
8941. विस्थापित व्यक्तियों को आवंटित भूमि पट्टे पर देने की शर्तें	Lease terms of land allotted to displaced persons	96—97
8942. कांगड़ा जिले (हिमाचल प्रदेश) में डाकखाने	Post Offices in Kangra District (H.P.)	97
8943. दिल्ली में दूध से तैयार किये हुए खाद्य पदार्थों पर रोक	Ban on estables prepared for Milk in Delhi	97—98
8944. लोक निर्माण विभाग, मनीपुर और उसके कर्मचारियों के बीच विवाद	Dispute between PWD Manipur and its workmen	98
8945. कीबुल आखेट निषिद्ध, क्षेत्र मनीपुर	Kiebul games sanctuary, Manipur	98—99
8946. डायमंड हार्बर का मछली पकड़ने के लिए उपयोग	Use of Diamond Harbour for Fishing purposes	99
8947. पश्चिमी बंगाल को अन्य राज्यों से मछलियों का आयात	Import of fish from other State in West Bengal	99—100
8948. केन्द्रीय मछली पालन निगम	Central Fisheries Corporation	100—101
8949. गोआ, दमन और दीव में टेलीफोन सलाहकार समिति	Telephone Advisory Committee in Goa, Daman and Diu	101—102
8950. गोआ में प्रोन मछली पालन	Breeding of prowns in Goa	102
8951. गोआ की खानों तथा बन्दरगाहों में श्रमिक असंतोष	Labour Unrest in the Mines and Ports of Goa	102—103
8952. श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए अध्ययन दल की नियुक्ति	Appointment of a study team to study the labour problems	103

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
8953.	श्रम सम्मेलन में भाग लेने के लिए विदेशों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडल	Delegations to be sent abroad to participate in labour conference	103—104
8954.	मनोराम दीवान की स्मृति में डाक टिकट	Commemorate stamps on Maniram Dewan	104
8955.	टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश) में आटा मिल	Flour Mill at Tikamgarh (Madhya Pradesh)	104
8956.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूँ की खरीद	Purchase of wheat by Food Corporation of India	104—105
8957.	पंजाब में भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूँ की वसूली	Procurement of wheat in Punjab by Food Corporation of India	105
8958.	आग लगने से गेहूं नष्ट होना	Destruction of wheat due to Fire	105
8959.	प्रयोगात्मक नलकूप संगठन द्वारा नलकूप लगाना	Drilling of wells by Explcratory tubewells-organisation	105—106
8960.	पहाड़ी धीरज गृह निर्माण समिति, दिल्ली	Pahari Dhiraj House Building Society Delhi	106
8961.	पहाड़ी धीरज गृह निर्माण समिति, दिल्ली	Pahari Dhiraj House Building Society Delhi	106
8962.	भारतीय खाद्य निगम के कमीशन एजेन्ट	Commission Agents of Food Corporation of India	107
8963.	भारतीय खाद्य निगम के कमीशन एजेन्ट	Commission Agents of Food Corporation of India	107
8964.	तेलगू फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट देना	Exemption of Telugu Films from Entertainment Tax	108
8965.	फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा बंगाली चलचित्र पास किया जाना	Bengali Films passed by Board of Film Censors	108
8966.	पश्चिम बंगाल में "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन	Grow More Food Campaign in West Bengal	108—109
8967.	आलू का क्रांतिकारी उत्पादन	Potato Revolution	109—110

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
8968.	बिक्री योग्य फालतू कृषि जिन्सें	Marketable Agricultural surplus	110
8969.	रेडियों-टेलीफोन व्यवस्था	Radio-Telephone System	110—112
8970.	नेताजी द्वारा विदेशों में दिये गये भाषणों के रिकार्डों का प्राप्त करना	Procurement of recorded speeches of Netaji in Foreign countries	112
8971.	आकाशवाणी से "टुडे इन पार्लियामेंट" कार्यक्रम का प्रसारण	Today in Parliament on AIR	113
8972.	आन्ध्र प्रदेश में चीनी के कारखाने	Sugar factories in Andhra Pradesh	113—114
8973.	गन्ने का कानूनी न्यूनतम मूल्य	Statutory Minimum price of Sugarcane	114
8974.	गन्ने की खेती	Cultivation of Sugarcane	115
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	115—116
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Member' Bill and Resolutions	
	49वां प्रतिवेदन	Forty-ninth Report	116
	सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Members	116
	श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	116
	कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	116
	36वां प्रतिवेदन	Thirty-sixth Report	116—119
	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना—प्रारूप के बारे में प्रस्ताव	Motion Re-Fourth Five Year Plan Draft	119
	श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	120—130
	श्री मी० रु० मसानी	Shri M. R. Masani	130—133
	श्री श० ना० शुक्ल	Shri S. N. Shukla	133—134
	श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	134—135

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री चन्द्र जीत यादव	Shri Chandra Jeet Yadav	135—136
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	136—137
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	137—139
श्री मुरासोली मारन	Shri Murasoli Maran	139—141
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	141—142
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair	142—144
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	144—145
सदस्यों की रिहाई	Release of Members	130

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 8 मई, 1969/18 वैशाख, 1891 (शक)
Thursday, May 8, 1969/Vaisakha 18, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Alleged Corruption in Board of Film Censors

+

*1561. **Shri Bal Raj Madhok :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Narain Swarup Sharma : **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Information and Broadcasting And Communications** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the resentment in public and criticism in the Press that corruption is rampant in the Board of Film Censor, due so which obscene pictures are being approved indiscriminately ;

(b) if so, whether Government would appoint any Commission to look into the allegations made by the public against the said Board ;

(c) whether Government propose to reconstitute the said Board and revise the rules ; and

(d) if so, the nature of the proposal ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) सरकार को ऐसी कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि भ्रष्टाचार के कारण कोई विशिष्ट अश्लील फिल्म पास की गई हो। तथापि, सेन्सरशिप के प्रति उदार या कठोर होने के बारे में, विशेषकर सैक्स, हिंसा तथा अपराध के बारे में जनता में आलोचना हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). राज्य सभा के एक संकल्प के अनुसार, सरकार द्वारा पहले ही जस्टिस

जी० डी० खोसला की अध्यक्षता में एक फिल्म सेंसरशिप सम्बन्धी जांच समिति स्थापित कर दी गई है जो नियमों तथा प्रक्रिया समेत सेंसरशिप के समूचे प्रश्न की जाँच कर रही है।

श्री बलराज मधोक: जबकि मामला अभी खोसला समिति के विचाराधीन है, क्या यह सच है कि राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि सरकार समस्त मामले की जांच करने के लिए एक छोटी समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो क्या यह वही खोसला समिति है या कोई अन्य समिति है ? दूसरे, क्या यह सच है कि सरकार ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि फिल्म सेंसर बोर्ड फिल्मों में केवल काट-छांट कर सकता है जबकि कुछ फिल्मों का नैतिक स्तर बहुत गिरा हुआ होता है और वे देश की सामाजिक और नैतिक मान्यताओं की ओर कोई ध्यान नहीं देती हैं और उन्हें पर्दे पर दिखाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकार की फिल्मों को बिल्कुल स्वीकार न किया जाये क्योंकि उनमें कांट-छांट का कोई प्रश्न ही नहीं हैं ?

श्री इ० कु० गुजराल : जहाँ तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, खोसला समिति, राज्य सभा में एक गैर-सरकारी सदस्य के संकल्प के उत्तर में नियुक्त की गई थी। समिति अपना प्रतिवेदन इस महीने के अन्त तक दे देगी। अतः कोई और समिति नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ कि फिल्मों के सम्बन्ध में जनता की सामान्य रुचि को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। और इसके लिये ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। गत वर्ष हमने 11 आपाति फिल्मों को पकड़ा था जिनमें विभिन्न देशों का रात्रि जीवन चित्रित किया गया था और इस देश में उनके प्रवेश पर हमने पूर्ण रोक लगा दी क्योंकि इस देश में हम ऐसी फिल्मों को प्रदर्शित करना नहीं चाहते। खोसला समिति के प्रतिवेदन फिल्म परिषद् की स्थापना और फिल्म वित्त के माध्यम से फिल्मों को अधिक ठोस सहायता देने और फिल्म संस्थान की स्थापना से स्थिति सुधर सकती है।

श्री बलराज मधोक : क्या यह सच है कि प्रचार के उद्देश्य से और अधिक दर्शक आकर्षित करने की दृष्टि से फिल्मों के सेंसरशुदा भागों को पोस्टरों और होर्डिंग्ज पर दिखाया जाता है, यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसे भागों को पोस्टर आदि में प्रदर्शित न किया जाये, समुचित कार्यवाही करेगी ?

श्री इ० कु० गुजराल : इतना ही नहीं कभी-कभी होर्डिंग्ज आदि पर दिये गये चित्रों का फिल्मों से कोई सम्बन्ध नहीं होता चाहें वे सेंसरशुदा हों या गैर-सेंसर शुदा हों। किन्तु पोस्टरों आदि के बारे में कठिनाई यह है कि यह राज्य का विषय है। यदि दिल्ली में कोई अश्लील पोस्टर लगते हैं तो केवल स्थानीय प्रशासन ही आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। समय-समय पर हम स्थानीय प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। हम फिर उनका ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री हेम बरुआ : जब आपने अश्लीलता की परिभाषा ही नहीं दी, तो उसके बारे में आप बोल कैसे सकते हैं ?

Shri Om Prakash Tyagi : In the present era films form the most patent media of mass communications. Particularly they have great bearing on the young generation. But unfortunately the Film industry is concentered in the hands of the capitalists who palm on

the Censor Board and get clearance for their obscene films. It is a common experience to sea the bewailing parents denouncing. Films for corrupting their children. The hon. Minister stated that films are conditioned by the public taste. Now the question is whether films should follow public taste or the films should be toned to mould public taste. The reason our films cannot stand the Competition of foreign films is that the former do not screen the images of women indishabille, obscene scenes and other things of the sort. But the urge to complete with the foreign films has gone to inject certain amount of obscenity into our films. Do Government propose to direct the Censor Board to frame rules to ban the entry into the country and the screening of such films as run counter to our culture and ideals ?

Shri I. K. Gujral : I and sorry, I havee been misunderstood by the hon. Member with regard to the first part of the answer. I never said that we are following the public taste. I said and I reiterate that we should produce such films as would seize the public taste. The imported films are fully censored by us. If the hon. Member reeds the rules regarding censor, he will notice that the suggestions given by him already from part of the rules. As regards the Censor Board, I would quote a few words from the latest report of the Estimates Committee :

> "The Committee have reasons to believe that Censors try to perform their onerous duties of interpreting the Code, in the absence of any informed public opinion to guide them in this direction, honestly and conscientously and it would be uncharitable to regard their judgment as coloured or biassed in favour of one film or the other."

अतः सेंसर बोर्ड के बारे में टिप्पणी करते समय हमें अधिक संयम से काम लेना चाहिये ।

डा० रानेन सेन : फिल्म सेंसर बोर्ड के लिये नियम बहुत समय पहले बनाये गये थे । देश में बदली हुई रुचि और विदेशों से आधुनिक विचारों के देश में आगमन को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने अश्लीलता और इस प्रकार की चीजों के सम्बन्ध में मार्गदर्शी नियमों में परिवर्तन करने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

श्री इ० कु० गुजराल : समय-समय मानसिक दृष्टिकोण में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है किन्तु समाज का मूल लक्ष्य एक ही रहता है और नियम उस लक्ष्य के अनुरूप हैं । सामाजिक परिवर्तन लाते समय भी हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि परिवर्तन हमेशा ऊंचाई की ओर होना चाहिए न कि गिरावट की ओर । अतः सरकार समाज में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं लायेगी जो नीचे की ओर हो ।

श्री अनन्त राव पाटिल : फिल्म सेंसर बोर्ड में नियुक्ति के लिये क्या-क्या अर्हताएं रखी गई हैं ? क्या यह सच है कि बोर्ड के अधिकांश सदस्य फिल्म उद्योग के बारे में कुछ नहीं जानते और उन्हें केवल इसलिये नियुक्त किया जाता है कि उन्हें कहीं न कहीं स्थान देना है ?

श्री इ० कु० गुजराल : मैं माननीय सदस्य की बात को स्वीकार नहीं कर सकता । और मैं समझता हूँ कि हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोगों के प्रति इस प्रकार की टिप्पणियां हमारे लिये करना उचित नहीं है । सेंसर बोर्ड में राजनीतिक जीवन के सर्वोपरि व्यक्तियों को लिया जाता है और उनके सामाजिक दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जाता है । फिल्म उद्योग के विस्तृत कार्य से वे चाहें अवगत न भी हों । किन्तु वह उनका कार्य नहीं है । उनका काम यह देखना है कि क्या फिल्म सामाजिक दृष्टिकोण के अनुरूप है ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार ने अश्लीलता की परिभाषा की है ? क्या सरकार दो जवान आत्माओं के बीच प्यार के बन्धन में जो चुम्बन तक पहुँच जाता है अश्लील समझती है ? यदि हां, तो विदेशी फिल्मों में इतने अधिक चुम्बन की अनुमति क्यों दी जाती है और भारतीय फिल्मों पर इसकी रोक क्यों है ?

श्री इ० कु० गुजराल : यदि श्री हेम बरुआ उस सदन के बाहर मुझसे यह प्रश्न पूछते तो इसका मैं इसका और उत्तर देता । फिल्म दर्शकों की संख्या अधिक होती है । फिल्म सेंसर बोर्ड को यह बात ध्यान में रखनी होती है कि फिल्म को देखने वाले लोग किस प्रकार के हैं और उन पर फिल्मों का क्या असर पड़ेगा । उदाहरणार्थ, हो सकता है कोई काम बच्चों के लिये उपयोगा न हो किन्तु बडों पर उसका अच्छा असर पड़ता हो । इसी प्रकार गैर-भारतीय भाषाओं की फिल्मों का दृष्टिकोण भिन्न होता है । इसका कारण यह है कि इसके श्रोतागण भिन्न हैं । समान नीति का प्रश्न नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है । हमारी फिल्मों और विदेशी फिल्मों के बारे में अलग-अलग मापदण्ड क्यों अपनाये जाते हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : क्योंकि हमारी संस्कृति भिन्न है ।

श्री हेम बरुआ : विदेशी फिल्मों में चुम्बन की अनुमति दे कर आप हमारी संस्कृति को दूषित करते हैं ।

श्री सत्य नारायण सिंह : उनके समाज में बहुत सारी बातें होने दी जाती हैं जो हमारे यहां नहीं होने दी जातीं ।

Chanda Committee Report

+

*1562. **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri Suraj Bhan :**
Shri Brij Bhushan Lal : **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the recommendations contained in various reports of the Chanda Committee which have been implemented by Government and the recommendations which have not been implemented ;

(b) the reasons for their non-implementation ;

(c) whether Government propose to set up any Management Committee for A. I. R. ; and

(d) if so, the composition thereof ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

(ग) और (घ). आकाशवाणी के संगठनात्मक ढांचे के बारे में चन्दा समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं और उनपर अभी तक कोई निर्णय नही लिया गया है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : It is a matter of great shame for the Minister to say that the information is being collected. The Chanda Committee Report had been submitted about a year back. It contains about 200 recommendations. Within half an hour it could be found out us to what recommendations have been implemented and what not. The reply only but rays how-shubbily he is treating the report.

Now, may I know the reasons for not Converting A. I. R. into in autonomous Corporation as recommended by that Committee and whether Government wants to use it for its our propoganda ? What has been done with regard to the second recommendation which says :

"Low-power transmitter should be installed in each of agricultural areas in the country to give necessary impetus to the programme of intensive agriculture."

श्री इ० कु० गुजराल : मैं एक बात पहले ही साफ कर दूं । प्रश्न यह नहीं था कि चन्दा समिति के प्रतिवेदन पर क्या निर्णय किया गया है । प्रश्न यह था कि कौन-कौन से निर्णय क्रियान्वित किये गये हैं। क्रियान्वन कार्य विभिन्न चरणों में है। उदाहरणार्थ, कुछ मामले वित्त मन्त्रालय के पास हैं, कुछ मामलों के सम्बन्ध में वित्त मंजूर कर दिया गया है । मैं इस बारे में जो भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी दूंगा .....

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : इसको क्रियान्वित में कितने वर्ष लगेंगे ?

श्री इ० कु० गुजराल : क्रियान्विति एक निरन्तर प्रक्रिया है । गैर-वित्तीय स्वरूप की सिफारिशों को क्रियाविन्त कर दिया गया है ।

माननीय सदस्य की इस टिप्पणी पर मुझे दुख है कि आकाशवाणी को सरकार के प्रचार के लिये प्रयोग में लाया जाता रहेगा...(व्यवधान)

श्री रंगा : ऐसा ही है ।

श्री बलराज मधोक : ऐसा ही है ।

श्री बलराज मधोक : यदि आप आकाशवाणी के प्रसारणों और मन्त्रियों द्वारा लिये गये समय का विश्लेषण करें तो आप देखेंगें कि अखिल भारतीय रेडियो नहीं अपितु कांग्रेस रेडियो है ।

श्री इ० कु० गुजराल : माननीय सदस्य को याद रहे कि यह कांग्रेस सरकार है और जनता द्वारा चुनी गई है । कांग्रेस और सरकार के बीच आप रेखा खींचिये । मन्त्री भारत सरकार के मन्त्री हैं । आकाशवाणी राष्ट्रीय जीवन संस्कृति तथा नीति को चित्रित करने का रास्ता अपना रहा है । अत: यह कहना कि यह किसी दल विशिष्ट के लिये ऐसा कर रहा है गलत है । जहाँ तक उसे निगम में बदलने का प्रश्न है । इसकी जांच की जा रही है । मुझे आशा है इस सम्बन्ध में मैं शीघ्र ही सरकार के निर्णय बता सकूंगा ।

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : यदि आकाशवाणी सरकार के प्रचार के लिये होता तो यहां पर सरकार की जो इतनी आलोचना होती है उसे प्रसारित न किया जाता । किन्तु हमने उसकी अनुमति दी है ।

Shri Balraj Madhok : Have you ever tunned in the radio set ?

Shri Satya Narain Sinha : Enough of it. You see here we are being severely criti-

cised and yet we have allowed those things. On the face of those for you to say that it is a Government, dominated thing is very enfair.

श्री इ० कु० गुजराल : जहां तक कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम का सम्बन्ध है, दूसरे प्रश्न के उत्तर में मैं पहले बता चुका हूँ कि हम फार्म कार्यक्रमों के लिये काफी समय दे रहा हूँ। कुछ स्थानों पर कम शक्ति के ट्रांसमिटर प्रयोग में लाये जा रहे हैं। किन्तु चतुर्थ योजना में हमारा कार्यक्रम अधिक ट्रांसमिटर लगाने का है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Recommendations No. 80 of the report says :

"The speeches of the Ministers should not be reproduced at length unless they make news".

May I know the extent to which this recommendations has been implemented ?

Secondly, recommendation Nos. 70 and 71 purport to say that our transmitters in the border areas are not as powerful as those of our hostile neighbours and as such we are not able to Countract propagand beamed at us from across the borders. May I know whether Government have made an assessment in this regard and the steps taken to Countract the propaganda against us ?

श्री इ० कु० गुजराल : सीमाओं पर शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने के लिए कार्यवाही की गई है। उदाहरणार्थ, हमने हाल ही में जालंधर में एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर स्थापित किया है जो विभिन्न विषयों पर उर्दू में 9 घंटे प्रतिदिन प्रसारण करता है। इसी प्रकार से हम कलकत्ता में एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर स्थापित करने वाले हैं जो हमारी पूर्वी सीमाओं के लिये बहुत उपयोगी होगा। 500 किलोवाट के दो और ट्रांसमीटर राजकोट में स्थापित किये जायेंगे जो उस क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी होंगे। डिबरूगढ़ में हमने हाल ही में एक ट्रांसमीटर स्थापित किया है। अत: इन बातों का ध्यान रखा गया है। हम निरन्तर रूप से मोनिटरिंग, मूल्यांकन, सुधार और प्रसारण जो भी आवश्यक समझते हैं कर रहे हैं।। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूँ कि इस पहलू को नजरअन्दाज नहीं किया जा रहा है।

जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ कि यहां पर प्रत्येक संसदविज्ञ से सारा दिन बोलने की आशा की जाती है। यह बात अलग है कि मेरे भाषण में मेरे माननीय मित्र के भाषण की अपेक्षा अधिक समाचार तत्व हो। आकाशवाणी को ये अनुदेश दिये गये हैं कि प्रसारण की मुख्य कसौटी समाचार है चाहे मंत्री हो चाहे प्रतिप्राप्ती सदस्य।

Shri Brij Bhushan Lal : It is deplorable that the Chand Committee recommendation are still under consideration while the report had been submitted almost two years now. One of the recommendations is that the short wave transmitters are very costly, five band reception and hence they should be discontinued. Apart from this the International Telecommunication Union has also taken on exception to it and wants that un-short wave transmitters installed in 1938-39 should be discontinued. May I know the reasons for not implementing this recommendation ?

Another recommendations is that the election broadcasting should be introduced as is the practice in their countries. May I know the hinderances in implementing it ?

Shri I. K. Gujral : As regards the short wave transmitters it is not in our interest to discontinue them at present, since we have incurred huge expenditure on them. The only way to replace them is to maximise the number of medium wave of transmitters and when the optimum point is reached, we may discontinue the short wave transmissions.

As regards the number of recommendations of the Chanda Committee accepted by the Government we have accepted 198 recommendations out of 112 Concerning Radio and 139 out of 155 Concerning information and publicity.

As regards the third question I quite agree with the hon. Member that for the furtherance of democracy the party plans should reach the masses. But that the necessitates the evolving of a code by mutual Consent. I am looking forwarded for such a consensus being reached.

Shri Suraj Bhan : In July, 1967 the hon. Minister had give an assurance that the A. I. R. would be converted into autonomous Corporation within two months. He had make a commitment in 1967 that if the number of listeners increased by 10 lakhs the conversion would he effected. May I know whether there are some financial or other suags in the way of fulfilling the assurance ?

Shri I. K. Gujral : I am not aware of any such assurance having been given. But I will certainly look into this matter.

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि कुछ ट्रांसमीटर लगाये जाने वाले हैं, किन्तु सिलचर में जो ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव था उसका क्या बना ?

श्री इ० कु० गुजराल : सिलचर ट्रांसमीटर को चतुर्थ योजना में शामिल किया गया है और इसे लगा दिया जायेगा ।

श्री एस० एम० कृष्ण : आकाशवाणी को देशद्रोही तलों के प्रचार से कुछ विशेष रूचि प्राप्त है । उदाहरणार्थ, हाल ही में डा० जाकिर हुसैन के जनाजे में देश में बहुत सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति आये थे, तो आकाशवाणी ने दो नामों को विशेष रूप से उल्लेख किया और वे थे शेख अब्दुल्ला और मिर्जा अफजल बेग । वे अपने को काश्मीर राज्य के नागरिक कहते हैं न कि भारत के । उनको इतना महत्व क्यों दिया जाता है ?

दूसरे, डा० जाकिर हुसैन की मृत्यु के प्रसारण करने में आकाशवाणी ने विलम्ब किया था । यद्यपि राष्ट्रपति की मृत्यु 11 बजकर 20 मिनट पर हुई थी तो भी उनकी मृत्यु का समाचार 1 बजकर 20 मिनट पर दिया गया । इन बातों के बारे में माननीय मंत्री सभा को उचित स्पष्टीकरण दें ।

श्री इ० कु० गुजराल : जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, इस प्रकार का समाचार प्रसारित करने से पहले हमें शासकीय अधिसूचना की प्रतीक्षा करनी पड़ती है : विश्व भर में इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है । पी०टी०आई० ने 1.15 पर इस समाचार की सुरखी दी और 1.17 पर हमें यह प्राप्त हुआ और 1.20 पर हमने कार्यक्रम रोक कर इस दुखद समाचार की घोषणा की ।

जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, मुख्य प्रश्न किसी व्यक्ति के चरित्र का नहीं है । हमारे संवाददाता ने उनका नाम देने से पहले उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को क्यों नहीं देखा इसके लिए मेरी आलोचना नहीं की जानी चाहिए ।

Shri Sheo Narain : My hon. friend said that A. I. R. is Congress Radio, I say that it is the opposition Radio. May I know separately, the number of the opposition Members and the Congress Members broadcasting over the A. I. R. ? Secondly, I strongly deprecate

the propaganda of Sheikh Abdullah and Afzal Baig over the radio. Hence I would like to know of Shri Satya Narain Sinha whether he is going to streamline the A. I. R. or not.

Shri Satya Narain Sinha : Surely.

श्री स० कण्डप्पन : चन्दा समिति के प्रतिवेदन की 30वीं सिफारिश इस प्रकार है : आकाशवाणी के कार्यक्रमों में बोलचाल की भाषा और साहित्यिक भाषा के अन्तर की ओर प्राय: ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रसारण करने वालों को श्रोतागण और विषय को ध्यान में रखकर प्रत्येक प्रसारण के लिये उचित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अभिव्यक्ति में बनावट नहीं होनी चाहिए। मुझे इस सम्बन्ध में किसानों से सम्बन्धित कार्यक्रमों के बारे में कुछ कहना है। इस सिफारिश के पश्चात क्या सरकार ने विभिन्न भाषा क्षेत्रों में प्रचलित बोलचाल के शब्दों का इकट्ठा करने के लिये कोई अध्ययन किया है और क्या सरकार का कोई कार्यक्रम है भविष्य में ऐसे अध्ययन करने का और यह सुनिश्चित करने का कि इस प्रकार के प्रसारणों में बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया जाये। मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों के श्रोतागण यह समझते हैं कि ये प्रसारण केवल शिक्षित लोगों के लिए हैं न कि उनके लिए।

राज्य सरकार की इस सिफारिश को, कि श्री और श्रीमती के स्थान पर थीरू और थीरूमती का प्रयोग किया जाये केन्द्र ने स्वीकार नहीं किया।

पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा है कि आकाशवाणी स्वायत्त संस्था बनाने में अनेक कठिनाइयां हैं परन्तु उनमें से किसी एक का भी यहां उल्लेख नहीं किया गया।

श्री इ० कु० गुजराल : मैंने यह नहीं कहा कि यह सम्भव नहीं अपितु मेरा कथन था कि मामला विचाराधीन है। इस बारे में मैं माननीय सदस्य के साथ हूँ कि बोले जाने वाले शब्द श्रोताओं को समझ में आने योग्य होने चाहिए। इसी लिए हम अपने कार्यक्रमों का श्रोताओं पर प्रभाव जानने के लिए अध्ययन दल नियुक्त करते रहते हैं। हिन्दी प्रसारणों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए अध्ययन किया जा रहा है। माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि ग्रामीण किसानों के लिए प्रसारित किये जाने वाले विशेष कार्यक्रम ऐसे केन्द्रों से प्रसारित किये जाते हैं जो इस क्षेत्र की संस्कृति में रमें हुए हैं तथा भाषा और क्षेत्र-विशेष की बोली प्रयोग में लाई जाती है। यदि इसकी कहीं अवहेलना होती हो तो मैं इसकी ओर ध्यान देने को उद्यत हूँ।

श्री एस० कन्डप्पन : थीरू तथा थीरूमती के प्रयोग के बारे में राज्य सरकार की सिफारिश पर कब तक विचार किया जायेगा।

Rural Unemployment

*1563. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that less than one-third of the opportunities of employment created in the Third Five Year Plan was made available in the rural areas whereas more than 80 per cent of our population lives in those areas and the production and industries of those areas play a very important role in the economic structure of the country ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action being taken to provide more employment opportunities in rural areas in commensurate with their needs ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilition (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) No estimates in respect of employment opportunities created during the Third Plan have been worked out for rural and urban areas separately. The Planning Commission have set up a Committee of Experts on Unemployment Estimates in August, 1968, which will examine and make recommendations **inter-alia** on the methodology of estimating employment generation.

(b) and (c). Do not arise.

Shri Ram Gopal Shalwa.e : At the time of commencement of Five Year Plan, Shri Jawahar Lal Nehru declared that on the complistment of these five year hears there world be no unemployed persen in India. The amount of three plans has been entirely spent in constructing big buildings and factories where 85% of our population lives in villages. I want to know as to how much money was spent on villages and what amount was spent in building of factories, houses and roads in the cities ?

Shri Bhagwat Jha Azad : I cannot say as to what amount was spent in building houses. But, I can say that the building of houses has also provided employment to various people.

Shri Ram Gopal Shalwale : There are 65% landless labourers in the villages who are being exploited by Zamindars and are even denied the right to come to wells. Will the Government arrange to provide employment to those landless labourers and build wells and big factories in the rural areas under the Fourth Five Year Plan.

Shri Bhagwat Jha Azad : In order to provide more and more employment opportunities in the villages, labour oriented projects are bring included in the Fourth Five Year Plan. The electrification of agriable lands, building of roads and communications will provide additional avenues for employment in the villages.

Shri Ram Gopal Shalwale : Is there any plan to build wells in the villages for the poor labourers ?

Shri Bhagwat Jha Azad : Minor irrigation is also under Agriculture, wherein the vells can be constructed.

Shri Chandrika Prasad : What is the percentage of unemployment in the villages ? Cannot they be provided with aminities like houses etc. by declaring them as landless labourers under the fourth five year plan as is done for city labourers.

Shri Bhagwat Jha Azad : The extent of unemployment in the villages cannot be stated. Certain statistics were gethered in three five year plans but we could not lay emphesis on it as the villages had also the problem of under employment. A committee was formed in August 1968 in the Planning commission to find out the figures of the unemployed and also the manners in which the employment could be provided. That committee will submit its report.

Shri Yashwant Singh Kushwah : What is the percentage of villagers registered with employment exchanges and percentage of those who have been actually provided employment out of those registered ?

Shri Bhagwat Jha Azad : There are 300 employment exchanges in the country who had registered 30 lakh unemployed persons in December 68. The separate figures for rural and urban areas cannot be indicated.

Shri Ram Charan : Eighty percent of population lives in villages of which 60% do not possess any land and depend on farmers. Whether 80% of the jobs created in the there plan periods provided to the villagers in accordance with their population ? If not, will the Government try to do so in the future ?

Shri Bhagwat Jha Azad : I am sorry that I cannot reply in the form desired by honourable member. We cannot give figures of unemployed persons separately statistics collected in the first and second five year plans were not stressed as there is the problem of under employment as well. But a committee of the planning comission has been formed for this purpose.

A sum of 24, 389 crores of rupees would be spent on irrigation, electrification etc. and it is hoped that it will provide ample employment opportunities to the villages.

Shri Bibhuti Mishra : The number of unemployed in this country is estimated @20 millions and it is in no case less then 15 millions. In the three plans, employment in Public sector were provided to those living near cities. If the villagers go to cities they do note have a place to live there. If at all they are able to stay there, they find it difficult to get some one to recommend them. This is the condition of Telengna today where people of Andhra have occupied all the jobs. The sum of 24, 389 crores of rupees to be spent in the fourth plan, the amount that would be spent for the villagers ? If not then the Government should be prepared to have more telenganas in the country ?

Shri Bhagwat Jha Azad : It is afact that there are more employment opporturnities in the cities and the educated unemployed have to rush there to find out emyloyment.

I cannot say anything regarding providing of employment in the factories I can only tell the number of unemployed registered with employment exchanges. The position of employment in commerce Industry can be indicated by the Ministers concurred.

Shri Ramavtar Shastri : The hon. Minister has stated that he does not passess the statistics of unemployment. The third five year plan ended in 1966 and the fourth plan is going to commence very soon, why has the Government not taken any steps to collect the required statistics ?

Secondly, it is said through various sources that 1.90 crore people have been rendered unemployed during the third five year plan in this country to how many of them will you be in a position to give employment during the existing plan period ?

Shri Bhagwat Jha Azad : The question is again the same as to why the figures of unemployment in this country have not so far been made available. I had already replied that efforts were made during the first, second and third plan periods ; but the figures which are available are defective and as such now we must not reply on them. Planning Commission has established a committee in August 1968 which will consider these issues. They will be able to tell all these things separately as to what is the methodology, what is the data, and why the under-employment and unemployment are there. In the circumstances, as stated above, it has not been possible to collect the figures.

Shrimati Sushila Rohatgi : The land is being acquired for the newly expanded areas and Colonies, and this has put many a people out of work. Compensation is also not being given to them in time. I want to know from the hon. Minister whether the Committee established by the Planning Commission which is studying the situation, will see that the people who have been rendered unemployed and whose land have been acquired will be given priority in the matter of training and employment ?

Shri Bhagwat Jha Azad : I cannot say about the position of those people rendered unemployed as a result of acquiring their land. But I agree to the suggestion made by the hon. lady member that they should be given priority in the matter of employment whose land have been acquired.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : माननीय मंत्री जी ने जितने भी उत्तर दिए हैं वे सब इतनी साधारण कोटि के हैं कि उनसे किसी प्रकार की भी जानकारी नहीं मिलती । यह तो मानो हुई बात

है कि पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान "ग्रामीण बेकारी" की स्थिति और अधिक खराब हुई है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । इस मामले की सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के उपबब्ध मसौदे के अनुसार इस योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण, सड़क निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्यों के लिये धन का पूर्ण तथा औसतन नियतनपूर्व योजनाओं में नियतितधन की तुलना में अधिक नहीं है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि चौथी योजना के दौरान ग्राम्य विकास के लिये इतने कम धन के नियतन से ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या को वे किस प्रकार सुलझाने का विचार करते हैं ? यदि वे इसे नहीं सुलझा सकते तो, चौथी योजना के दौरान इतनी कम नियतित राशि के लिए उन । स्पष्टीकरण क्या है ?

भागवत झा आजाद : मैं माननीय सदस्य के इस तथ्य को मानता हूँ कि मेरे उत्तर बहुत साधारण कोटि के होते हैं क्योंकि मैं यह ठीक-ठीक नहीं बता सकता कि देश में बेकारों की निश्चित संख्या कितनी है, कारण यह है कि योजना आयोग ने अगस्त, 1968 में एक समिति की स्थापना की है जो बेरोजगारी तथा कमरोजगारी पर तत्सम्बन्धी रीतिविधान, आंकड़ों तथा अन्य बातों आदि का विचार करेगी । माननीय सदस्य के प्रश्न के प्रथम भाग का मेरा यही उत्तर है ।

प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खर्च के लिये लगभग 241489 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । विभिन्न प्राथमिकताओं का भी इसमें ध्यान रखा गया है । ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाना, सड़कें, कृषि में प्राथमिकताएं, संचार आदि। हमें आशा है कि जब आगामी वर्षों में विकास के निमित्त उद्योग आगे बढ़ेंगे, गांवों के शिक्षित नव युवक जब नगरों में जायेंगे तो उनको वहां रोजगार मिलेगा, परन्तु हमें आशा है कि गाँवों में और भी अधिक रोजगार होगा, जबकि वहां बहुपद फसल पैदा होने के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन होगा, कृषि कार्य को तीव्र किया जायेगा, तथा अधिकाधिक क्षेत्रों को कृषि के योग्य बनाया जायेगा आदि आदि । इस सम्बन्ध में मैं इतना कुछ ही कह सकता हूँ ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट था । आगामी योजना के अन्तर्गत ग्राम निर्माण, तथा सड़क निर्माण के लिए नियतित राशि की प्रतिशतता पहली योजनाओं की राशि की तुलना में अधिक नहीं है । क्या यह सत्य नहीं है ? यदि यह सत्य है, तो वे यह कैसे स्पष्टीकरण देते हैं कि राशि के कम होने के बावजूद भी देहात की बेरोजगारी की समस्या सुलझा ली जायेगी ।

श्री भागवत झा आजाद : विभिन्न मदों में राशि वितरण के सम्बन्ध में माननीय सदस्य को प्रश्न योजना मंत्री से करना चाहिए मेरे से नहीं ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : यह प्रश्न श्रम तथा रोजगार से सम्बन्धित है ।

Shri Jageshwar Yadav : Is it a fact that the provisions made in the five year plans are mostly spent in the urban areas, and the lesser amount is spent in rural areas where population is thick ? If this is not a fact will the hon. Minister be pleased to state the percentage of the amount being spent separately in the urban areas as well as in the rural areas ? I also want to know whether there can be no proper provisions for road Communications in the rural areas whereas every sort of facility is extended in the cities ? Can there be no proper provisions of roads in the villages ?

श्री भागवत झा आजाद : मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। मैं केवल बेकारों के विषय में बात कर सकता हूँ क्योंकि यह विषय आजकल सामान्यतः चल रहा है। शहरों और देहातों में खर्चे की प्रतिशतता के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता।

श्री महेन्द्र सिंह महोडा : सरकार के लिये यह बड़ी लज्जा की बात है कि 21 वर्षों के शासन के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में हम अपना जीवन स्तर नहीं उठा सके हैं। हमारे मंत्रियों में से अधिकांश गांवों में से आये हैं ; मगर वे यह तथ्य भूल जाते हैं। हमारी सरकार को अपना ध्यान अब ग्रामीण क्षेत्रों की ओर अधिक देना चाहिए। क्या सरकार ने ऐसी योजना बनाई है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों से आया शिक्षित वर्ग ग्रामों में वापिस जाकर सेवा कार्य करे ?

श्री भागवत झा आजाद : माननीय सदस्य के इस सुझाव को मैं स्वीकार करता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिकाधिक अवसर उत्पन्न किये जाने चाहिएं। यह सच है कि इस समय हमारे पास पर्याप्त अवसर नहीं हैं, और हमें आशा है कि जैसे ही चौथी योजना आगे बढ़ेगी, अधिकाधिक इंजीनियर संगठित उद्योगों में लिये जायेंगे। जहाँ तक सेवा कार्य क्षेत्र का सम्बन्ध है जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन हमें आशा है कि शिक्षक, डाक्टर, तथा अन्य औषधीय और पैरा-औषधीय आदि लोगों को भी रोजगार मिलेगा। शिक्षित वर्ग के सम्बन्ध में हम इतना कुछ ही कह सकते हैं।

पंचायत राज व्यवस्था

*1564. **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री महाराज सिंह भारती :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू करने के बारे में अभी तक विधान नहीं बनाया है ;

(ख) क्या यह सच है कि केरल, बिहार, नागालैंड, जम्मू तथा काश्मीर और मध्य प्रदेश राज्यों ने त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को अभी तक क्रियान्वित नही किया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि आसाम, राजस्थान, केरल, हिमाचल प्रदेश मनीपुर और नेफा राज्यों में पंचायतों के चुनाव काफी समय पहले हो जाने चाहिये थे ; और

(घ) ऐसे राज्यों को जिन्होंने अभी तक इस सम्बन्ध में विधान नहीं बनाये हैं, और अधिक विलम्ब किये बिना आवश्यक विधान बनाने के लिये सहमत कराने तथा नियमित रूप से चुनाव कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जम्मू तथा काश्मीर, नागालैंड तथा केरल राज्यों ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू करने के बारे में विधान नहीं बनाया है।

(ख) जी हां, बिहार राज्य के तीन जिलों को छोड़कर जहां त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू कर दी गई है।

(ग) केरल तथा हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के चुनाव में विलम्ब हुआ है ।

(घ) सरकार शीघ्र पंचायती राज विधान बनाने तथा नियमित रूप से चुनाव कराने की आवश्यकता के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकारों से लगातार अनुरोध करती रहती है ।

देश में पंचायती राज प्रणाली की कार्यान्विति तथा कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए हाल ही में पंचायती राज की सलाहकार परिषद का पुनर्गठन भी किया गया है ।

श्री श्रीचन्द गोयल : मुख्य मंत्रियों तथा सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज के कार्य भारी मंत्रियों की पिछले जून में मद्रास में एक बैठक हुई थी । उस बैठक में उन्होंने यह अनुमान लगाया कि यद्यपि सरकार ने पंचायती राज्य का एक निदेशालय बना दिया है परन्तु सरकार ने इसके कार्य संचालन में अभी तक कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई है । साथ ही पंचायतों, अथवा पंचायती राज समितियों अथवा जिला परिषदों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का प्रबंध भी नहीं किया है । जिससे वे स्वायत्त सरकार के एकक बन जाते और लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया का कुछ अर्थ होता । उन्होंने दो या तीन सिफारिशें प्रस्तुत की हैं । क्या राज्य सरकारों ने सहायक अनुदान के सूत्र पर सन्तोषजनक कार्य किया है ताकि उन संस्थानों के लिए पर्याप्त धन रखा जाता ?

दूसरे, उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि प्रत्येक राज्य में पंचायती राज मण्डल बनाया जाए जिससे कि पंचायती राज संस्थानों के कार्यकरण की जांच होती रहे और प्रत्येक मण्डल हर वर्ष अपना एक प्रतिवेदन विधान मण्डल के सम्मुख रखने के लिए प्रस्तुत करे ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सब सिफारिशों को पढ़ कर सुनायेंगे ? आप साधारण रूप में यह पूछें कि इन सिफारिशों पर सरकार का क्या विचार है ?

श्री नाथपाई : वह ठीक है, वह यह साधारण नहीं बना सकते कि उन्हें सारी सिफारिशों की जानकारी है ।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : हम राज्य सरकारों से यही अनुरोध करते आ रहे हैं कि वे पंचायती राज व्यवस्था को सुचारु रूप से चलायें । यह सच है कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस व्यवस्था को दोषरहित तथा अच्छी प्रकार से सुगठित करने के लिए कुछ सिफारिशें की गईं । उन्हें राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया था । कुछ राज्य सरकारें तो इन पर विचार कर रही हैं । विकेन्द्रीकरण की प्रक्रियां को तो हमने आगे चलाना है । राज्य सरकारों से हम अनुरोध कर रहे हैं कि उन्हें वे पंचायती राज संस्थानों को अधिक वक्त अधिक धन तथा अधिक उत्तरदायित्व सम्भालने का अवसर प्रदान करें ।

श्री श्रीचन्द गोयल : माननीय मंत्री जी के उत्तर से जान पड़ता है कि अब भी अनेक राज्यों में अनेक वर्षों से निर्वाचन नहीं हुए हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इन पंचायतों के चुनावों की देख भाल करने के लिए क्या सरकार राज्य निर्वाचन अधिकारियों को सांविधिक प्राधिकार सौंपने के लिए तैयार है जिससे कि चुनाव नियमित रूप से होते रहें आज कल वैसे सुझाव त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर महाराष्ट्र राज्य की तरह द्विस्तरीय व्यवस्था लागू करने का है । अतः मैं जानना चाहता

हूं कि सरकार का निश्चय त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाये रखने का है अथवा द्विस्तरीय व्यवस्था को लागू करने का है। तीसरे, ग्रामीणों के लिये सस्ती एवं शीघ्र न्याय की व्यवस्था प्रदान करने के लिए सरकार पंचायत अदालतों के विषय में क्या करने जा रही है और क्या इन नई पंचायतों के लिये एक समान नीति को सारे देश में साहश्य रूप देने जा रहे हैं।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : सर्वप्रथम तो मैं माननीय सदस्य की धारणा को ठीक करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में त्रिस्तरीय व्यवस्था है न कि द्विस्तरीय व्यवस्था। हमने राज्य सरकारों को बता दिया है कि वे इस सम्बन्ध में नम्र प्रस्ताव रख सकते हैं। राज्य सरकारें जैसा उन्हें रुचिकर हो त्रिस्तरीय अथवा द्विस्तरीय व्यवस्था रख सकती हैं अनेक राज्य सरकारों ने त्रिस्तरीय व्यवस्था के सूत्र को स्वीकार किया है तथा इसे क्रियान्वित भी किया है कुछ राज्य हैं जो द्विस्तरीय व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। हमारा अनुरोध केवल यही है कि पंचायत राज व्यवस्था की ओर अधिक जिम्मेदारी, अधिक स्वायत्तता, अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्ति दी जाए। प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में कि अधिकारियों को सांविधिक प्राधिकार दिया जाए, यह राज्य सरकारों का कर्तव्य है।

Shri Maharaj Singh Bharati : Elections of villages Panchayats are never held in due time like the elections of State Assemblies and Parliament. The hon. Minister has said that this elections are overdue in Kerala, and in Madhya Pradesh. In Uttar Pradesh these elections should have been held during the period when Shri Charan Singh was Chief Minister, that Government has gone. Governor's rule has passed away, now even the present Government headed by Shri Gupta are not serious in holding these elections, though this Government is also on the verge of falling down and fresh elections will be held in the state but not these elections. The Villager is directly concerned with there elections of village Panchayats Zila Prishad and Taluque, and when these elections do not take place, he will not have any faith in the democratic set up of the country. I want to know will Government propose to take any steps to see that elections of village Panchayats like those of Parliament and Assemblies are held regularly in due time in every state of the country ?

श्री एम० एस गुरुपदस्वामी : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि विभिन्न राज्यों में चुनाव निश्चित समय पर नहीं होते हैं। मैं राज्य सरकारों से अनुरोध करता रहा हूं कि चुनावों के प्रति इस प्रकार का विलम्ब एवं उदासीनता का जहां तक सम्भव हो परिहार करें यह सच है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव, विधान सभाओं एवं संसद के चुनावों की तरह से निश्चित समय पर होने चाहिए। दुर्भाग्यवश:.....

श्री नाथपाई : ऐसे मामलों में श्री जगजीवन राम जी को हमने कभी चुप्पी साधे हुए नहीं देखा है। क्या हम उनके इस मौन धारण करने के अर्थ को समझ सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसका कोई महत्व नहीं है। राज्य मंत्री महोदय बड़ी कुशलता से उत्तर दे रहे हैं, और इसलिए वह ध्यान दे रहे हैं।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैं उत्तर दे रहा हूँ। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम वास्तव में बहुत चिन्तित हैं कि पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से, व निश्चित समय पर होने चाहिए। यह दुर्भाग्य की बात है कि कुछ राज्य सरकारें इन चुनावों को नियमित रूप में नहीं करती हैं। यह सच है। परन्तु यह कांग्रेसी राज्य सरकारों तथा गैर-कांग्रेसी राज्य सरकारों, दोनों में हो रहा है, इसके लिए मैं माननीय सदस्य को याद दिला देना चाहता हूँ।

हिन्दुस्तान टेली प्रिंटर्स लिमिटेड

*1566. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड की अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी क्रमश: उसकी स्थापना के समय तथा 31 मार्च, 1968 को कितनी थी;

(ख) इस कम्पनी पर 31 मार्च, 1968 को क्रमश: केन्द्रीय सरकार, बैंक अथवा अन्य पार्टियों की ऋण की कितनी राशि थी;

(ग) गत तीन वर्षों में इस कम्पनी ने ब्याज के रूप में कितनी धनराशि दी है;

(घ) गत तीन वर्षों में इस कम्पनी के कार्य संचालन के क्या परिणाम रहे, कम्पनी की लाभ-हानि सम्बन्धी स्थिति क्या है और यदि कम्पनी को हानि हुई है, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) वर्ष 1968-69 के अनुमान क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) **हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड की स्थापना के समय अधिकृत तथा चुकती पूंजी तथा 31 मार्च 1968 की स्थिति :**

1. कम्पनी की स्थापना के समय अर्थात 1961-62 में (प्रथम वर्ष के अन्त में 31 मार्च, 1962 को) ;—

(i) अधिकृत पूंजी	300.00 लाख रुपये
(ii) चुकती पूंजी	50.20 लाख रुपये

II. 31 मार्च, 1068 को स्थिति :

(i) अधिकृत पूंजी	300.00 लाख रुपये
(ii) चुकती पूंजी	82.00 लाख रुपये

(ख) **31 मार्च, 1968 को कम्पनी पर केन्द्रीय सरकार, बैंकों तथा अन्य पक्षों के ऋण की राशि :**

31 मार्च, 1968 को कम्पनी पर विभिन्न पक्षों के ऋणों की राशि निम्न प्रकार थी :—

भारत सरकार को देय	42.14 लाख रुपये
इटली के सर्वश्री आलिवेत्ती को देय	203.80 लाख रुपये

(ग) **गत तीन वर्षों में कम्पनी द्वारा ब्याज के रूप में अदा की गयी राशि :**

ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	चुकाया गया ब्याज
1965-66	12.95 लाख रुपये
1966-67	12.82 लाख रुपये
1967-68	16.13 लाख रुपये

(घ) गत तीन वर्षों के कार्य परिणाम, लाभ हानि स्थिति तथा यदि हानि हुई हो तो उसके कारण :

31 मार्च, 1968 को समाप्त हुए तीन वर्षों के कार्य परिणाम नीचे दिये जाते हैं :—

वर्ष	कार्य परिणाम	हानि हुई हो तो उसके कारण
1965-66	विकास छूट आरक्षित के लिये 5.14 लाख रुपये तथा आयकर के लिए 1 लाख रुपये की व्यवस्था करने के बाद 15 लाख रुपये का लाभ हुआ। कंपनी की चुकती अंश पूंजी पर 2% का लाभांश घोषित किया गया।	
1966-67	विकास छूट आरक्षित के लिये 3.09 लाख रुपये की व्यवस्था करने के बाद 51.15 लाख रुपये की हानि रही सामान्य आरक्षितों में से कम्पनी की चुकती पूंजी पर 2 प्रतिशत का लाभांश घोषित किया गया।	यह हानि रुपये के अवमूल्यन के कारण विदेशी उधार दायित्वों के रुपये में रूपांतरण की वजह से राजस्व खाते में हुई। अवमूल्यन के कारण कुल हानि 91.79 लाख रुपये की हुई जिसमें से 40,64 लाख रुपये की हानि कम्पनी ने 1966-67 में ही पूरी कर ली।
1967-68	पिछले वर्ष की हानि के 51.15 लाख रुपये की पूर्ति करके तथा विकास-छूट आरक्षित के लिए 7.96 लाख रुपये और आय-कर के लिए 32 लाख रुपये की व्यवस्था करने के बाद 31.57 लाख रुपये का लाभ रहा। कंपनी की चुकती पूंजी पर 10 प्रतिशत का लाभांश घोषित किया गया।	

(ङ) वर्ष 1968-69 के कार्य-परिणामों के विषय में प्राक्कलन :

कम्पनी को आशा है कि आयकर के लिए 70 लाख रुपये तथा विकास-छूट आरक्षित के लिए 2.50 लाख रुपये की व्यवस्था करने के बाद वर्ष 1968-69 के लिए 50 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया जा सकेगा।

Shri Prem Chand Verma : May I know the yearly production of teleprinters Hindi and English, manufactued by the Hindusthan Teleprinters Ltd. and the prices of these Teleprinters ? I want to know whether the total requirement of the country in this regard is met, and if not, the time by which it would be met by way of increasing the production capacity of this concern ?

Shri Sher Singh : During the years 1965-66, 1966-67, and 1967-68 the total number of english teleprinters manufactured was 2502, 2701 and 3504 respectively. During this year 5010 machines have been manufactured.

Shri Sher Singh : Their prices are changeable. Initially their prices were fixed compartively at lower rate which caused a loss to us. Consequently they were increased. After wards the prices were decreased though this decrease was minor. At present their prices are fairly low. In fact the teleprinters manufactured are of four types. One type of teleprinter which is page model teleprinter (send receive) complete with time-counter and paper out alarm device cost Rs. 7746.

The remaining three types of teleprinters cost Rs. 5959, Rs. 6161 and Rs. 4612 each.

Shri Prem Chand Verma : May I know whether it is a fact that it has been mentioned in the project Report of the company that its actual cost of the production amounted to Rs. 5147 during the year 1966-67 while it should have been to the extent of Rs. 3652 which means 41 per cent more of the assessed cost of production and similarly, during the years 1967-68 and 1968-69 the actual cost of production was Rs. 5440 and Rs. 4829 while it should have been Rs. 2504 and Rs. 1805 respectively ? during the year 1868-69 the actual cost of production was as high as 117 per cent to 167 per cent in comparision to the estimated cost of production.

May I know the steps being taken by the Government to decrease the cost of production in accordance with the project Report ?

Shri Sher Singh : As I have already stated we are making efforts to bring down the price. At present it is 10 per cent less.

अल्प-सूचना प्रश्न
SHORT-NOTICE QUESTION

मुस्लिम पत्रकारों का संघ

\+

22. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धार्मिक आधार पर मुस्लिम पत्रकारों के एक संघ की स्थापना के बारे में सरकार तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में रोष व्याप्त हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त अखिल भारतीय मुस्लिम समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन, नई दिल्ली को सरकार का संरक्षण प्राप्त होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी संस्थाओं की वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) से (ग). सरकार को 'अखिल भारतीय मुस्लिम समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन' की स्थापना के बारे में बड़ा खेद है । जबकि सरकार प्रेस स्वतन्त्रता को बनाए रखने तथा सभी समाचारपत्रों से सम्बन्धित समाचार पत्र सम्पादकों की, और यदि आवश्यकता प्रतीत होती है तो भाषा या क्षेत्र के अनुसार समाचार-पत्रों के समूह की एसोसिएशन के निर्माण किये जाने का स्वागत करती है, पर उसके साथ सरकार का यह विचार है कि इस प्रकार की एसोसिएशन धर्म के आधार पर नहीं बननी चाहिए । परन्तु प्रजातन्त्र में इस प्रकार के संगठनों का विस्तार ज्यादा अच्छी तरह तभी रोका जा सकता है

जबकि ऐसे प्रयत्नों के विरुद्ध तीव्र जनमत तैयार किया जाए। इस संगठन को सरकार के द्वारा किसी प्रकार की मान्यता या संरक्षण नहीं दिया जायेगा।

Shri Beni Shanker Sharma : May I know whether the hon. Minister is aware of the fact that the party in power is divided among themselves and unfortunately the identical environment is being created in the country, as was prevalent during the year 1947, the situation which caused the division of our country despite strong resistance showed by the father of the Nation Mahatma Gandhi ? So many cases of communal riots were noted in the country last year. Persistent demand of creating a district based on communal basis is being made in Kerala, which is on one end of the country. In Delhi which is the Central place a disinterating association of journalists is being formed at the level of communalism. May I know whether the Government are aware of all these facts ? I want to know the names of the papers where representative, took part in the conference in which the decision of forming such an association was taken. I also want to know the principles laid down in that conference in this regard.

Shri Satya Narayan Sinha : What has been mentioned by the hon. Member is not totally correct. So far as the said conference is concerned the Government can not impose any ban, on that. What we should do is to mobilize public opinion in this regard. We are not prepared to give them any financial assistance. We ean also prevent the advertisement in this respect and we will take necessary steps also. But the hon. Member should also be aware of the fact that there are two persons behind this move. Both of them are connected with the two different muslim papers. They are muslim by community and they are being prosecuted by against Delhi Administration. The Government have stopped the advertisements pertaining to those papers. One of them is 'Radiance' and the other is 'ul-jamiyat'

I am not concerned whether they are Congress allies' papers or they are allied to other political parties. We treat them as the Government should do. Any paper, whosoever its proprietor may be, indulging in the illegal activities will be punished by the Government. As I have mentioned, there are particularly two persons behind this move. The other papers owned by the Muslims have not given their any support to them.

Shri Ram Gopal Shalwale : What are the views of Shri Asad Madani who is the Member of Rajya Sabha ?

Shri Beni Shanker Sharma : The hon. Minister has just now mentioned that 'Radiance' and 'ul-Jamiyat' papers are being prosecuted against on account of the charges of spreading poision of communalism. May I know the number of such newspapers prosecuted after the National Integration Conference held in Srinagar and the number of such seperatist papers owned by the Muslims and others separately ?

Shri Satya Narayan Sinha : I want prior notice for that. The hon. Member should know that such papers are prosecuted against through the Ministy of Home Affairs. Recently the hon. Home Minister placed a statement on the table of the House and according to that the total number of papers prosecuted against is 55 and out of them 30 papers are Muslim papers or having their Muslim editors.

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether it is a fact that before taking its explosive decision the Association of Muslim Journalists approached the All India Newspapers Conference and ventilated the grievaness of certain papers before that organisation saying that these papers were not being provided facilities by the Government ? May I know whether their grievances were conveyed to the Government by organisation, and if not, whether out of those which took such a explosive decision, there are certain papers which get advertisements and support from foreign countries ?

Secondly, the hon. Minister has mentioned that no patronage or recognition will be granted by the Government to such organisation which are formed on the basis of raligion.

It is worth appreciable. May I know whether the Government will also announce categorically that no facility of newsprint quota, advertisement etc. will be given to those papers which spread the sense of communalism whether such papers are affiliated to Hindus, Muslims or any other religion ?

Shri Satya Narayan Sinha : So far as the first part of the question is concerned it is doubtful whether certain foreign countries are also involved in this move. I could only apprehend so far and I have also stated the same that the formation of this organisation has been initiated by the two papers. They are the main instigators in this connection.

According to the legal opinion received the Government cannot stop the quota of newsprint alloted to a paper even if that paper is engaged in spreading communalism. But we can stop giving advertisements to such papers. Actually papers do not propagate any religion. There are certain particular reasons for stopping the advertisement to these papers and the main reason for that is that they incite the communal passion. We have already taken such steps. The papers under prosecution belong to Hindus, Muslims and others also indiscriminately. The Government have stopped advertisements to 24 papers at present.

Shri Prakash Vir Shastri : My main question related to something else. The All India Newspaper Editor's Conference is a chain in between the Government and the various newspapers. Any Newspaper suffering from any difficulties is supposed to approach the said conference at the first instance and then it becomes the duty of this conference to convey the grievances of that particular paper to the Government requesting to remove them. I wanted to know, whether the Government had received any complaint in regard to these papers through the All India Newspapers Editors Conference.

Shri Satya Narayan Sinha : As far as I know no grievances were brought to the notice of this conference. In fact, they immediately proceeded with the matter.

श्री एम० मुहम्मद इसमाइल : मुस्लिम पत्रकार संघ की स्थापना के इस समय कई कारण हैं । जून 1968 में श्रीनगर में हुई राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक के बाद देश के बहुत से पत्रों पर उन आरोपों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया जो उन्होंने 1967 में किये थे । उस समय जितने पत्रों पर मुकदमा चलाया गया था उनमें से लगभग 80 प्रतिशत मुस्लिम पत्र या उर्दू पत्र थे । यद्यपि उस समय उन पत्रों की स्थिति बड़ी दयनीय थी तथापि किसी संस्था ने, अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन या अन्य पत्रकार संघ ने, उनकी कोई सहायता नहीं की । उनके साथ सदा घृणा और उपेक्षा का बर्ताव किया गया । इन पत्रों के विरुद्ध उन अपराधों के लिए कार्यवाही की गई जो उन्होंने राष्ट्रीय एकता परिषद् के निर्णय से भी बहुत पहले कभी किये थे । वर्तमान समाचार पत्र संघ उनकी किसी सहायता के लिए नहीं आया । ऐसी स्थिति में उनके लिए चारा ही क्या था । उन्हें अपने बचाव के लिए संगठित होना पड़ा है । जिस समय देश के विभिन्न भागों में प्रचन्ड साम्प्रदायिक दंगों की आग फैली हुई थी उस समय मुस्लिम जनता की कठिनाइयों के बारे में मुसलमानों, मुस्लिम लीग तथा साम्यवादी दल और डी०एम०के० दल ने भी शिकायतें की थीं । उस समय भी अन्य समाचारपत्रों तथा उनके संघों ने उचित कार्यवाही नहीं की । इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम समाचार पत्रों ने अपनी भलाई के लिए तथा अपनी स्वयं सहायता करने के लिए परस्पर एक होने के कदम उठाए । एक माननीय सदस्य ने सभा में उनके विरुद्ध एक यह भी अभियोग लगाया है कि उन्हें विदेशों से सहायता मिल रही है । अतः इन समाचार पत्रों को ऐसे आरोपों से अपनी रक्षा करनी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह बैठ जाय । यह नियमित

बादविवाद नहीं है। प्रश्नोत्तर काल में आप केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बारे में कोई गलत धारणा पैदा हो अतः मैंने पहले उन्हें बोलने दिया। किन्तु यदि वह भाषण ही देते रहे, तो ऐसी अनुमति उन्हें नहीं दी जायेगी। वह एक सम्प्रदाय के प्रतिनिधि हैं अतः मैंने उन्हें कुछ ढील दी थी किन्तु अब अधिक समय उन्हें नहीं दिया जा सकता। अब वह केवल अपना प्रश्न पूछें।

श्री एम० मुहम्मद इस्माइल : मैंने उस प्रश्न की भूमिका प्रस्तुत कर दी है जो मैं अब पूछने वाला हूँ। क्या सरकार किसी संघ या समाचार पत्र को उसकी न्याय संगत या अन्याय संगत कार्यवाहियों को देखते हुए प्रोत्साहन देगी या उसे निराश करेगी अथवा ऐसा करते हुए केवल इतना देखेगी कि उस संघ का नाम क्या है, जिससे किसी पत्र का सम्बन्ध है ? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या समाचार पत्रों को संघों के कार्यकलापों के अनुसार उन पर कोई कार्यवाही की जाती है अथवा केवल नाम के ही आधार पर उसके बारे में निर्णय कर लिया जाता है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मैंने पूर्ण रूप से स्थिति स्पष्ट कर दी है। जहां तक मुकदमों का सम्बन्ध है, उनमें हमारा कोई हाथ नहीं है। समाचार पत्रों पर मुकदमे चलाना राज्य सरकारों का कार्य है। अतः उन मामलों के गुण-दोषों की जांच करना मेरे लिए सम्भव नहीं है। गृह-कार्य मंत्री महोदय ने सभापटल पर जो सूचना रखी है उससे विदित होता है कि 55 में से 30 समाचार पत्र मुस्लिम हैं अथवा उनके सम्पादक मुसलमान हैं। जहां तक इस संघ का सम्बन्ध है हम उसके विरुद्ध जब तक कोई कार्यवाही नहीं करेंगे जब तक वह किसी कानूनों का उल्लंघन नहीं करता। जैसा मैं निवेदन कर चुका हूँ हम केवल दो बातें कर सकते हैं। मुकदमा तो केवल राज्य सरकार ही चला सकती है। अखबारी कागज को भी हम नहीं रोक सकते। कानूनी दृष्टि से हम उसे तब भी नहीं रोक सकते जब वह केवल साम्प्रदायिक प्रचार ही करे। यह मैंने स्पष्टरूप से बता दिया है। किन्तु हम उन्हें विज्ञापन देना बन्द कर सकते हैं। फिर भी इसलिए नहीं कि उन्होंने इस संघ की स्थापना की है। यदि उनका कोई समाचार इस प्रकार की बातों में भाग लेता है तो उसको अवश्य दण्ड दिया जाएगा।

Shri M. A. Khan : The hon. Minister has mentioned the word, 'Muslim Paper'. He has also reiterated these words saying that certain Muslim Papers opposed that move. Replying to a question the hon. Minister also stated that papers did not propagate any religion. It should be recalled that the hon. Minister has repeatedly mentioned certain papers by the name of Hindu papers and Muslim papers. May I know the extent of properiety in using such words *vis-a-vis* his inference that papers do not have any religion of their own ? Would it be proper to connect the religion of an editor with that of the paper with which he is connected ?

Shri Satya Narain Sinha : I agree to what the hon. Member has mentioned. I used these words for the purpose of clarity. So far as the papers are concerned, I still hold the view that papers have no religion as such.

Shri S. M. Banerjee : The hon. Minister has clarified the position for better understanding. I was also distressed on hearing these words. It does not imply that a particular paper should be termed as Muslim paper because of its Editor having a Muslim. Had it been so our country would have been a Muslim State because of having her president a Muslim devine.

But practically it is not so. I feel the hon. Minister has taken an appreciable step to brush aside the misgivings.

It has generally been observed rather felt that Urdu Language is being suppressed in our country and for that the Government of India are more responsible. Certain papers are brought in Urdu Language for giving its better interpretation and to encourage it. The editors of all these papers are not necessarily Muslims. There are Hindu editors also employed in these papers. In the circumstances, may I know whether some sort of discrimination is excercised, pertaining to newsprint quota etc., in regard to these papers on the basis of their language, and if so, whether the hon. Minister will give assurance that in future no such discriminatory attitude will be maintained towards these papers ?

May I also know whether it is not a fact that all the charges made against these papers and all the prosecutions being launched against them are mainly based on the religious grounds and that these charges are not correct to a great extent ? Is it also not a fact that these papers were engaged in encouraging the Muslim minority and not in spreading the communal feelings ? Will the Government make any provision to withdraw the steps of action proposed to be taken against these papers ?

Shri Satya Narayan Sinha : As I have stated just now so far as the prosecution is concerned they are launched by the State Governments.

So far as the newsprint is concerned the policy framed every year in this regard is announced every year. According to that policy the quota of newsprint is allotted to the different papers commensurate with their circulation and the pages.

Shri S. M. Banerjee : 'Paigham' and 'Siyasat' are some of the papers which are alloted newsprint in less quantity.

Shri Satya Narayan Sinha : If the names of such papers are given to the Government by the hon. Member we will certainly look into these matters. I am not aware of the paper which has been referred to by the hon. Member. So far as the allotment of newsprint is concerned it is undertaken in accordance with the policy. As I have already stated we cannot stop quota to a paper on the ground of its indulgence in the communal propaganda or even in its anti-Government attitude.

The second point raised by the hon. Member pertain to Hindi and Urdu languages. I want to bring it to his notice that two papers, titled 'Mother India' and 'Organisor' are being prosecuted at present. Therefore, it is not correct that only Urdu papers or Muslim owned papers are being prosecuted.

Shri S. M. Banerjee : The 'Mother India' paper is actually a paper which even tarnishes this connotation of the word Mother. It is not necessary that it should be a national paper only because of its name being highly dignified 'Mother India.' Action should be taken against such papers. But I also urge upon the hon. Minister that no action should be taken against the papers on the basis of their language, and the religion of their editors.

श्री बलराज मधोक : मैं इस प्रकार के विषय पर आपत्ति करता हूँ।

Shri S. M. Banerjee : The Government have much faith and secularism and thus the discriminatory attitude of the Government toward such papers stands against the policy of secularism.

श्री फ० गो० सेन : हम देखते हैं कि समाचार पत्रों में वास्तविक समाचार की तुलना में अधिक विज्ञापन प्रकाशित होते हैं। मैं जान सकता हूँ कि क्या इस प्रकार की सेक्स उभारने वाली तथा निरर्थक विज्ञापन में वृद्धि होती जाएगी और क्या मंत्री महोदय अखबारी कागज की सप्लाई में वृद्धि करेंगे।

श्री सत्य नारायण सिंह : काम भावना को उभारने वाली।

अध्यक्ष महोदय : यह अलग ही बात है। श्री त्रिदिव कुमार चौधरी।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह विशेष एसोसिएशन, मुस्लिम जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने सरकार से अखबारी कागज के लिए या अन्य बात के लिए कोई विशेष मांग की है। क्या उन्होंने सरकार से कोई विशेष अनुग्रह के लिए प्रार्थना की है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : हमें उनसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री नाथ पाई : इस देश में साम्प्रदायिकता किसी विशेष वर्ग का एकाधिकार नहीं है। हम जानते हैं कि यह विष प्रत्येक वर्ग में फैला हुआ है। उन्होंने जो कहा है उसको सुनकर मैं चौंक गया हूँ। क्या यह उचित है कि श्री सत्य नारायण सिंह जैसे वरिष्ट व्यक्ति धर्म के आधार पर सम्पादकों का, 30 मुसलमान सम्पादक और 20 हिन्दू सम्पादक का, विभाजन करें ? हम इसको सुनकर चौंक गए हैं। हम जानना चाहते हैं कि कितने साम्प्रदायिक वाले पत्र हैं। वे हिन्दू या मुसलमान या ईसाई मत के हो सकते हैं।

श्री सत्य नारायण सिंह : मैंने स्थिति पूर्णतया स्पष्ट कर दी है।

Shri Nath Pai : I heard the hon. Minister very carefully. He said that there were thirty Muslims.

Shri Satya Narain Sinha : I stated that it should not be mentioned that there were thirty Muslim Papers. But I want to tell you that many things are stated in such a way so that people may understand them. It has no meaning as such which the hon. Member is anticipating.

श्री मोहसिन : यह वास्तव में दुःख की बात है कि मुस्लिम सम्पादकों का एक पृथक सम्मेलन बनाया जा रहा है। यह कहा गया है कि उनकी अखिल भारतीय समाचार पत्रों के सम्पादकों जिनमें सब समाचार पत्रों के प्रतिनिधि हैं, के विरुद्ध कुछ शिकायतें हैं। क्या मन्त्री महोदय इन शिकायतों की जांच करेंगे और इनका समाधान करेंगे ताकि किसी भी तरह से यह एसोसिएशन न बन सके।

श्री सत्य नारायण सिंह : उन्होंने कोई भी शिकायतें नहीं की हैं। अगर वे कोई शिकायत करेंगे तो हम निश्चय ही इनकी जांच करेंगे।

श्री समर गुह : श्री मुहम्मद इस्माइल ने एक महत्वपूर्ण बात उठाई है। उन्होंने मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि राष्ट्रीय एकता परिषद् के श्रीनगर सम्मेलन में समाचार पत्रों में साम्प्रदायिक लेखों को रोकने के लिये एक निर्णय किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे बहुत से लेखों के लिए उनको दण्ड दिया जा रहा है और उनके विरुद्ध कदम उठाये जा रहे हैं। परन्तु ये लेख राष्ट्रीय एकता परिषद् की सभा होने से पूर्व प्रकाशित हुए थे। उन समाचार पत्रों के प्रति बदले की भावना अपनाने के स्थान क्या सरकार यह देखेगी कि उन पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ रहा है और उनको केवल चेतावनी ही देगी कम से कम उन्हें अपने आपको ठीक करने का एक बार अवसर तो दीजिये। यह समाचार पत्र भी विषैला साम्प्रदायिक प्रचार कर रहा है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ की ओर दिलाऊंगा कि यह अल्पसंख्यक वर्ग का समाचार पत्र है। उन्हें निश्चय ही अल्पसंख्यक वर्गों की शिकायतों को सामने रखना

चाहिये, परन्तु उनके लेख संयतपूर्ण होने चाहिये विशेषकर उन समाचारपत्रों के जो कि साम्प्रदायिक हैं ।

श्री सत्य नारायण सिंह : मैंने कई बार यह बात स्पष्ट की है कि जहां तक अभियोग चलाने का सम्बन्ध है, यह राज्य सरकार का काम है । वे कार्यवाही करते हैं । वे हमसे सलाह नहीं लेते हैं, हमने उनका उल्लेख यहां कभी नहीं किया है । जो उन्होंने कहा है उसमें हम उनकी सहायता नहीं कर सकते । मैं बहुत सी बातों में सहमत हूँ परन्तु समस्त मामला राज्य सरकारों पर छोड़ा हुआ है और राज्य सरकारें अपने निर्णय तथा स्वविवेक निर्णय के आधार पर यह निर्णय करती है कि उन्हें क्या निर्णय लेना है ।

Shri Shashi Bhushan Bajpai : Now the Communalism is not regarded good in our country. The Hindus regard the Communalism of Muslims bad and the Muslims regard the Communalism of Hindus bad. Both the types of Communalisms are bad. There should be such atmosphere in our country in which the minority papers may have privilege to aim their grievances and everyone particularly the majority should not have objection in it. (*Interruption*). It is said that the minority papers get aid from outside. It is also a kind of strategy for those who want to malign the minority. Are they not entitled to ventilate their grievances ? Will they be punished by doing so ? Unless the Government ban majority papers like Organizer, who propagate Communalism, then what right she has to ban or prosecute minority papers ? Will the Government give special protection to minority papers ?

Shri Satya Narain Sinha : I can reply to the first part of the question. As far as the Organizer is concerned, it is under prosecution.

Shri Balraj Madhok : May I know whether Government think about the newspaper on the basis that certain newspapers belong to majority or minority Community or Government thinks on the basis that the published articles are anti-National Communal and propagate hatred against the other Community ? Will the Government take action against those papers irrespective of their being in majority or minority Community which publish such objectionable items ? It is Communal to think in such cases in terms of majority or minority.

Will those persons be condemned who raise the question of Communalism by writing such articles ?

Shri Satya Narain Sinha : Action will be taken against those papers, whether they belong to majority Community or minority Community, who propagate Communalism. We do not see whether it is in minority or majority. One who propagates such things which result in the damage to the Country and the Society, then action will be taken against them.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Per Capita Income of Landless Labour

*1565. **Shri Ranjit Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3838 on the 20th March, 1969 and state :

(a) the per capita income of the landless labourers ; and

(b) the steps taken to ameliorate their conditions and the result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) The income of landless labourers varies from region to region in the country and also depends upon the season of the year. It reached as high as Rs. 7.50 per day in harvesting season in Ludhiana whereas in off season in the Deccan Plateau and other similar areas, the daily wage dropped down to Rs. 1/- to Rs. 1/50 per day. The National Sample Survey had some studies made in this respect from February, 1963 to January, 1964. The results of this survey put the average per capita income on All-India basis as Rs. 151/- per annum.

(b) Efforts of Government are directed towards increasing the national income and bringing the benefits of this growth home to the largest section of population in the country. The Plan programmes should therefore lead to betterment of the living and working conditions of the landless labourers.

उर्वरक उद्योग सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन

*1567. **श्री नरेन्द्र सिंह महोडा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उर्वरक उद्योग सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

आकाशवाणी से खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में समाचारों का प्रसारण

*1568. **श्री समर गुह** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी से खान अब्दुल गफ्फार खां के वक्तव्यों को, विशेष रूप से पख्तून लोगों के संघर्ष के बारे में, जिनका वे अफगानिस्तान से संचालन कर रहे हैं, अपनी नीति के अनुसार प्रसारित नहीं करती है ;

(ख) क्या आकाशवाणी द्वारा पख्तून आन्दोलन के बारे में काबुल रेडियो के समाचार बुलेटिनों का पुनः प्रसारण नहीं किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार खान अब्दुल गफ्फार खां और पख्तून लोगों के आत्म-निर्णय के उनके आन्दोलन सम्बन्धी समाचारों के प्रसारण के बारे में अपनी नीति में परिवर्तन करेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ०कु० गुजराल): (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) अन्य प्रसारण संगठनों के समाचार बुलेटिन आकाशवाणी द्वारा पुनः प्रसारित नहीं किये जाते ।

(घ) काबुल रेडियो सहित विभिन्न श्रोतों से प्राप्त पख्तून आंदोलन सम्बन्धी समाचार आकाशवाणी अपने बुलेटिनों में प्रसारित करता है । नीति में परिवर्तन करने का प्रश्न नहीं उठता ।

एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग की दूरसंचार सम्बन्धी उप समिति की बैंकाक में हुई बैठक

*1569. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी 1969 में बैंकाक में एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग की दूरसंचार संबंधी उप समिति की बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था ; और

(ग) क्या-क्या निर्णय किये गये ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इसमें मुख्यतः निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था—

(i) एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग के क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं के मौजूदा विकास और भविष्य के लिये योजनाएं ।

(ii) इस क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं में दक्षता ।

(iii) इस क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं ।

(iv) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत तकनीकी सहायता ।

(v) दूरसंचार उप-समिति के विचारार्थ विषय ।

(ग) इस बैठक में लिये गए सामान्य निर्णयों का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 1039/69]

ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज

*1570. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई, दिल्ली और कानपुर में 1969 में ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज स्थापित किए जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो स्वचालित ट्रंक एक्सचेंज स्थापित करने के कार्यक्रम में कानपुर को शामिल करने तथा कलकत्ता को इसमें शामिल न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) इन पर (बम्बई, दिल्ली, कानपुर) कितना-कितना व्यय होने का अनुमान है ;

(घ) कलकत्ता में ये (स्वचालित ट्रंक एक्सचेंज) कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है; और

(ङ) कलकत्ता में इत एक्सचेंजों पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) कलकत्ता के स्थानीय एक्सचेंज एक विशेष किस्म के हैं जिसे डायरेक्टर प्रणाली' कहा जाता है । तकनीकी दृष्टि से यह एक ऐसी प्रणाली है कि सीधी ट्रंक डायलिंग चालू करने के लिये इसमें फेर-बदल आवश्यक होता है । अब कलकत्ता की प्रणाली में यह परिवर्तन किये जा रहे हैं ;

फिर भी, कानपुर में जहां ऐसी कठिनाइयां नहीं थीं और दिल्ली कलकत्ता सहधुरीय केबिल व्यवस्था के विश्वसनीय परिपथों का उपयोग किया जा सकता था, वहां ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज लगाना लाभकर समझा गया ।

(ग) बम्बई, दिल्ली और कानपुर में ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज लगाने की परियोजना की अनुमानित लागत इस प्रकार है—

बम्बई—88.18 लाख रुपये

दिल्ली—83.97 लाख रुपये

कानपुर—39.70 लाख रुपये

इसमें लम्बी दूरी के सम्बद्ध परिपथों, सीमान्त उपस्कर और केबिल की लागत शामिल नहीं है ।

(घ) कलकत्ता ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज के लिए उपस्कर प्राप्त करने के लिये मेसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज को आर्डर दे दिया गया है और इसमें से कुछ उपस्कर प्राप्त भी हो चुके हैं । यह ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज 1972-73 तक तैयार हो जाने की संभावना है ;

(ङ) कलकत्ता के ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज की अनुमानित परियोजना लागत 103.14 लाख रुपये है ।

दिल्ली में सरकारी बेकरियों द्वारा डबल रोटी का उत्पादन

1511. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सरकार द्वारा प्रायोजित बेकरियों में तैयार की गई डबल रोटियों की किस्म सन्तोषजनक नहीं है और इस सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो इनकी किस्म सुधारने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कठिनाइयां अनुभव की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कोई नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

कांडला उर्वरक परियोजना

*1572. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक आफ अमरीका ने कांडला उर्वरक परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा देने की इच्छा प्रकट की है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिये कितनी विदेशी मुद्रा दिये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इस परियोजना में सरकार का क्या अंशदान होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) और (ख) कुछ समय पहले तैयार किए गए प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार परियोजना के लिए लगभग 500 लाख डालर की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता थी । बैंक आफ अमरीका ने इस सीमा तक ऋण देने की इच्छा प्रकट की है । उनका प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ग). सरकार इण्डियन फार्मज फरटीलाइजर कापरेटिव लिमिटेड को अंश पूंजी में 18 करोड़ रुपये का अंशदान देगी ।

अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनर्विलोकन समिति का प्रतिवेदन

*1573. **श्री सीताराम केसरी** : **श्री रामावतार शर्मा** :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनर्विलोकन समिति के छोटे किसानों की विकास एजेंसियों के रूप में देश भर में अग्रिम परियोजनाओं का जाल बिछाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). जी, हां । कुछ चुने हुए जिलों में मार्गदर्शी आधार पर छोटे किसानों की विकास संस्थाएं स्थापित करने की योजना विचाराधीन है ।

Rice Mills in Madhya Pradesh

*1574. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have provided loans to the State of Madhya Pradesh for the establishment of Rice Mills in that state ;

(b) the total amount of loans provided and the number of Rice Mills for whose establishment it has been provided ;

(c) number of mills which have started functioning ; and

(d) in case most of the mills have not yet been commissioned, the reasons therefor and the action taken by Government to commission them at an early date ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Tne National Cooperative Development Corporation has provided loan assistance to the State Government of Madhya Pradesh for the establishment of the rice mills by cooperatives.

(b) An amount of Rs. 233.13 lakhs has been provided to the State Government of Madhya Pradesh as loan for the establishment of 99 cooperative rice mills.

(c) 77 rice mills have already been commissioned.

(d) The remaining units are at various stage of installation.

Quota of Imported Sheets for Irrigation Purposes

*1575. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the quota of imported B. P. Sheets, G. P. Sheets, G. B. Sheets and Black Tin Sheets has been given to the various State Governments for the last several years to make equipment for irrigation purposes for making the small scale irrigation schemes effective ;

(b) if so, the thickness (gauge) of the sheets in respect of which quota has been given and the use to which the said quota was put by the State Governments ;

(c) whether the Central Government are aware that the State Governments have not manufactured irrigation equipments from these sheets and sold them in black market ; and

(d) if so, the details in this regard and the action taken by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir. There has been no allocation of quota of imported sheets to States since 1964-65. Only actual users' licences have been issued to parties as admissible under the Import Policy in force at the relevant time.

(b) to (d). Do not arise.

टेलीफोन बार्ड योजना

*1576. **श्री गार्डिलिगन गाड :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान में प्रचलित योजना के समान भारत में भी टेलीफोन बांड योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) टेलीफोन बांड जारी करने की योजना को क्रियान्वित नहीं किया गया।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों का दिल्ली में पहुंचना

*1577. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से हाल में बड़ी संख्या में शरणार्थी दिल्ली में आये हैं ;

(ग) उन्हें अब तक क्या सहायता दी गई है।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). अक्तूबर, 1968 से मार्च, 1969 के बीच पूर्वी पाकिस्तान से आये नये प्रवासियों के लगभग 722 कृषक-परिवार तथा 140 गैर-कृषक परिवार, जिन्हें मध्य प्रदेश के पन्ना तथा सरगुजा, आंध्र प्रदेश के ईसागांव तथा बिहार के फोरबेशगंज तथा मधुबानी पुनर्वास स्थलों में बसाया गया था, जत्थों में दिल्ली आये थे।

नये प्रवासियों के पन्ना से आये 147 परिवारों और फोरबेशगंज से आये 33 परिवारों को जिन्हें बिहार के पूर्निया जिले के मंरंगा शिविर में फिर से प्रवेश दे दिया था, छोड़कर इन सभी परिवारों को उनके मूल पुनर्वास स्थलों को वापिस भेजने के लिये राजी कर लिया गया।

इन परिवारों को निर्धारित पैमानों के अनुसार पुनर्वास सहायता प्रदान की गई थी। विभिन्न पुनर्वास परियोजनाओं में भारत सरकार द्वारा प्रत्येक प्रवासी कृषक परिवार पर औसत लगभग 12,000 रुपये खर्च किये जा रहे हैं। यह खर्च रिहायशी आवास के निर्माण, सड़कों, स्कूल सहित सामुदायिक केंद्र चिकित्सा सुविधाओं, जल संभरण व्यवस्था, कृषि औजारों, बीजों, उर्वरक बैलों, नाशिकीटमार, भरण-पोषण सहायता, सस्ती दरों पर चावल और या गेहूँ के राशन के दिये जाने, प्रवासी कृषक परिवारों के लिए गौण व्यवसाय इत्यादि से सम्बन्धित है। प्रत्येक गैर-कृषक प्रवासी परिवार के पुनर्वास पर शहरी क्षेत्र में लगभग 9,600 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 7,250 रुपये खर्च किये जा रहे हैं और इसमें, व्यापार ऋण, रिहायशी आवास, दुकानें, भरण-पोषण सहायता इत्यादि सम्मिलित हैं।

उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल संसोधनों का सर्वेक्षण

1578. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल संसाधनों का कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल से अनुमानतः कितने एकड़ भूमि में सिंचाई होने की संभावना है ; और

(ङ) उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में भूमिगत जल किस अनुपात में उपलब्ध है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के कुछ भागों में लगभग 1,00,00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में योजनाबद्ध रूप में भूजल सम्बन्धी सर्वेक्षण किया है । भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने बेसिनवार भूमिगत जल के विकास के लिए कार्यक्रम आरंभ किया है और उसकी यह योजना है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक समूचे उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जायेगा । इसके अतिरिक्त प्रयोगात्मक नलकूप संस्था, जो कृषि विभाग की एक अधानस्थ संस्था है, ने वर्ष 1956 से उत्तर प्रदेश में प्रयोगात्मक रूप से नलकूपों की खुदाई का कार्य आरम्भ किया था । इस संस्था ने 49 नलकूप खोदे हैं जिनमें से 39 नलकूप उपयोगी सिद्ध हुए हैं तथा शेष कुओं पर घटिया किस्म के पानी अथवा कम पानी की उपलब्धता के कारण कार्य छोड़ दिया गया । खोदे गये 49 नलकूपों का जिलावार विवरण इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	जिला	कुल खोदे गये कुएं	सफल	छोड़े गये
1	मथुरा	7	1	6
2	आगरा	5	4	1
3	एटा	1	1	—
4	मैनपुरी	2	2	—
5	बलिया	1	1	—
6	गाजीपुर	2	2	—
7	इलाहाबाद	2	2	—
8	फैजाबाद	2	2	—
9	सुल्तानपुर	1	1	—
10	जौनपुर	1	1	—
11	आजमगढ़	1	—	1
12	बिजनौर	4	2	2
13	नैनीताल	9	9	—
14	सहारनपुर	2	2	—
15	देहरादून	9	9	—
		49	39	10

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) राज्य में लघु सिंचाई के लिए दीर्घ कालीन भूमिगत जल की संभावनाओं का केवल मोटा अनुमान लगाया है, जो भूतत्वीय स्थिति की भिन्नता के कारण वर्षा के जल का प्रभाव, नहरों नालों आदि से उपलब्ध होने वाला जल तथा भाप बनने और भूमि के नीचे पानी बहने के दौरान

होने वाली पानी की क्षति पर आधारित है। उत्तर प्रदेश में दीर्घकालीन भूमिगत जल विकास योजनाओं से अनुमानत: 1 करोड़ 60 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होगी।

(ङ) उत्तर प्रदेश में देश में विद्यमान कुल भूमिगत जल का लगभग 30 प्रतिशत जल होने का अनुमान है।

सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की बहाली

*1579. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **सूचना तथा प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी सरकारी विभागों को आदेश दिये हैं कि सितम्बर की हड़ताल में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों को, केवल उन कर्मचारियों को छोड़कर जो हड़ताल का आयोजन करने में अग्रणी रहे थे, पुन: नौकरी पर ले लिया जाए ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि दिल्ली में डाक तथा तार विभाग ने ऐसे कर्मचारियों को बहाल करने से इंकार कर दिया था जो 31 मार्च, 1969 को काम करने के लिये ड्यूटी पर गए थे ; और

(ग) क्या इस मामले की जाँच की गई है और यदि हां, तो क्या वे सभी कर्मचारी जो सरकार द्वारा घोषित नर्म नीति के अन्तर्गत आते हैं, बहाल किये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को रियायत देने के सम्बन्ध में गृह-मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेश डाक-तार विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालयों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए अग्रेषित कर दिये गए हैं।

(ख) दिल्ली में सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण जिन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था या जिन पर मुकदमा चलाया गया था, वे सेवा पर वापिस आने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों के पास 31 मार्च, 1969 को नहीं पहुंचे थे।

(ग) गृह सेवा मंत्रालय के अनुदेशों के अन्तर्गत सेवा में वापिस लिये जाने के पात्र दिल्ली के सभी डाक-तार कर्मचारियों को पहले ही सेवा में वापिस ले लिया गया है।

Development Agencies for Small Farmers

*1580. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) weether Government propose to set up small farmers development agencies in the States at the district-level to advance loans to the poor farmers ;

(b) if so, the number of such agencies proposed to be set up in Rajasthan, district-wise ;

(c) when these are likely to be set up ; and

(d) what are the functions of these agencies ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes Sir, the proposal for setting up of

Small Farmers Development Agencies in certain selected districts of the States on pilot basis is under consideration.

(b) and (c). The scheme is yet to be finalised.

(d) The principal functions of the agency will be (i) to identify the problems of small but potentially viable farmers in its area and help to ensure the availability of inputs, services and credit ; (ii) the agency will draw up model plans for investment and production activities to be undertaken by small farmers operating under different sets of conditions ; (iii) it will coordinate the activities of the existing institutions. Public, Cooperative and Private and also the local authorities such as Zila Parishad ; (iv) the agency will provide grants to Central Cooperative Banks, the Agricultural Credit Societies and the Cooperative Land Development Banks to cover their loaning risks for financing such farmers and to help them build up special funds for the purposes (v) it will provide subsidy to cooperative institutions for strengthening their managerial and supervisory staff ; (v) it will arrange to provide custom services by providing tractors, agricultural machinery, rigs, boring equipment on hire at reasonable rates to the small farmers ; (vii) it will render assistance for development of animal husbandry and poultry which will benefit the small farmers.

कलकत्ता में राष्ट्रीय प्रचार संस्था (फोरम) का बनाया जाना

*1581. **श्री भगवान दास** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चीन-भारत संघर्ष के समय कलकत्ता में एक राष्ट्रीय प्रचार संस्था बनाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो यह संस्था किस तारीख को बनाई गई थी ;

(ग) इस संस्था के अध्यक्ष तथा सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(घ) इस संस्था ने कितनी धन-राशि एकत्र करली है और इसका उपयोग किस प्रकार किया गया था ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में उनकी अपीलों का प्रचार किस प्रकार किया गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

कुछ राज्यों में सामुदायिक विकास विभाग का समाप्त किया जाना

*1582. **श्री द० रा० परमार** :
श्री देवेन सेन :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों में अब तक सामुदायिक विकास को समाप्त कर दिया है ;

(ख) क्या ऐसा केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों ने इसको समाप्त करने के लिए क्या कारण दिये हैं और

क्या इससे बाकी राज्यों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की भावी प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे : (क) सामुदायिक विकास विभाग किसी भी राज्य में समाप्त नहीं किये गये हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों को नौकरी

*1583. **श्री किकरसिंह** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1965 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से उत्तीर्ण होकर निकलने वाले भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों की नौकरी सम्बन्धी स्थिति का पता लगाने के लिये अखिल भारतीय सर्वेक्षण आरम्भ किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) सर्वेक्षण के मुख्य परिणामों का ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

अक्तूबर, 1965 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से उत्तीर्ण हुए भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों सम्बन्धी सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण परिणामों का ब्यौरा नीचे अनुसार है :—

(1) सर्वेक्षण के समय भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों की एक बड़ी संख्या नौकरी में लगी पाई गई। सर्वेक्षण के अधीन आये भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या में 25 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थी ऐसे थे जिन्होंने अपने आपको उत्तीर्ण होने के दिन से लगातार बेरोजगार बताया।

(2) भूतपूर्व प्रशिक्षार्थियों में से अधिकांश प्रशिक्षणार्थी (80 प्रतिशत से अधिक) उन्हीं व्यवसायों में जिनमें उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था अथवा उनसे सम्बद्ध व्यवसायों में काम पर लगे पाये गये।

(3) इसी दौरान नौकरी प्राप्त भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों में 80 प्रतिशत से अधिक को प्रशिक्षण समाप्त करने के एक वर्ष के अन्दर रोजगार प्राप्त हुआ।

(4) आधे से अधिक (56 प्रतिशत) भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थी औसतन 100 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रतिमास तक के वेतन दर पर नियुक्त थे। भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या का पाँचवां भाग 200 रुपये प्रतिमास से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था।

आसाम में चावल मिलें

*1584. **श्री रा० बरुआ** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में बहुत सी चावल मिलें बेकार पड़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है और उनके बेकार पड़े रहने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या ऐसी मिलों में लगाई गई पूंजी का कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो वह कुल कितनी राशि है ; और

(घ) क्या सरकार की वर्तमान खाद्य नीति के कारण इतनी अधिक चावल मिलें बन्द हो गई हैं और इन मिलों को चलाने/औद्योगिक दृष्टि से पहले से पिछड़े हुए आसाम के लिये लाभदायक ढंग से पूंजी निवेश करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (घ) असम की राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उर्वरकों पर प्रशासन खर्च लगाना

*1585. **श्री नंजा गोडर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम को केन्द्रीय पूल के लिए निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त प्रति टन उर्वरक पर 12 रुपये प्रशासन खर्च लेने की अनुमति दी जाती है ; और

(ख) क्या सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने के हित में प्रशासनिक व्यय को यथा संभव कम-से-कम करने पर विचार करेगी ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

काश्मीर में विस्थापित सम्पत्ति पर स्वामित्व

*1586. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कश्मीर सरकार ने पाकिस्तान-अधिकृत काश्मीर से आये विस्थापित व्यक्तियों को विभाजन के समय काश्मीर से चले गये लोगों की सम्पत्ति के स्वामित्व का अधिकार देने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या सम्पत्ति छोड़कर जाने वालों को मुआवजा देने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या इन विस्थापितों द्वारा पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में छोड़ी गई सम्पत्तियों के लिये पाकिस्तान सरकार ने मुआवजा दिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो काश्मीर सरकार द्वारा इस सम्पत्ति के लिये मुआवजा दे ने के क्या कारण हैं।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क), (ख) और (घ) जिन व्यक्तियों को पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर क्षेत्र में चले गए लोगों की भूमि

अलाट की गई थी, उनको उस भूमि का स्वामित्व अधिकार देने के सम्बन्ध में एक बिधेयक जम्मू तथा काश्मीर विधान मंडल के विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं।

Levy on Foodgrains

*1587. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have asked the State Governments at abolish levy on foodgrains ;

(b) if so, the States where such levy would be abolished ; and

(c) the States where alternative levy would be imposed by them ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir. The methods of procurement have been left to the State Governments to decide keeping in view the local conditions.

(b) and (c). Do not arise.

लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना की बकाया राशि

*1588. **श्री शशि भूषण :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर पर कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना और कर्मचारियों की कितनी राशि बकाया है ; और

(ख) इन बकाया देय राशियों को वसूल करने के लिए क्या कर्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). कर्मचारी भविष्य निधि योजना तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना क्रमशः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम से प्रशासित होती हैं। उनसे जो स्थिति मालूम हुई वह नीचे दी जाती है :—

कर्मचारी भविष्य निधि : फरवरी, 1969 तक की बकाया राशि जिसमें हरजाना भी शामिल है, 20.20 लाख रुपया है। कम्पनी की सम्पत्ति कुर्क कर दी गई है। अधिनियम तथा योजना का ठीक परिपालन न करने पर कम्पनी के विरुद्ध चलाये गये अभियोजन न्यालय के विचाराधीन हैं। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अधीन एक शिकायत स्थानीय पुलिस अधिकारियों को कर दी गई है और मामले की तहकीकात की जा रही है।

कर्मचारी राज्य बीमा : जनवरी, 1969 तक की बकाया राशि 10.05 लाख रुपये है। 9.45 लाख रु० की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही की गई है और कम्पनी की सम्पत्ति कुर्क कर दी गई हैं। शेष रकम की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही करने का प्रश्न विचाराधीन है। प्रबंधकों के विरुद्ध चलाये गए अभियोजनों में क्रमशः जुलाई 1966 और अप्रैल, 1969 में उन

पर दो बार जुर्माना किया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत एक शिकायत भी दर्ज कर दी गई है।

जहां तक श्रमिकों की बकाया राशि का संबंध है, यह मामला कार्यवाही के लिए राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड की निर्यात से आय

*1589. **श्री तुलसीदास दासप्पा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद के निकट नैनी स्थित इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नये कारखाने के कब तक पूरा होने तथा उसमें कब तक उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है ;

(ख) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने 1967-68 तथा 1968-69 में कुल कितना निर्यात किया था ; और

(ग) उससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई थी ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) नैनी में नये कारखाने की स्थापना पांच वर्ष लेगी। इस अवधि के दौरान प्रगामी रूप से भवनों का निर्माण तथा मशीनों का अधिष्ठापन किया जायगा। इसकी स्थापना के दूसरे वर्ष से उत्पादन आरम्भ हो जायेगा।

(ख) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड द्वारा 1967-68 और 1968-69 के दौरान किये गये निर्यात का कुल मूल्य क्रमशः 51.36 लाख रुपये और 72.31 लाख रुपये (अनन्तिम) था।

1967-68 और 1968-69 के दौरान निर्यात से अर्जित विदेशी-मुद्रा की राशि क्रमशः 50.22 लाख रुपये तथा 71.61 लाख रुपये (अनन्तिम) थी।

मैसूर में चीनी बनाने के लिये लाइसेंस

*1590. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **खाद्य, तथा कृषि**, मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में चीनी बनाने सम्बन्धी कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ;

(ख) मैसूर सरकार ने कितने आवेदन-पत्रों की सिफारिश की थी ;

(ग) क्या भारत सहकारी शक्कर कारखाना कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने मैसूर राज्य में मांडया जिले में चीनी बनाने का लाइसेंस लेने के लिये आवेदन-पत्र भेजा है ;

(घ) क्या उस आवेदन-पत्र को इस बीच वापिस लिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) प्रन्द्रह।

(ख) सात।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय

8826. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे भारत में भारतीय खाद्य निगम तथा खाद्य विभाग के अन्य कार्यालयों के स्थान के लिए किराये के रूप में सरकार द्वारा प्रतिमास कितनी धनराशि खर्च की जाती है ;

(ख) समूचे देश में किराये पर लिए गए गोदामों के लिये प्रतिमास कितना किराया दिया जाता है ;

(ग) देश में गोदामों के निर्माण के लिए कुल कितनी धनराशि लगाई गई है।

(घ) केन्द्र में तथा राज्यों में खाद्य विभाग में कुल कितने कर्मचारी (प्रथम श्रेणी से चौथी श्रेणी) काम करते हैं और उनको प्रतिमास कितना वेतन आदि के रूप में दिया जाता है : और

(ङ) खाद्यान्नों का रक्षित भण्डार बनाने पर कितनी धनराशि रुकी पड़ी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय श्रम प्रबंध अध्ययन संस्था, नई दिल्ली

8827. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय श्रम प्रबन्ध संस्था, नई दिल्ली में प्रशिक्षण के लिए केवल सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के व्यक्ति ही चुने जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संस्था में पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार पढ़ाये गये पाठ्य तथा कार्यक्रमों का स्वरूप क्या था व उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संस्था में प्रशिक्षण के किन वर्गों के व्यक्तियों को प्रविष्ट दिया गया ;

(घ) क्या सरकारी उपक्रमों के कार्मिक संघों के कार्यकर्त्ताओं और सुरक्षित व्यक्तियों को भी शामिल होने की अनुमति है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या भविष्य में उनको इस संस्था में दाखिल होने दिया जायेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) संस्थान में दिया जाने वाला प्रशिक्षण प्रधानतया केन्द्र तथा राज्यों के श्रम विभागों के अधिकारियों के लिए है, किन्तु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा रेलवे इत्यादि के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया है । इन्हीं के साथ कोलम्बो तथा अन्य तकनीकी सहायता योजनाओं के अन्तर्गत दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्वी एशियायी और राष्ट्र-मण्डलीय तथा अफ्रीकी देशों के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया है ।

(घ) तथा (ङ). "सुरक्षित व्यक्तियों" का अर्थ स्पष्ट नहीं है, किन्तु यदि "सुरक्षित व्यक्तियों का अर्थ सुरक्षित कामगरों से है जैसा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (3) के स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है तो कामगर तथा श्रमिक संघों के कार्यकर्त्ताओं को इस संस्थान में प्रवेश नहीं मिलता । एक प्रथक योजना के अधान कामगरों के प्रशिक्षण के लिये व्यवस्था है, किन्तु यदि वरिष्ठ कामगर या पदाधिकारी इस संस्थान में मिलने वाला प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहें तो इस प्रकार के सुझाव पर उस समय विचार किया जायेगा जब कि कार्यक्रम की परिधि बढ़ाने के बारे में निर्णय लिया जा रहा हो ।

भारतीय श्रम प्रबन्ध अध्ययन संस्था, नई दिल्ली में भाषण

8828. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय श्रम प्रबन्ध अध्ययन संस्था, नई दिल्ली में संकाय के प्राध्यापक तथा आगन्तुक प्राध्यापक केन्द्रीय तथा राज्य औद्योगिक सम्पर्क विभागों के अधिकारियों में से ही चुने जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रमुख अध्यापन संस्थाओं और गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों से लोगों को इसके लिए न बुलाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अथवा अमरीकी सहायता मिशन अथवा एशियाई उत्पादकता परिषद् आदि से भी किसी प्रकार की कोई सहायता ली जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) भारतीय श्रम अध्ययन संस्थान के संकाय सदस्य केन्द्रीय औद्योगिक संबंध विभागों के कर्मचारियों में से ही चुने जाते हैं ; किन्तु आगन्तुक प्रध्यापक तथा आमंत्रित वक्ता दूसरे उचित श्रोतों से भी लिये जाते हैं ।

(ख) महत्वपूर्ण अध्यापन संस्थाओं तथा निजी क्षेत्र के उपक्रमों के योग्य व्यक्तियों के भी आमंत्रित वक्ता के रूप में निमंत्रित किया जाता है ।

(ग) तथा (घ). अमरीकी सहायता मिशन ने 1965 से 1968 की अवधि में संस्थान को चार परामर्शदाता उपलब्ध किये । इसके साथ ही कुछ उपकरण जैसे मोसन पिक्चर, साउण्ड प्रजेक्टर, टेप रिकार्डर, डुप्लीकेटिंग मशीन तथा अन्य उप-साधन भी दिये हैं । केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध विभागों के छः अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया । इन में से पांच को अमरीकी सहा-

यता कार्यक्रम के अन्तर्गत और एक को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन शिक्षावृत्ति के अन्तर्गत प्रशिक्षण मिला। एशियायी उत्पादकता परिषद् से कोई भी सहायता प्राप्त नहीं हुई।

पाकिस्तान के साथ फिल्मों का आदान-प्रदान

8829. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चलचित्र निर्माता संघ के अध्यक्ष ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भेजे एक तार में भारत और पाकिस्तान के बीच फिल्मों के आदान-प्रदान में विश्वास व्यक्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार भारतीय फिल्मों का पाकिस्तान में निर्यात फिर से शुरू होता देखना

पश्चिम बंगाल में विदेशी चलचित्रों पर प्रतिबन्ध

8830. **श्री जुगल मंडल : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल सरकार ने किन-किन बिदेशी चलचित्रों पर प्रतिबंध लगाया है ; और

(ख) उन पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड के पास प्राप्त जानकारी के अनुसार गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किसी भी विदेशी फिल्म पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

पश्चिम बंगाल में सिंचाई योजनाएं

8831. **श्री जुगल मंडल : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में इस समय कितनी बड़ी और छोटी सिंचाई योजनाएं चल रही हैं और इस समय कितनी योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) कितनी योजनाएं पूरी हो गई हैं और कितनी योजनाएं विचाराधीन हैं ; और

(ग) क्या किसी योजना के बारे में विवाद है और यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल में इस समय दो बड़ी सिंचाई योजनाओं को कार्यरूप दिया जा रहा है, जिसका नाम मयूराक्षी जलाशय प्रायोजना और कांगसबत्ती प्रायोजना है। इसमें से

किसी के विषय में कोई झगड़ा नहीं है। राज्य सरकार ने अपनी ड्राफ्ट चतुर्थ योजना में किसी अन्य बड़ी सिंचाई योजना का प्रस्ताव नहीं रखा है। लघु सिंचाई की स्टेट प्लान स्कीमों के विषय में पश्चिम बंगाल सरकार से जानकारी आनी है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी राज्य सरकार की अलग अलग लघु सिंचाई की योजनायें भारत सरकार स्वीकार नहीं करती। लघु सिंचाई के समग्र कार्यक्रम के लिए एक राशि के रूप में व्यय स्वीकार किया जाता है न कि पृथक-पृथक योजनाओं के लिये।

गुजरात में फलों की खेती

8832. **श्री सोमचन्द होलंकी** : क्या खाद्य, तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितने फल अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये गये हैं ;

(ख) क्या व्यापार स्तर पर विकास के लिए बिभिन्न किस्मों के फल उगाने के लिए गुजरात राज्य की भूमि का परीक्षण किया जायेगा ;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने फल अनुसंधान केन्द्र के लिए गुजरात राज्य में कोई क्षेत्र चुना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (घ). पिछले कुछ वर्षों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने देश में फलों पर अनुसंधान करने के लिए कोई अनुसन्धान केन्द्र स्थापित नहीं किया है। फिर भी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विभिन्न सस्य-जलवायु वाले क्षेत्रों में चुनिंदा फलों पर सघन अनुसंधान करने के लिए अनेक फल-अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के विचाराधीन है। ये केन्द्र इस प्रकार स्थापित किये जायेंगे कि वे क्षेत्र के आधार पर देश के सभी प्रमुख फल उगाने वाले क्षेत्रों को आवरित कर सकें। गुजरात राज्य के हितों का ध्यान भी रखा जायेगा।

नलकूप लगाने के लिये राजस्थान को वित्तीय सहायता

8833. **श्री रामावतार शर्मा** : खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य के रेगिस्तानी जिलों में नलकूप लगाने के लिए भारत सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). राजस्थान सरकार ने राज्य के मरुभूमि वाले जिलों में नलकूप लगाने के लिये भारत सरकार से कोई विशेष वित्तीय सहायता नहीं मांगी थी। फिर भी सूखे द्वारा उत्पन्न हुई स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए अक्तूबर, 1968 में राज्य का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 1968-69 में सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में

60 नलकूप लगाने के लिए 85 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि राज्य सरकार को ऋण के रूप में निर्मुक्त करने का निर्णय किया ।

पटसन उद्योग के कर्मचारियों को हटाना

8834. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गत छः महीनों में पटसन उद्योग के लगभग 30,000 श्रमिकों को हटाये जाने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है ; और

(ग) हटाए गये श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में है ।

पटसन उद्योग में श्रमिकों की हड़ताल

8835. **श्री रामावतार शर्मा :**

श्री रा० कृ० सिंह :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि 'इंटक' ने पटसन उद्योग के कर्मचारियों को अपनी पुरानी शिकायतों को दूर कराने के लिए अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करने के लिये तैयार रहने को कहा है ?

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) पटसन उद्योग में हड़ताल के टालने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में है ।

उड़ीसा में भू-जलीय सर्वेक्षण

8836. **श्री न० रा० देवघरे :** **श्री तुलसी दास दासप्पा :**

श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सहायता अकस्मात् बन्द कर दिये जाने के कारण, उड़ीसा में भू-जलीय सर्वेक्षण कार्य बिल्कुल ठप्प हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). वर्ष 1966-67 में भू-जल सर्वेक्षण तथा जांच पड़ताल के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना आरम्भ की गई थी जिसके लिए 50 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा मंजूर किया गया था। खोदे गये कुओं, खोदे गये एवं बोर किये गये कुओं तथा उथले नल-कूपों के माध्यम से भूमिगत जल का उपयोग करने के हेतु भूमिगत जल योग्य क्षेत्रों का पता लगाने के लिए योजना में भू-जलीय सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित उपर्युक्त योजनाओं की क्रियान्विति के लिए वर्ष 1966-67 से 1968-69 तक की अवधि में उड़ीसा सरकार को भारत सरकार के 50 प्रतिशत के अंश के निम्नलिखित अनुदान मंजूर किये गये थे :—

1966-67	1.75 लाख रुपये
1967-68	3.94 लाख रुपये
1968-69	4.00 लाख रुपये

राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफारिश पर भूमिगत जल सर्वेक्षण तथा जांच पड़ताल की योजना राज्य योजना की योजना के रूप में चौथी पंचवर्षीय योजना में जारी रहेगी। यह योजना प्रायः सब राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है और वर्ष 1969-70 से इसे राज्य योजना मानने का निर्णय न केवल उड़ीसा पर अपितु सब सम्बन्धित राज्यों पर लागू होता है।

Production of Bajra, Wheat and Cotton

8837. **Shri Deo Rao Patil** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the per hectare production of Bajra, Wheat and Cotton in the country during 1967-68 ;

(b) the State where such production was maximum and Minimum respectively ; and

(e) the per hectare production of Bajra, Wheat and Cotton in the country at present ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community, Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The yield per-hectare of bajra, wheat and cotton in India during 1967-68 is as under :—

Crop	Yield per hectare (in kgs.) (based on All-India Final Estimates 1967-68)
Bajra	409
Wheat	1111
Cotton	124

(b) The names of states where yield per hectare during 1967-68 was maximum and minimum are indicated below :—

Crop	State with maximum yield	State with minimum yield
Bajra	Punjab	Maharashtra
Wheat	Punjab	Mysore
Cotton	Punjab	Mysore

(c) Data on area, production and yield of these crops for 1968-69 would become available only after the close of the current agricultural year sometime in July-August 1969.

दिल्ली में राशन कार्ड वालों को गेहूं की सप्लाई

8838 **श्री न० रा० देवधरे** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में राशन कार्ड वालों को महीने में केवल दो सप्ताह के लिये ही गेहूँ दिया जा रहा है और कभी-कभी तो उन्हें दो सप्ताह का गेहूँ का आटा भी नहीं दिया जाता ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय से राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). दिल्ली में 21-2-1968 से खुले बाजार में गेहूं बेचने की अनुमति देने से उपभोक्ताओं को बिनाकिसी रुकावट के गेहूँ मिल रहा था। 8 मई, 1968 से औपचारिक रूप से राशन हटा लिया गया था । तथापि, उचित मूल्य की दुकानों से गेहूँ का वितरण अनौपचारिक आधार पर चलता रहता है। उचित मूल्यों की दुकानों से जनवरी से अप्रैल, 1969 तक की अवधि के लिए कुल 28 किलो प्रति वयस्क देने का आदेश दिया गया था जो कि यह मात्रा प्रति वयस्क प्रति मास 7 किलोग्राम बैठती है ।

आकाशवाणी, दिल्ली का संगीत जांच मंडल

8839. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी, दिल्ली के संगीत जांच मंडल के सदस्यों के नाम, निवास स्थानों के पते और अर्हताएं क्या हैं और बैठक में भाग लेने के लिये प्रत्येक सदस्य को क्या पारिश्रमिक फीस, यात्रा तथा अन्य भत्ते दिये जाते हैं ;

(ख) गत वर्ष संगीत जांच मंडल द्वारा किस प्रकार का और कितना कार्य किया गया था और इनके कार्य के सम्बन्ध में भत्तों आदि के रूप में कुल कितनी धन-राशि खर्च की गई थी ; और

(ग) गत वर्ष दिल्ली में कितनी बैठक हुई और जिन व्यक्तियों ने उन सभी बैठकों में

भाग लिया था, उनके नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने उस वर्ष के दौरान भत्तों के रूप में कितनी धन-राशि प्राप्त की थी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालत तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें आकाशवाणी के संगीत स्वर परीक्षा बोर्ड के सदस्यों के नाम, निवास स्थानों के पते तथा अर्हतायें दी हुई हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 1040/69] । संगीत स्वर परीक्षा बोर्ड की स्वर परीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए एक गैर-सरकारी सदस्य को प्रति उम्मीदवार की रिकार्डिंग के हिसाब से दो रुपये तथा भारत प्रथम श्रेणी के अधिकारी को प्राप्त होने वाला यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जाता है। तथापि, स्थानीय सदस्य यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के अधिकारी नहीं हैं परन्तु उनको वास्तविक सवारी किराया दिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 10/- रुपये प्रतिदिन है।

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष में संगीत स्वर परीक्षा बोर्ड की स्वर परीक्षा बैठकें कुल 56 दिन हुई और बैठक में भाग लेने वाले गैर-सरकारी सदस्यों ने 527 उम्मीदवारों की स्वर परीक्षा की। गैर-सरकारी सदस्यों को उस वर्ष में भत्तों के द्वारा कुल 4062 रुपये 45 पैसे दिये गये। इसमें मानदेय भी शामिल हैं।

(ग) संगीत स्वर परीक्षा बोर्ड का स्वर सुनने वाला पैनल पिछले वित्तीय वर्ष में कुल 56 दिन मिला। एक विवरण भी सदन की मेज पर रख दिया गया है, जिसमें बैठक में भाग लेने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के नाम तथा प्रत्येक को यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते, सवारी किराया तथा मानदेय के रूप में कितना धन दिया गया है, दिये हुए हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 1040/69]

आकाशवाणी, दिल्ली का संगीत जांच मंडल (म्यूजिक आडिशन बोर्ड)

8840. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी, दिल्ली के संगीत जांच मंडल का कार्य किन नियमों के अनुसार विनियमित तथा नियंत्रित किया जाता है ; और

(ख) इस कार्य के लिये मल्लिकार्जुन मंसूर और गजानन राव जोशी जैसे कुछ सुप्रसिद्ध सदस्यों की सभी बैठकों में भाग लेने के लिये निमंत्रित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ०कु० गुजराल): (क) संगीत जांच मंडल के नियमों की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 1041/69]

(ख) संगीत जांच मंडल की स्वर परीक्षा बैठक में आम तौर पर एक पदेन सदस्य और दो गैर सरकारी सदस्य आते हैं। संगीत के मुख्य सलाहकार संगीत जांच मंडल के उत्तरी पैनल की स्वर परीक्षा बैठक के संयोजक हैं और चीफ प्रोड्यूसर (करनाटक संगीत) संगीत जांच मंडल के दक्षिणी चैनल की स्वर परीक्षा बैठकों में केवल तब आते हैं जब संयोजक बैठक में न जा सकें। श्री मल्लिकार्जुन मन्सूर अब भी संगीत सलाहकार हैं और श्री गजानन राव जोशी 9 मई, 1968

तक संगीत सलाहकार थे। इन्हें पदेन सदस्यों के रूप में इन बैठकों में संयोजकों की अनुपस्थिति में ही आमंत्रित किया जा सकता था। श्री जोशी अब जांच मंडल के सदस्य नहीं हैं।

आकाशवाणी के दिल्ली और बम्बई केन्द्रों के उच्च स्टाफ आर्टिस्ट

8841. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के दिल्ली तथा बम्बई केन्द्रों में अलग-अलग कंठ-संगीत के दस उच्च स्टाफ आर्टिस्टों के नाम क्या हैं, उनका वेतन कितना है और अर्हताएं क्या हैं तथा एक ही केन्द्र पर नियुक्त हुए उन्हें कितने वर्ष हो गये हैं ;

(ख) आकाशवाणी के दिल्ली तथा बम्बई केन्द्रों में अलग-अलग वाद्य संगीत के दस उच्च स्टाफ आर्टिस्टों के नाम क्या हैं, उनका वेतन कितना है और अर्हताएं क्या हैं तथा एक ही केन्द्र पर नियुक्त हुए उन्हें कितने वर्ष हो गये हैं ;

(ग) इन स्टाफ आर्टिस्टों का स्थानान्तरण करने के लिये अपनाई जाने वाली सामान्य नीति की मुख्य बातें क्या हैं और इन स्टाफ आर्टिस्टों को एक ही स्थान पर इतने समय तक रखे जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि स्थानान्तरण के समय इन स्टाफ आर्टिस्टों द्वारा अनुशासन तोड़ कर कड़ा विरोध किया जाता है और वे ऐसे आदेशों में संशोधन करवाने के लिए उचित तथा अनुचित प्रकार के प्रयत्न करते रहते हैं जिनकी क्रियान्विति बहुत पहले हो जानी चाहिये थी ; और

(ङ) यदि हाँ, तो ऐसे कलाकारों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ०कु० गुजराल): (क) आकाशवाणी, दिल्ली में कोई भी गायक कलाकार स्टाफ आर्टिस्ट के रूप में नियुक्त नहीं है। आकाशवाणी, बम्बई में इस प्रकार के 6 आर्टिस्ट हैं, परन्तु किसी को भी चोटी के कलाकार का दर्जा नहीं दिया गया है।

(ख) दिल्ली केन्द्र में केवल एक चोटी की श्रेणी का वादक है जिसका नाम श्री शकूर खां (सारंगी वादक) है और जिसको प्रतिमाह 590/- रुपये मूल फीस तथा सामान्य भत्ते मिलते हैं। वह 1 मार्च, 1953 से दिल्ली केन्द्र में हैं। वह अकादमी पुरस्कार विजेता हैं। बम्बई केन्द्र में चोटी का कोई भी वादक स्टाफ आर्टिस्ट के रूप में नियुक्त नहीं है।

(ग) वादक/गायक विशेष केन्द्र के लिए रखे जाते हैं और प्रायः इस प्रकार के आर्टिस्टों की बदली व्यक्तिगत प्रार्थना पर या सेवा की नितांत आवश्यकता के अलावा एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र में नहीं की जाती।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

8842: **श्री देवराज पाटिल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1965 की तुलना में वर्ष 1968 में प्रति व्यक्ति उपलब्ध अनाज 3.6 प्रतिशत कम था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). उत्पादन के अनुमानों (सामान्यत बीज तथा बर्बाद होने वाली मात्रा को घटाकर), आयात की जाने वाली मात्रा तथा सरकारी भंडारों में परिवर्तन के आधार पर लगाये गये हिसाब के अनुसार मानव उपयोग के लिये अनाज की मात्रा वर्ष 1968 में वर्ष 1965 की तुलना में 3.6 प्रतिशत अधिक थी। परन्तु इन तीन वर्षों की अवधि में जनसंख्या में 7.7 प्रतिशत वृद्धि हो जाने के कारण वर्ष 1965 की तुलना में वर्ष 1968 में प्रति व्यक्ति उपलब्ध अनाज 3.7 प्रतिशत कम था। यह उल्लेखनीय है कि उपलब्धता सम्बन्धी आंकड़ों का हिसाब लगाते समय उत्पादकों और व्यापारियों के भंडारों में परिवर्तन का हिसाब नहीं लगाया गया है, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि इन आंकड़ों को वास्तविक स्थिति का सही सूचक माना जाये।

आकाशवाणी के लिये टेप रिकार्डरों का आयात

8843. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग तीन वर्ष पूर्व आकाशवाणी के लिए ब्रिटेन से आठ टेप रिकार्डर आयात किये जाने के कारण विदेशी मुद्रा के रूप में लगभग 20,000 रुपये की हानि हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य से सम्बन्ध व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ०कु० गुजराल): (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

सेन्सर की गई फिल्में

8844: **श्री काशी नाथ पाण्डेय :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री 17 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6667 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1967 से 28 फरवरी, 1968 तक केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा पास की गई 168 फिल्मों के नाम क्या थे ;

(ख) उन फिल्मों के निर्माताओं के क्या नाम हैं ;

(ग) क्या उक्त निर्माताओं ने कोई शुल्क दिया है ;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक निर्माता ने कितना-कितना शुल्क अदा किया ; और

(ङ) उन फिल्मों के क्या नाम हैं जिन्हें बोर्ड ने "केवल बयस्कों" के लिए पास किया है और इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) से (ङ). सूचना केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड से एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

गोआ में लोह अयस्क और मैंगनीज अयस्क खानों के कर्मचारी

8845. **श्री शिंकरे : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क खानों में कितने स्थायी कर्मचारी हैं ;

(ख) लौह-अयस्क और मैंगनीज अयस्क को खानों से मारमागोआ पत्तन तक ले जाने के लिए कितने बार्जमैन लगाये गये हैं ;

(ग) मारमागोआ पत्तन में कितने बिचमैन हैं ;

(घ) मारमागोआ पत्तन में कितने गैंगमैन हैं ; और

(ङ) कर्मचारियों का प्रत्येक श्रेणी में राज्यवार क्या अनुपात है और प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारी को सप्ताह में कितने दिन काम करना पड़ता है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) गोआ प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार उनकी संख्या 48266 है ;

(ख) गोआ प्रशासन से प्राप्त की गई सूचना के अनुसार उनकी संख्या 2200 है ।

(ग) 1032

(घ) 2096

(ङ) गोआ प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार बिचमैन और गैंगमैन की श्रेणियों में कर्मचारियों का राज्य वार प्रतिशत इस प्रकार है :—

राज्य	बिचमैन		गैंगमैन	
गोवा	76.9	प्रतिशत	0.4	प्रतिशत
महाराष्ट्र	7.6	,,	0.1	,,
उत्तर प्रदेश	6.7	,,	95.3	,,
मैसूर	3.8	,,	4.2	,,
केरल	2.9	,,		
आन्ध्र-प्रदेश	1.2	,,		
तमिल नाडु	0.8	,,		
पंजाब	0.1	,,		

इन श्रेणियों के कर्मचारियों को प्रति सप्ताह 48 घन्टे काम करना पड़ता है ।

गोआ, मैसूर और महाराष्ट्र के बांस के बागानों में 'पिजरुक्की रोग

8846. **श्री शिकरे** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 11 पिजरूक्की नामक रोग के कारण सह्याद्रीघाट क्षेत्र और गोआ और कारवाड़ के जंगलों में बांस के बागानों को बहुत क्षति पहुंची है ;

(ख) क्या सरकार ने सम्बद्ध राज्य प्रशासनों को, बांस के बागानों जिन्हें कागज निर्माण के लिये सब से अच्छी कच्ची सामग्री समझी जाती है भारी क्षति से बचाने लिये कीटाणुनाशक दवाइयों का प्रयोग करने की सलाह दी है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार गोआ, मैसूर और महाराष्ट्र सरकारों को बांस के नये बागान लगाने की सलाह देने और यदि आवश्यक हुआ तो उस काम के लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करने की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सेंट्रल एक्सचेंज नई दिल्ली की हड़ताल में भाग लेने वाली महिला टेलीफोन आपरेटरों को नौकरी से हटाना

8847. **श्री रामचरण** : **श्री गणेश घोष** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या सूचाना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री 24 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7442 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल टेलीफोन एक्सचेंज नई दिल्ली की तीन महिला टेलीफोन आपरेटरों जिन्हें नौकरी से हटा दिया गया था के मामलों का अस्थायी कर्मचारियों के बारे में उनके मन्त्रालय में राज्य मन्त्री के आश्वासन के अनुसार पुनरीक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं, और उन के मामलों पर कब विचार किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) उनके मामलों का गृह-कार्य मंत्रालय के नवीनतम अनुदेशों के अनुसार पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

सूरतगढ़ यंत्रीकृत फार्म

8848. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूरतगढ़-जेतसर के यन्त्रीकृत फार्म को स्थापित करने का

आरंभिक उद्देश्य अच्छी किस्म के बीजों का उत्पादन, 2000 एकड़ का एक बगीचा लगाने बीकानेरी नस्ल की भेड़ों तथा अच्छी नस्ल के सांडों का विकास करने और एक मुर्गीपालन फार्म स्थापित करना था और कि फार्म को बढिया किस्म के बीजों का उत्पादन करने के अतिक्ति किसी भी उद्देश्य में सफलता नहीं मिली है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि फार्म के कार्य में, पानी की अपर्याप्त सप्लाई, पुरानी मशीनें और उपकरण तथा संगठन के प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिये वैज्ञानिक अथवा तकनीकी अधिकारी के न होने से काफी हानि हुई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासहिब शिन्दे) : केन्द्रीय सरकारी फार्म सूरतगढ़ मूलत: इस उद्देश्य से स्थापित किया गया था कि फार्म द्वारा अपने नियंत्रणाधीन ली जाने वाली भुमि को खेती योग्य बनाया जाये तथा उसमें उपलब्ध मिट्टी तथा जलवायु के अध्यधिक अनुकूल फसलें पैदा की जायें। अन्नत: जब बारह मासा सिंचाई की व्यवस्था सुलभ हो गई तो यह निश्चय किया गया कि फलों का एक बाग, एक पशु फार्म, एक भेड़ पालन फार्म, एक मुर्गीपालन फार्म स्थापित किया जाये और अच्छी किस्म के बीजों का विकास किया जाये। चूंकि मूल परियोजना में पशु पालन, बागवानी तथा मुर्गी पालन योजनाओं का प्रस्ताव था' इसलिए उन्हें परिक्षण के आधार पर छोटे उपायों के रूप में आरम्भ का निर्णय किया गया था। बाड में फार्म में केवल बीजों के उत्पादन पर जोर दिया गया और इसीलिए उपर्युक्त अनुभागों का विस्तार नहीं किया गया।

(ग) और (घ). यह सच है कि सिंचाई के लिये पर्याप्त पानी की सप्लाई न होने से फार्म को हानि हुई है। यह फार्म भाखड़ा सिस्टम के अन्तिम छोर पर है और अब यह प्रस्ताव हैं कि भाखड़ा सिस्टम के स्थान पर राजस्थान केनाल सिस्टम का उपयोग किया जाये। राजस्थान सरकार को इस परिवर्तन की व्यवस्था करने के लिए प्रार्थना की गई है। फार्म के लिए अधिकतर मशीनें वर्ष 1956 में रूस से प्राप्त हुई थी। अब कुछ मशीनें घिस गई हैं और उन्हें धीरे-धीरे बदला जा रहा है।

ऐसा अनुभव किया गया था कि इस फार्म प्रमुख एक प्रशासक होना चाहिए जिसकी सहायता के लिए इंजीनियरी, कृषि, लेखा तथा सिंचाई के क्षेत्र में ज्ञान रखने वाले अनेक तकनीकी अधिकारी हों और यह व्यवस्था संतोष-जनक समझी गई है। और मुख्यत: वाणिज्यिक संस्थाएं हैं और इसलिए सरकार ने निर्णय किया है कि सूरतगढ़ तथा अन्य फार्मों के प्रशासन के लिए समवाय विधि के अन्तर्गत एक निगम स्थापति किया जाये। यह निगम शीघ्र ही स्थापित हो जायेगा।

जहां तक जेतसार फार्म का सम्बन्ध है, यह फार्म वर्ष 1964 स्थापित किया गया था इसके उद्देश्यों में न तों फलों के बाग की स्थापना सम्मिलित नहीं की और न ही पशु फार्म मुर्गीपालन फार्म तथा भेड़ फार्म सम्मिलित था। इसका मुख्य उद्देश्य अनाज तथा कुछ व्यापारिक फसलें पैदा करना था।

नर्मदा बेसिन में फसलों की सघनता को बढ़ाना

8849. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 से 31 जनवरी, 1968 तक भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के तत्वावधान में हुई गोष्टी में यह सुझाव दिया गया था कि नर्मदा बेसिन में फसलों की सघनता को 200 प्रतिशत तक और विशेष मामलों में 300 प्रतिशत तक बढ़ाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नर्मदा बेसिन में फसलों की सघनता के लिये कार्यक्रम बनाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ग) इस सिफरिश की क्रियान्विति की दिशा में अब तक क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है और इस में कितनी प्रगति हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां। 1968 में हुई फसल सघनता गोष्ठी में सिफारिश की गई थी कि पश्चिमी क्षेत्र में, जिसमें नर्मदा बेसिन भी सम्मिलित है, फसलों की सघनता को सिंचाई की स्थिति में 200 प्रतिशत तक और विशेष स्थितियों में 300 प्रतिशत तक बढ़ाया जाये।

(ख) और (ग). वर्ष 1968 में हुई गोष्ठी में की गई सिफारिशें क्रियान्विति के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा कृषि विश्वविद्यालयों को भेज दी गई थी।

देश के विभिन्न भागों में स्थित, जिसमें नर्मदा बेसिन भी है, आदर्श सस्य विज्ञान केन्द्रों के लिये तकनीकी कार्यक्रमों में 200 से 300 प्रतिशत तक की सघनता के विभिन्न सस्य चक्रों सम्बन्धी सस्य विज्ञान प्रयोगों को सम्मिलित किया गया है।

इसी प्रकार गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में, जिनमें नर्मदा बेसिन भी है, सिंचाई की व्यवस्था वाले क्षेत्रों में 200 से 300 प्रतिशत सघनता साथ की फसलों के साथ बहु-फसल राष्ट्रीय प्रदर्शन सफलतापूर्वक किये गये हैं।

रुमानिया से ट्रैक्टरों का आयात

8850. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रुमानिया से ट्रैक्टरों का आयात कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या, विशिष्ट वितरण और एक ट्रैक्टर पर लागत सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ट्रैक्टर कब तक मिलने की आशा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). सरकार रुमानिया से 500 यू-500 (यू० टी० ओ० एस-2 सुपर 50 एच० पी०) ट्रैक्टरों का आयात कर रही है। इनमें से 487 ट्रैक्टर आ चुके है। प्रति ट्रैक्टर मूल्य (लागत तथा भाड़ा) 15,500 रुपये है।

फिल्मों के प्रदर्शनों की अनुमति

8851. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने निम्नलिखित फिल्मों के प्रदर्शन की स्वीकृति दे दी है ;

(1) तुम से अच्छा कौन है, (2) चिराग, (3) आया सावन झूम के, (4) कन्यादान, (5) जीने की राह, (6) आर्शीवाद, (7) हमसाया और (8) एक फूल दो माली ;

(ख) बोर्ड ने इन फिल्मों को किस तिथि को सेन्सर किया और क्या इन की कांट-छांट की गई थी और यदि हां, तो किन फिल्मों की ; और

(ग) उक्त फिल्मों के निर्माताओं अथवा बनाने वाली कम्पनियों के नाम तथा पते क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये** संख्या एल० टी० 1042/69]

हिन्दी तथा मराठी फ़िल्मों पर प्रतिबन्ध

8852. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन हिन्दी तथा मराठी फिल्मों के नाम क्या हैं जिन पर सरकार ने गत तीन वर्षों से आज तक प्रतिबन्ध लगाया है ;

(ख) उन फिल्म निर्माताओं के नाम क्या हैं जिन्होंने ये फिल्में बनाई थीं तथा उन पर प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में किसी भी हिन्दी या मराठी फिल्म पर पाबन्दी नहीं लगाई गई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी फिल्मों का आयात

8853. **श्री काशी नाथ पांडेय** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में विदेशों से आयात की गई उन विदेशी फिल्मों की सख्या कितनी है जिन के बारे में सेंसर अधिकारियों ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी, तथा उन फिल्मों के और उन का आयात करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 1043/69]

आकाशवाणी में स्टाफ गाड़ियां

8854. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :** **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**
कुमारी कमला कुमारी : **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री 18 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4966 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में इस समय कितनी स्टाफ गाड़ियां हैं ;

(ख) आकाशवाणी के टेलीविजन विभाग तथा प्रैस इन्फार्मेशन ब्यूरों में इन गाड़ियों का उपयोग न कर के टैक्सियों का प्रयोग किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार टैक्सियों के किराये पर अधिक व्यय होने की बात को ध्यान में रखते हुए केवल विशेष परिस्थितियों को छोड़कर स्टाफ गाड़ियों का प्रयोग सुनिश्चित करेगी ; और

(ख) न्यूज सर्विस डिवीजन में टैक्सियों में जाने वाले मार्गदर्शकों के कर्तव्य क्या हैं तथा यह व्यवस्था कब आरम्भ की गई थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) आकाशवाणी महानिदेशालय में एक स्टाफ कार है और आकाशवाणी के दिल्ली स्थित अन्य कार्यालयों में 24 ड्यूटी कारें हैं—दिल्ली केन्द्र के पास 9, समाचार विभाग के पास 10 और टेलीविजन केन्द्र के पास 5 ।

(ख) पत्र सूचना कार्यालय के पास 3 ड्यूटी कारें हैं । आकाशवाणी का टेलीविजन केन्द्र और पत्र सूचना कार्यालय अपनी अपनी ड्यूटी कारें ही इस्तेमाल करते हैं और टैक्सी तभी किराये पर लेते हैं जब उनकी अपनी कारें या तो उपलब्ध नहीं होती या तुरन्त परिवहन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिये अपर्याप्त होती हैं ।

(ग) जी, हाँ ।

(घ) समाचार विभाग में मार्गदर्शक आरम्भ में फरवरी, 1968 में नियुक्त किये गये थे । उनका काम टैक्सी ड्राइवरों को रात को और प्रातः की पहली घड़ी में स्टाफ के उन सदस्यों के घर बताने में सहायता करना है, जिन्हें विषम समय पर ड्यूटी देनी होती है ।

Selection of Hindi Announcers

8855. **Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Kumari Kamala Kumari : **Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4976 on the 18th December, 1968 and state :

(a) the procedure according to which original selection of Hindi Announcers was rejected ;

(b) whether a list of Hindi Announcers originally selected will be laid on the Table ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The reasons for rejection of the selection were :

(i) Inordinate delay in conducting the selection ;

(ii) relaxation of educational qualifications in respect of some candidates, which was not permissible ; and

(iii) the proceedings of the Selection Committee were not recorded on the date of audition/test.

(b) and (c). Yes, Sir. The list of candidate originally selected is laid on the Table of the House.

LIST OF SELECTED CANDIDATES

1. Shri Rajjan Lal
2. Smt. Maya Kaul
3. Shri Lokendra Sharma
4. Smt. Vijay Lakshmi
5. Shri Shamin Ahmed Jayasi
6. Smt. Veer Bala Mishra
7. Smt. Kumud Kumar
8. Kum. Chitra Mathur
9. Shri Yogesh Chandra Shukla.

Payment of Telephone Bills

8856. **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri Onkar Singh :**
Shri Shri Gopal Saboo : **Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the amount lying unadjusted in Delhi, Madras, Bombay and Calcutta out of the amount deposited by people in connection with the payment of their telephone bills ;

(b) whether it is a fact that Government still issue notices in connection with the payment of old bills and disconneet the telephone connections if payment is not made ;

(c) if so, the number of such notices as have been issued during the last two years demanding payment of bills more than two years old and the number of telephones disconnected for non-payment of dues ; and

(d) the time by which the amount of money which has not been deposited so far would be deposited ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) The amounts paid by the subcribers are credited to their accounts forth-with ; but in a few cases where full particulars are not available, the deposits are kept under suspense for subsquent adjustment after due enquiry. The information regarding the unadjusted credits is being collected and will be placed on the table of the Sabha in due course.

(b) Yes. Notices are issued to subcribers for payment of old bills outstanding against them. The subscribers are given opportunity to produce evidence of payment of such bills and if such evidence is not produced, the telephones are disconnected only after all efforts to persuade them to pay have failed.

(c) The information is not readily available and its collection will involve considerable time and labour not commensurate with the results achieved.

(d) It is difficult to set any time limit, as the final adjustment of such unadjusted credits can be made only after full particulars are ascertained.

Posts of Telephones Sub-Inspectors and Linemen in Delhi Telephone District

8857. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Narain Swarup Sharma : Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of posts of Telephone Sub-Inspectors and Telephone Linesmen which had been lying vacant as on the 21st December, 1968 in Delhi Telephone District ;

(b) since when these posts had been lying vacant and the reasons for not filling them so far ; and

(c) by when these posts are likely to be filled up 7

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) 7 posts of Sub-Inspectors and 8 Posts of Linemen were lying vacant on 21-12-68 in Delhi Telephone District.

(b) The posts of Sub-Inspectors are vacant from 2-7-68. The posts could not be filled due to certain administrative difficulties in holding the Departmental Promotion Committee. The posts of linemen were vacant from 5-12-68. These posts have been filled up on 7-2-69.

(c) Within a month.

Slaughtering of Cows

8858. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Narian Swarup Sharma : Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to freedom of profession, cows and their progeny are carried for slaughter from the States which have imposed a ban on cow slaughter to those which have not so far imposed any ban on cow slaghter ;

(b) if so, the names of the States where from the cows and their progeny are sent to other States ;

(c) whether Government would consider the question of imposing a ban on the export of cows and their progeny from those States ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The information is not available.

(b) Does not arise.

(c) and (d). For purposes of breeding and stepping up milk supplies, there is a well established trade in cattle from one State being sold in other States. Government are not in favour of placing restrictions on the operation of Article 301 of the Constitution, relating to freedom of trade, commerce and in ercourse.

International Symposia and Seminars of Food and Agriculture

8859. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Ranjit Singh :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Suraj Bhan :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Shri Bhushan Lal :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of International Symposia, Seminars and technical meetings with regard to subjects dealt with by his Ministry in which India participated during 1967-68 ; and

(b) their results achieved so far ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Information concerning the Departments of Food, Aggriculture, Community Development and Cooperation Is laid on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT-1044/69].

(b) Participation in these meetings enabled our representatives to watch the economic and technical interests of India in the decisions by these bodies. Secondly, technical officers were able to gather information about the latest developments in agriculture and allied fields both at the international level and in other countries. Thirdly, the point of view of India on some of the issues raised at the meetings could be presented as a result of the partic.pation.

लक्कदीव द्वीपसमूह में 'पब्लो' नावों की मरम्मत के लिए वर्कशाप

8860. **श्री प० मु० सईद** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मछली पकड़ने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली 'पब्लो' नावों की मरम्मत करने के लिये लक्कदीव द्वीपसमूह में कितनी वर्कशापें हैं ;

(ख) क्या इन सब वर्कशापों का कोई यांत्रिक इंजीनियर अथवा नौइंजीनियर इंचार्ज है ; और

(ग) क्या किसी द्वीप निवासी ने नौकरी के लिए प्रशासन को आवेदन-पत्र भेजा है और यदि हां, तो उसे इस वर्कशाप का ठेके पर प्रबन्ध करने के लिए नियुक्त नहीं करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मछली पकड़ने के लिये प्रयोग में लाई जाने वाली 'पब्लो' नावों की मरम्मत के लिए दो वर्कशाप, एक बड़ी वर्कशाप कवारत्ती में और एक छोटी वर्कशाप कादमत में, हैं ।

(ख) जी, नहीं । कवास्ती स्थित बड़ी वर्कशाप का इंचार्ज एक श्रेणी 'क' का मकेनिक है और कादमत स्थित छोटी वर्कशाप का इंचार्ज एक श्रेणी 'ख' का मकेनिक है ।

(ग) एक मिनीकाय द्वीप निवासी ने, जिसके पास मेकेनिकल इंजीनियरी की बी० एस० सी० की डिग्री थी, मई 1964 में समुद्री इंजीनियर के पद के लिए, जब कि उस समय यह पद था ही नहीं, आवेदन पत्र दिया था । उसे यह सलाह दी गई थी कि वह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस पद के लिये विज्ञापन देने पर आवेदन करें । लक्कदीप तथा मिनीकाय द्वीप समूह की 1969-70 की वार्षिक योजना में मत्स्यपालन विभाग से सम्बद्ध सब वर्कशापों (वर्तमान तथा प्रस्तावित) का इंचार्ज बनाने के लिये समुद्री इंजीनियर का एक पद बनाने का प्रस्ताव है । विभाग एक पद बनाने के लिये कार्यवाही कर रहा है जिस पर नियमों के अनुसार नियुक्ति की जायेगी ।

खाद्य तथा कृषि संगठन के सहयोग से मांस तैयार करने का कारखाना

8861. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन के सहयोग से माँस तैयार करने का कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Employees in the Ministry

8862. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of employees at present in his Ministry ;

(b) the number of deputationists, gazetted officers and non-gazetted officials out of them ; and

(c) the number of female employees at present and the number of them who were sanctioned maternity leave during the last two years ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) 1,256.

(b) (i) Gazetted 44

(ii) Non-Gazetted 14

(c) 67 ; twenty-two of them were sanctioned maternity leave.

Staff in Delhi Milk Scheme

8863. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of employees in the Delhi Milk Scheme at present ;

(b) the number out of them who are gazetted and non-gazetted ; and

(c) the number out of the gazetted employees who have come on deputation and the period of deputation for which they had originally come ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) 1,873, as on 31-3-1969.

(b) (i) Number of gazetted employees 53

(ii) Number of non-Gazetted employees 1,820

(c) The number of officers who have come on deputation is 14. The period of deputation for which they had originally come is indicated below :

7 Officers 1 year.

5 Officers 2 years.

2 Officers Until further orders.

Procurement of Milk Powder for Delhi Milk Scheme

8864. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of milk powder procured in the financial year 1967-68 for Delhi Milk Scheme and the firm from which the said quantity was procured ; and

(b) the amount which has so far been paid for the said milk powder and the amount which is yet to be paid ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) 1,285.575 Tonnes of Skim Milk powder was procured for Delhi Milk Scheme in the financial year 1967-68 from M/s. Famex, Copenhagan, Denmark, (975 tonnes), M/s. ANIMEX of Consulate Polish Peoples' Republic, Bombay (60·575 Tonnes) and from Oakland, California, U. S. A. under World Food Programme (250 tonnes).

(b) An amount of Rs. 31·35 lakhs approx. has been paid for the milk powder referred to at (a) above. No further payment is required to be made.

Registration of Engineers in Delhi

8865. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of technical hands registered with the Employment Exchange in Delhi during the last two years ;

(b) the number out of them who possess Engineering degrees and of those who are diploma-holders ; and

(c) the number out of them who have been provided with employment during the said period ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c). Available information is given below :

Category of Engineers	No. of registrations effected during		No. of placements effected during	
	1967	1968	1967	1968
1. Degree-holders	910	1,577	60	90
2. Diploma-holders	2,346	2,856	178	226

डाक विभाग के प्रपत्रों की प्रादेशिक भाषाओं में छपाई

8866. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग के मनीआर्डर, रजिस्ट्री तथा अन्य प्रपत्रों को उड़िया सहित सभी प्रादेशिक भाषाओं में छपवाने की व्यवस्था पूरी हो गई है ; और

(ख) उड़िया भाषा के सम्बन्ध में ऐसा कब तक हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार जो फार्म केवल जनता इस्तेमाल में लाती हैं, उन्हें तीन भाषाओं

अर्थात हिन्दी, अंग्रेजी तथा प्रादेशिक भाषा में छापा जाये। प्रारम्भिक कदम के तौर पर पाँच किस्मों के फार्मों को अर्थात मनीआर्डर फार्म, रजिस्ट्री वस्तुओं का पावती फार्म, वी० पी० मनी आर्डर फार्म, 'सी' संदेश फार्म और 'ए' संदेश फार्म तीन भाषाओं में छापने के लिये लिया गया है। मुख्य नियंत्रक, छपाई तथा लेखन सामग्री द्वारा इन फार्मों को तीन भाषाओं में छापने की तकनीकी सुविधा तथा अन्य बातों की जांच की जा रही है।

(ख) उड़िया भी उस प्रादेशिक भाषाओं में से एक है जिसमें कि हिन्दी तथा अंग्रेजी को मिला कर तीन भाषाओं में ऐसे फार्म छापे जायेंगे।

राजस्थान में कुओं से पानी निकालने के लिए राज-सहायता

8867. **डा० कर्णी सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने निदेश जारी किया है कि राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीणों को कुओं से पानी निकालने के लिए दी जाने वाली राज-सहायता 50 रुपये प्रति-दिन से कम नहीं होनी चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्देश कब जारी किया गया ; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि राजस्थान के बीकानेर डिवीजन में अब तक अधिकतर मामलों में दी गई राज-सहायता केवल 12.50 रुपये है और चन्द मामलों में वह केवल 16 रुपये है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

पानी निकालने के लिए प्रतिदिन 50 रुपये की राज-सहायता राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम राज-सहायता है और न कि न्यूनतम।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राजस्थान में कोई बीकानेर डिवीजन नहीं है। यह निर्देश सम्भवतया बीकानेर जिले का है। बीकानेर जिले में राज-सहायता की दर प्रतिदिन 12.50 रुपए और 16 रुपए के बीच है।

जम्मू में बसे हुए शरणार्थियों की समस्याएं

8868. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** **श्री रा० बरूआ :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री वेंगलराया नायडू :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू में शरणार्थियों की समस्याओं का वहीं जाकर अध्ययन करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने कोई मांग की है ; और

(ग) क्या उनके पुनर्वास के लिए कोई योजना बनाई गई है और यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) भारत सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) विभाजन के समय आये विस्थापित व्यक्तियों की पुनर्वास सम्बन्धी योजना का संक्षिप्त ब्यौरा 1968-69 की "पुनर्वास विभाग की वार्षिक रिपोर्ट" के अध्याय XII के पैरा-4 में दिया गया है ।

इस प्रकार, अगस्त-सितम्बर, 1965 में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष के फलस्वरूप बेघर हुए परिवारों के सम्बन्ध में मंजूर की गई योजनाओं का मुख्य ब्यौरा ऊपरि निर्दिष्ट रिपोर्ट के अध्याय XVIII में दिया गया है ।

जन प्रचार माध्यम सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति

8869. **श्री बे० कु० दासचौधरी .**
श्री ओंकार लाल बोहरा :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री** 26 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1249 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद् द्वारा नियुक्त जन प्रचार माध्यम सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ख) इसकी सिफारिशों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जन माध्यम सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार 'प्रचार योजना' की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1045/69]

(ख) योजना पर राष्ट्रीय एकता परिषद् की स्थायी समिति ने अपनी 20-21 मार्च, 1969 की बैठक में विचार किया था । उसने कुछ सुझाव दिये हैं जिन पर विचार किया जा रहा है ।

पन्ना (मध्य प्रदेश) में पशु चिकित्सा औषधालय

8870. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि पन्ना पुनर्वास क्षेत्र में एक पशु चिकित्सा औषधालय स्थापित करने की स्वीकृति दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) पन्ना पुनर्वास क्षेत्र में पशु चिकित्सा औषधालय स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

Broadcast of Poets' Programme from Indore

8871. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the programmes of local language poets are broadcast from the Indore Station of All India Radio ;

(b) if so, the names of the Districts and the names of poets whose songs were broadcast during the last three years over the All India Radio ; and

(c) the amount of remuneration paid to each poet ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1046/69.]

Assistance for Animal Husbandry etc. to Madhya Pradesh

8872. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any assistance is being provided for the development of Animal Husbandry, Dairy, 'Grow More Food Campaign' and Fisheries to Madhya Pradesh during 1969-70 ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). Under the new procedure for release of assistance to State Government for Plan Schemes introduced from the current year, assistance will be made available to the State Governments in block loans and grants for all sectors as a whole and will not be related to any individual programme or scheme. The exact amount of assistance to be released to the Government of Madhya Pradesh during 1969-70 and the details of the procedure have not yet been finalised.

Drought-Affected Areas in Madha Pradesh

8873. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of drought-affected areas in Madhya Pradesh this year ;

(b) whether a team was sent by the Centre to study the drought situation in the State ;

(c) if so, the findings thereof ; and

(d) the reaction of Government is regard to giving grant-in-aid to the State Government for this purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Parts or the following districts of Madhya Pradesh have been affected by draught this year :

Rewa	Sidhi	Raipur
Satna	Jhabua	Bastar
Shahdol	Ratlam	Durg
Panna	Surguja	Shivpuri
Chhatarpur	Bilaspur	Jabalpur

(b) to (d). A Central Team has just returned after a visit to the drought affected areas of the State. The report of the Team is awaited. The extent of financial assistance to the State Government for drought relief operations will be dicided in the light of the team's recommendations.

टेलीविजन के लिए कर्मचारी

8874. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने टेलीविजन में विभिन्न पदों के लिए केवल भारतीय चलचित्र संस्था, पूना के स्नातक नियुक्त करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस निर्णय को पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

टेलीविजन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

8875. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री अदिचन :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय चलचित्र संस्था, पूना में टेलीविजन संबंधी विभिन्न पाठ्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो ये पाठ्यक्रम क्या हैं तथा उन्हें कब से आरम्भ किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). भारतीय फिल्म सस्थान, पूना में टेलीविजन सम्बन्धी पाट्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है ।

दिल्ली में प्रसारण प्रयोजनों के लिए ओ० बी० मोटरगाड़ी

8876. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी ने दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में 'आन

दी स्पाट' कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए हाल में एक ओ० बी० मोटरगाड़ी खरीदी है, परन्तु इसको यदा-कदा ही प्रयोग किया जा रहा और अधिकांश समय यह अप्रयुक्त रहती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) बाहरी टेलीविजन प्रसारणों के लिए एक गाड़ी दिसम्बर, 1968 में खरीदी गई थी। जिसे उपयुक्त अवसरों पर इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

मोडर्न बेकरीज लिमिटेड द्वारा बिक्री एजेन्टों की नियुक्ति

8877. **श्री पा० विश्वम्भरन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोडर्न बेकरीज लिमिटेड द्वारा अपने उत्पादकों के लिये बिक्री एजेण्ट नियुक्त करने के सम्बन्ध में सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाती है ;

(ख) क्या कारण एर्णाकुलम थोक सहकारी समितियों ने कोचीन स्थित मार्डन बेकरी द्वारा बनाई जाने वाली डबल रोटियों की बिक्री के हेतु एक एजेंसी के लिये आवेदन-पत्र दिया था ; और

(ग) उपर्युक्त सरकारी समिति को एजेन्सी न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) समिति ने माडर्न डबल रोटी बेचने के लिए एजेन्सी हेतु आवेदन-पत्र नहीं दिया था। तथापि, कम्पनी अर्थात माडर्न बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड के कहने पर समिति को माडर्न डबल रोटी के खुदरा बिक्रेता के रूप में पंजीबद्ध कर लिया गया है।

Transmitter for Sriganga Nagar (Rajasthan)

8878. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to instal a powerful radio transmitter in the border district of Sriganga Nagar, Rajasthan which is also pre-dominantly an agricultural district ;

(b) if so, when it is likely to be installed ; and

(c) if not, whether Government proposed to take some other steps to counteract the propaganda made by Pakistan radio which has a particular effect in the border area ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir. At Suratgarh in Ganganagar district of Rajasthan.

(b) During the Fourth Plan period.

(c) Does not arise.

आदिम जातिय इलाकों के लिये कार्यक्रमों का प्रचार

8879. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के आदिम जातीय इलाकों में विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति के प्रचार का सरकार का कोई बिशेष कार्यक्रम है ,

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिये राज्यवार कितनी राशि खर्च करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). आदिम जाति के लोगों की अच्छी संख्या वाले क्षेत्रों में तथा उनके आसपास स्थित आकाशवाणी के केन्द्रों से आदिम जाति श्रोताओं के लिए 87 बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। ये कार्यक्रम सूचनात्मक और मनोरंजनात्मक होते हैं और इनमें समाचार बुलेटिन, समाचार समीक्षायें, संगीत (लोक और आदिम जाति), नाटक, रूपक, तथा कृषि, खाद्य, पंचवर्षीय योजनाओं और विकास कार्यों पर वार्तायें और चर्चायें शामिल हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से श्रोताओं के सम्मुख भारत का जनतंत्रीय और धर्मनिरपेक्ष रूप, स्पष्ट असमानतायें होते हुए भी लोगों में समता, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और समाज के सभी वर्गों को विकास और प्रगति का फल देने के लिए उठाए जा रहे कदम बताकर भारत की सच्ची झांकी प्रस्तुत की जाती है ।

इसी प्रकार क्षेत्रीय प्रचार कार्यक्रम, जिनमें फिल्म शो, पोस्टर प्रदर्शन, पुस्तिकाओं का वितरण, ग्रुप बैठकें तथा गीत और राटक कार्यक्रम, जो विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति पर विशेष जोर देते हैं, शामिल हैं, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों, तथा त्रिपुरा और मणिपुर के क्षेत्रों से स्थानीय आदिम जाति के लोगों के लाभ के लिए यात्राऐं भी आयोजित की गई हैं ।

पूर्वी क्षेत्रों के आदिम जाति क्षेत्रों में प्रचार सुदृढ़ करने के लिए, पत्र सूचना कार्यालय का एक शाखा कार्यालय शिलांग में खोलने का प्रस्ताव है जो गोहाटी के वर्तमान कार्यालय के अरिरिक्त होगा । फिल्म प्रभाग ने आदिम जाति लोगों के जीवन पर तथा जीवन स्तर में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयत्नों पर 28 फिल्में बना कर वितरित की हैं । 3 फिल्में निर्माणाधीन हैं ।

प्रकाशन प्रभाग ने भी कुछ पुस्तक और पुस्तिकाऐं निकाली हैं जिनमें आदिम जाति क्षेत्रों में हुए विकास और वहां के लोगों के जीवन के बारे में जानकारी उपलब्ध है । इस श्रेणी में 'नेफा', 'लद्दाख', 'दि आदिवासीज' जैसी हमारी कुछ पुस्तकें तथा 'वैन दि वर्ल्ड वाज यंग' के नाम से वैरियर एल्विन का आदिम जाति लोक कहानियों का संकलन आते हैं । 'फेयर डील फार बैकवर्ड क्लासेज एण्ड वैलफेयर आफ बैकवर्ड क्लासेज' जैसे प्रकाशनों की दूसरी श्रेणी में आदिम जाति के लोगों समेत पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का वर्णन है ।

(ग) यह बताना अभी सम्भव नही है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ।

भारत में टेलीफोनों के लिये प्रतीक्षा-सूची

8880. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में टेलीफोन के लिये औसत प्रतीक्षा अवधि निरन्तर बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रतीक्षा अवधि को कम करने के लिये नये उपाय करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) :

(क) जी हां ।

(ख) यद्यपि टेलीफोन सुविधाओं में काफी विस्तार हुआ है, फिर भी वित्त तथा टेलीफोन सामग्री के सीमित साधनों के कारण टेलीफोन की सभी मांगों को पूरा नहीं किया जा सका ।

(ग) टेलीफोन सेवाओं में काफी विस्तार करने का प्रस्ताव है । फिर भी वित्त तथा टेलीफोन सामग्री के सीमित साधनों के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतीक्षा अवधि घटा सकना संभव नहीं होगा ।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 6 लाख सीधे एक्सचेंज कनेक्शन या 7.6 लाख टेलीफोन देने का प्रस्ताव है ।

दूर-संचार सेवाओं का विस्तार

8881. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार सेवाओं के विस्तार की गति को बढ़ाने के लिये एक दसवर्षीय राष्ट्रीय टेलीफोन योजना का सुझाव दिया गया है ;

(ख) क्या इस सुझाव पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) योजना आयोग के साथ परामर्श करके इस योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ?

सरकारी दुग्ध योजनाओं का मूल्यांकन

8882. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पंतनगर में हुए अखिल भारतीय कृषि क्रय-विक्रय (मार्केटिंग) सम्मेलन ने देश में सरकारी दुग्ध योजनाओं की उपयोगिता का मूल्यांकन करने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या इस सुझाव पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश मे कृषि परियोजनाओं के लिये सहायता

8883. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कृषि परियोजनाओं की सहायता के लिये केन्द्र से कोई विशेष सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने 1969-70 की अवधि में राज्य के लघु सिंचाई कार्यों के लिये 3 करोड़ रुपये के अतिरिक्त नियतन के लिये प्रार्थना की है ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

बसुमती (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता को अखबारी कागज का आवंटन

8885. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बसुमती (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता ने वर्ष 1962 से अब तक, वर्ष-वार, अखबारी कागज के आवंटन हेतु कितना परिचालन दिखाया है तथा परिचालन लेखा परीक्षा ब्यूरो ने कितना दिखाया है और वास्तव में उसका परिचालन कितना है ;

(ख) 1966 से अब तक कितने मूल्य का अखबारी कागज खरीदा गया है ;

(ग) अखबारी कागज की सप्लाई करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या उनकी जांच की गई है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क)

खपत संख्या

वर्ष	प्रकाशक के कथनानुसार	परिचालन लेखा परीक्षा व्यूरो द्वारा स्वीकृत खपत संख्या	भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार ने जो स्वीकृत किया
1962	16,419		13,000
1963	36,052		41,500
1964	45,652		45,000
1965	67,178	65,394*	समाचार पत्र द्वारा बताई गई खपत संख्या पर जांच हो रही है।
1966	1,51,975	1,05,063	
1967	1,20,502	1,07,267	
1968	1,12,777	1,08,119 (30 जून, 1968 तक)	

*पत्र परिचालन लेखा परीक्षा व्यूरो (आडिट व्यूरो आफ सर्कुलेशन) का 1965 में सदस्य बना।

समाचार पत्रों को अखबारी कागज की सप्लाई प्रत्येक वर्ष घोषित अखबारी कागज वितरण नीति के आधार पर की जाती थी और की जाती है न कि समाचार पत्र द्वारा बताई गई खपत संख्या के आधार पर।

वह खपत संख्या जिस पर दैनिक बसुमती को अखबारी कागज का कोटा निकाला गया और 1962-63 से इसका अखबारी कागज का जो हक था वह नीचे दिया गया है :—

वर्ष	खपत संख्या	हक
1962-63	17,725	273.06 टन
1963-64	25,000	526.38 टन
1964-65	38,000	855.60 टन
1865-66	38,000	856.03 टन
1966-67	47,975	1,080.73 टन
1967-68	59,969	1,350.91 टन
1968-69	62,967	1,468.55 टन

(ख) 1966-67 से तथा उसके बाद दैनिक बसुमती को जितने मूल्य का अखबारी कागज अलाट किया गया, उसका विवरण नीचे दिया गया है :—

1966-67	10.76 लाख (लगभग)
1967-68	14.78 लाख (लगभग)
1968-69	15.14 लाख (लगभग)

(ग) और (घ). समाचार पत्रों का आयातित अखबारी कागज या तो विदेशी सप्लाई करने वालों से आयात लाइसेंस के अन्तर्गत सीधे या भारत के राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित अखवारी कागज के भण्ड़ार में से आवंटित किया जाता है । देश में आयातित कागज की सप्लाई करने वाले कोई नहीं है । जहां तक नेपा मिलों द्वारा निर्मित अखबारी कागज का सम्बन्ध है, मिल अखबारी कागज सीधे ही सप्लाई करते हैं । इन परिस्थितियों में अखबारी कागज की सप्लाई करने वालों से जाँच किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

बसुमती (प्राइवेट) लिमिटेड के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

8886. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री क० अनिरुद्धन :
श्री कं० हाल्दर :
श्री ई० के० नायनार :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री नम्बियार :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रामावतार शास्त्री :
डा० रानेन सेन :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बसुमती (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) जांच अभी चल रही है ।

परती भूमि को कृषि योग्य बनाना

8887. **देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन योजनाओं की अवधि में किस दर पर परती भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है ; और

(ख) देश में खाद्यान्न के उत्पादन की वृद्धि में परती भूमि को कृषि योग्य बनाने से कहां तक सहायया मिली है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) 1950-51 में बोया गया कुल क्षेत्र 1,18,746 हजार हैक्टेयर था, वह 1965-66 के दौरान बढ़कर 1,35,829 हजार हैक्टेयर हो गया । तीन योजनाओं की अवधि के दौरान भूमि

सुधार कार्य की दर निम्न प्रकार थी :—

	भूमि सुधार क्षेत्रफल (लाख हैक्टेयरों में)
प्रथम योजना	10.4
द्वितीय योजना	4.0
तृतीय योजना	2.6

(ख) कच्चे अनुमानों के अनुसार ऐसे क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली खाद्य फसलों के अतिरिक्त उत्पादन की दर 0.82 मैट्रिक टन प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष है ।

'कृषि क्रांति' कार्यक्रम के लिये एकल प्रशासन

8888. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के इस वक्तव्य की ओर ध्यान दिया है कि यदि 'कृषि क्रांति' (ग्रीन रिवोल्यूशन) की गति को बनाये रखना है, तो इस कार्यक्रम में समन्वय स्थापित करने के लिए एकल प्रशासन होना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस वक्तव्य को देखते हुए वर्तमान प्रशासनिक ढांचे में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो पुनर्गठन के बारे में सरकार का क्या मत है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) सरकार ने परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर ध्यान दिया है ।

(ख) और (ग). इतनी जल्दी नीति सम्बन्धी कोई वक्तव्य नहीं दिया जा सकता क्योंकि परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष द्वारा व्यक्त किये गये विचार पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक कृषि-उद्योग समूह की व्यावहारिकता सम्बन्धी अध्ययन से सम्बन्धित है जिस पर अभी प्रारंभिक अवस्था में विचार किया जा रहा है ।

Payment of Bonus by Industrial Undertakings

8889. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state the number of those industrial undertakings in the public and private sectors which paid bonus to their employees in 1967-1968 and the number of those which have not paid bonus to them ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : The information is not available with the Government. There is no obligation cast on employers or workers to report to the Government the amount paid/received as bonus. When cases of non-payment of bonus under the Payment of Bonus Act come to the notice of the Government, either as a result of inspections by Government's Officers or on complaints received from workers, suitable action is taken by the Government to enforce the provisions of the Act.

विदेशों में भारतीय मोरों की मांग

8890. श्री देवेन सेन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री किकर सिंह :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री द० रा० परमार :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में भारतीय मोरों की बड़ी मांग है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार का विचार देश में मोरों की उपलब्धता के बारे में सर्वेक्षण करने का है ; और

(ग) विदेशों में एक मोर के कितने मूल्य पर बिकने की सम्भावना है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग). कुछ मोर भेंट के रूप में और चिड़ियाघरों के लिये निर्यात किये गये हैं, अतः मोर की कीमत का कोई अनुमान नहीं दिया जा सकता है ।

हड़ताल में भाग लेने के कारण पश्चिम बंगाल में रेलवे मेल सेवा के कर्मचारियों के समयोपरि भत्ते में कटौती

8891. श्री देवेन सेन :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री द० रा० परमार :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री किकर सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सर्किल के कुछ डिवीजनों में रेलवे मेल सेवा के कर्मचारियों के समयोपरि भत्ते में 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में उनके भाग लेने के कारण 8 घन्टे तक की कटौती की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह कटौती सरकार द्वारा इस मामले में किये गये निर्णय के अनुसार की गई है ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां । रेल डाक व्यवस्था शाखा में समयोपरि भत्ता एक साथ चार सप्ताह के आधार पर आंका जाता है जिसमें ड्यूटी के लिए 192 घन्टे निर्धारित हैं । चूंकि हड़ताल के दिन ड्यूटी नहीं दी गई, इसलिए उस दिन ड्यूटी के घन्टे घटा दिये गये हैं ।

(ख) यह मंत्रिमण्डल के निर्णय के प्रतिकूल नहीं है ।

राष्ट्रीय बीज निगम में प्रतिनियुक्ति पर अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारी

8892. **श्री रामजी राम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज निगम में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदों पर अन्य विभागों से अनुसूचित जातियों के कितने अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है ; और

(ख) क्या राष्ट्रीय बीज निगम का विचार निकट भविष्य में अनुसूचित जातियों के और अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने का है, ताकि अल्प संख्यक जातियों के लिये आरक्षित कोटे को बनाये रखा जा सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) अनुसूचित जाति का कोई अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नहीं चुना गया ।

(ख) आरक्षित कोटा केवल सीधी नियुक्ति के आधार पर भरे जाने वाले पदों पर ही लागू होता है । द्वितीय श्रेणी के पदों में, अनुसूचित जातियों के सदस्यों द्वारा भरे गये पदों की प्रतिशतता 17.6 है और प्रथम श्रेणी में प्रतिशशता 5.5 है, जबकि प्रत्येक के लिए निर्धारित कोटा 12.5 प्रतिशत है । प्रथम श्रेणी के पदों की कमी को पूरा करने के लिये उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

तांबे तारों की चोरी

8893. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अवैध रूप से टेलीग्राफ तार कब्जे में रखने संबंधी अधिनियम, 1950 में संशोधन किए जाने के बाद टैलीग्राफ-खम्बों से तांबे के तारों की चोरी में कमी हुई है ;

(ख) इसके कारण प्रति वर्ष कितनी हानि होती है ; और

(ग) तारों की चोरी को कम करने के लिये तांबे के तारों के स्थान पर ताबे के 'वैल्ड" तारों के लगाने में कितनी प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) अन्तिम संशोधन 1962 में हुआ था । चोरी के मामलों में कोई कमी नहीं हुई है । राज्य-सभा ने 1969 में जो टेलीग्राफ तार (अवैध रूप से कब्जे में रखने सम्बन्धी) संशोधन विधेयक पास किया था उसे अभी लोक-सभा ने इस वर्ष पास करना है । इसलिए अभी यह लागू नहीं हुआ है ।

(ख) चोरी के कारण 1967-68 के दौरान 68.38 लाख रु० के सामान की हानि हुई ।

(ग) 3600 किलो मीटर ताबे के तारों के स्थान पर ताबे के 'वेल्ड' तार लगाए गए हैं ।

Telegraph Offices in District West Nimar (M. P.)

8894. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communication** be pleased to state :

(a) the present position of Telegraph Offices in District West Nimar (Madhya Pradesh) ;

(b) whether Telegraph Offices have been provided in almost all the Post offices ;

(c) the population for which Government provides a Telegraph Office ;

(d) whether it is a fact that not even one Telegraph Office has been provided in 20-25 miles of tribal area in Madhya Pradesh ; and

(e) if so, the reactions of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) There are 18 Telegraph Offices working in West Minar District of Madhya Pradesh.

(b) No, Sir.

(c) Telegraph Offices can be provided at any place, irrespective of population, if the scheme is remunerative. If not, places having population of over 5,000 can be provided with Telegraph Offices, if the loss to the department in each case for providing the facility does not exceed Rs. 2,000/- per annum.

(d) In the tribal areas of Madhya Pradesh there are at present 35 telegraph offices working. There may however be cases where in 20-25 miles of tribal area no telegraph office may be existing.

(e) This aspect is being examined and after proper examination telegraph offices would be opened progressively according to the existing policy.

Delivery of Telegraphs in Villages

8895. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communication** be pleased to state :

(a) the nature of arrangement made by the Government to ensure that telegrams are delivered to villages expeditiously ;

(b) whether cycles or motor-cycles etc. have been provided to those postmen who have to deliver telegrams in far off villages ;

(c) whether it is a fact that the postmen have to walk miles together to deliver telegrams in some villages of Madhya Pradesh ; and

(d) if so, the action Government propose to take in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) According to the existing rules telegrams are delivered by the messengers to places within a radius of 8 kms. from the telegraph offices concerned. Beyond this distance telegrams are delivered either by post without additional charge or by special messengers if charges for the same have already been paid for by the sender.

To expedite delivery of telegrams more and more telegraph offices are opened in rural-areas.

(b) All telegraph and postal messengers are encouraged by giving cycle advances to possess their own cycles for delivery of telegrams and are paid cycle maintenance allowance of Rs. 4/- p. m.

The Departmental cycles are not normally provided to the staff for the delivery of telegrams even in remote places on account of obvious cycle maintenance difficulties, hilly terrains and non-availability of fair weather roads.

(c) It is no doubt true that wherever telecommunication facilities are not available in the interior, the village postmen effect delivery of telegrams along with the miles. For delivery in certain remote villages the postmen have no option but to travel even long distance on foot.

(d) The possibility of such long distances being traversed on foot is being reduced by opening more and more Posts and Telegraphs offices as far as practicable even on loss basis.

चरखी दादरी (हरयाणा) और दिल्ली के बीच सीधा टेलीफोन संपर्क

8896. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चरखी दादरी (हरयाणा) और दिल्ली के बीच तथा चरखी दादरी (हरयाणा) और रोहतक के बीच सीधे टेलीफोन सम्पर्क स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) चरखी दादरी का दिल्ली से कब सीधा संपर्क हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली-भिवानी तथा भिवानी-चरखी दादरी खंडों में नई बहु-सरणि वाहक प्रणालियां स्थापित की जा रही है । यह काम पूरा हो जाने पर चरखी-दादरी से दिल्ली और रोहतक के लिए सीधे परिपथों की व्यवस्था कर दी जाएगी ।

(ग) आशा है, कि लगभग एक वर्ष में यह काम पूरा हो जायेगा और परिपथों की व्यवस्था कर दी जाएगी ।

खेतिहर मजदूर

8897. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग ने खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Agricultural Research Institutes in Madhya Pradesh

8898. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the places in Madhya Pradesh where Agriculture Research Institute have been opened ;

(b) if no such institute has been opened there the reasons therefor ; and

(c) the steps being taken by Government to open such institutes in Madhya Pradesh ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : The Indian Council of Agricultural Research has not opened any agricultural research institute in Madhya Pradesh. Several years ago, a Wheat Breeding Sub-station of the Indian Agricultural Research Institute was established at Indore ; the Sub-station still continues to operate.

(b) The responsibility for research in a State rests with the State Government. The general policy of the Council is not to set up new research institutes in States except in very special cases. It may, however, be mentioned that this Council is assisting Madhya Pradesh, and many other States, by locating research centres under the All-India Co-ordinated Research Projects sponsored by the I. C. A. R.

(c) Does not arise.

Sanctuary at Swai Madhopur (Rajasthan)

8899. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the sanctuary at Swai Madhopur (Rajasthan) is one of the prominent sanctuaries in the country ;

(b) whether it is also a fact that it is being neglected at present ; and

(c) if so, the reasons therefor and the amount spent by Government on different items for development thereof during the past three years, separately ; and

(d) the nature of development schemes drawn up by Government for the near future ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (d). The required information is being collected from the Government of Rajasthan and will be placed on the Table of the Sabha.

सब्जी मन्डी में कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

8900. **श्री देवेन सेन** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सब्जी मंडी, दिल्ली में लगभग 2000 श्रमिक पिछले 10-12 वर्षों से काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें से किसी को भी स्थायी नहीं बनाया गया है और उन्हें सेवा की सुरक्षा सम्बन्धी अथवा अन्य कोई सुविधाएं नहीं दी गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनको स्थायी बनाने और अन्य सुविधाए देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन से पूछ-ताछ करने से ज्ञात हुआ है कि फल तथा सब्जी मंडी के आड़ती समय समय पर माल लादने और उतारने तथा अन्य फुटकर कामों के लिये पल्लेदार तथा आकस्मिक मजदूरों को काम पर लगाते हैं । इन्होंने लगभग 500 मजदूरों को नियमित रूप से रखा है ; ये मजदूर दिल्ली दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम 1954 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 से रक्षित हैं । इन अधिनियमों के अधीन इन मजदूरों को सप्ताह में 48 घन्टे काम करने, साप्ताहिक छुट्टी, निर्धारित समय पर मजदूरी की अदायगी, तीन माह की सेवा के पश्चात नोटिस वेतन आदि

तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दर से मजदूरी की अदायगी की गारन्टी है। इन अधिनियमों में कामगरों को स्थायी बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय भविष्य निधि संगठन का सतर्कता अनुभाग

8901. **श्री सरजू पांडेय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय भविष्य निधि संगठन के सतर्कता अनुभाग में नियुक्त कर्मचारियों के नाम और पदनाम क्या हैं ; और

(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अंशदाताओं के 51 लाख से भी अधिक खातों का हिसाब-किताब रखने वाले संगठन के लिये सर्तकता व्यवस्था के लिए नियुक्त किए गए इतने कर्मचारी पर्याप्त हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि एक स्वायत्त संगठन है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत स्थापित किया गया था। इस संगठन के सतर्कता सम्बन्धी तथा अन्य सभी मामले केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त देखता है जिस पर केंद्रीय न्यासी बोर्ड का नियंत्रण है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पदोन्नतियां

8902. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सहायक भविष्य निधि आयुक्त 'श्रेणी एक' से क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, श्रेणी 'दो' में पदोन्नति सामान्य रूप से होती है ;

(ख) यदि हां, तो 16 वर्ष पहले संगठन की स्थापना के समय से अब तक यह पदोन्नति केवल एक ही अधिकारी को दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त अधिकारी की पदोन्नति किन कारणों से की गई थी; और

(घ) क्या इस से उन सहायक भविष्य निधि आयुक्तों (श्रेणी एक) के प्रति भेदभाव होता है जिन्हें क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (श्रेणी तीन) के रूप में पदोन्नति दी जाती है न कि क्षेत्रीय आयुक्त (श्रेणी दो) के रूप में ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). वर्ष 1966 में भर्ती नियम लागू होने से पहले वर्ष में एक सहायक भविष्य निधि आयुक्त (श्रेणी एक) को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (श्रेणी दो) के पद पर पदोन्नत किया गया था क्योंकि उस समय पदोन्नति के लिए कोई क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (श्रेणी तीन) नहीं था। चूंकि यह पद नया बनाया गया था, अत: विभागीय सबसे अधिक वरिष्ठ सहायक भविष्य निधि आयुक्त (श्रेणी एक) को उस पर पदोन्नत कर दिया गया था।

(घ) इसमें भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि नियुक्ति स्वीकृत भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाती है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

8903. **श्री सरजू पांडेय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कुछ कर्मचारियों को जिन्होंने संगठन में 1 अप्रैल, 1968 को 2 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली थी, अपने संबंधित पदों पर अभी तक स्थायी घोषित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो श्रेणीवार इन कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ग) उनको स्थायी न बनाये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उनकी सेवा की सुरक्षा और सेवा की अन्य शर्तों के सम्बन्ध में सांवैधानिक सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि एक स्वायत संगठन है जो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत स्थापित की गई है। यह संगठन न्यासियों के केंद्रीय बोर्ड द्वारा प्रशासित होता है । प्रश्न में पूछी गई बातों के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(घ) इस संगठन के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें कर्मचारी भविष्य निधि (कर्मचारी और सेवा की शर्तें) विनियम, 1962 के उपबन्धों से प्रशासित होती हैं । ये विनियमन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाली समान नियमावली को आधार रख कर बनाये गये हैं ।

Fall in Prices of Potatoes and Sugarcane

8904. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
Shri Maharaj Singh Bharati :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that farmers are much worried over the fall in prices of potatoes and sugarcane ; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). For sugarcane, minimum prices payable by sugar factories are fixed. Under the policy of partial decontrol, the sugar factories were expected to pay a higher price than the minimum prices. A large number of factories have paid cane prices higher than the minimum.

For potatoes, present prices are lower than those last year. However, during the recent weeks' prices have shown an upward trend. Long term measures for meeting the problem of surpluses in local potato markets are being studied.

हसनपुर चीनी मिल द्वारा गन्ने के मूल्य का भुगतान

8905. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हसनपुर चीनी मिल गन्ना उत्पादकों को 9.68 रु० प्रति क्विंटल की दर से भुगतान करती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या चीनी मिल द्वारा गन्ना उत्पादकों को चीनी सप्लाई करने की कोई व्यवस्था है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिंदे) : हसनपुर चीनी मिल ने पहली जनवरी, 1969 से 31 मार्च, 1969 को अपना काम बन्द करने तक मिल के दरवाजे पर 10 रुपये प्रति क्विंटल और बाहर स्टेशनों पर 9.50 रुपये क्विंटल गन्ने का दाम दिया था जबकि उपलब्धि के आधार पर सांविधिक न्यूनतम मूल्य 7.48 रुपये प्रति-क्विन्टल निर्धारित किया गया था। तथापि, पहली जनवरी, 1969 से पूर्व गन्ने का दाम दरवाजे पर 9.00 रुपये प्रति क्विंटल और बाहर स्टेशनों पर 8.68 रुपने प्रति क्विंटल दिया गया था।

(ग) से (ङ). उत्पादन का 70 प्रतिशत लेवी चानी के रूप में प्राप्त किया जाता है और यह चीनी राज्य सरकारों को मुख्यतः घरेलू उपभोक्ताओं में नियन्त्रित वितरण के लिए दी जाती है। उत्पादन का शेष 30 प्रतिशत कोटा कारखानों को खुले बाजार में बिक्री के लिए दिया जाता है। कारखाने जिसे केवल लाइसेंसशुदा चीनी व्यापारियों को बेच सकते हैं। कारखानों द्वारा गन्ना उत्पादकों को सीधे कोई चीनी सप्लाई नहीं की जाती है।

Application of Nuclear Scientific Know-How in Agriculture

8906. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are implementing a scheme with foreign collaboration in respect of application of nuclear scientific know-how in Agriculture and animal husbandry ;

(b) if so, the names of foreign countries collaborating in this scheme and the extent of progress achieved thereby ;

(c) whether it is also a fact that progress is not being achieved as expected ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : The Government of India is implementing a project for the application of nuclear tools in agriculture and animal husbandry with the help of U. N. Development Programme (Special Fund).

(b) There is no specific foreign country collaborating in this Project. The Project Manager on the U. N. D. P. Side is a Professor from the Royal College of Agriculture, Upsala, Sweden. The project also provides for getting some foreign experts who may be drawn from different countries, since the choice of experts will be on the basis of their special skill and knowledge and not upon the country of their origin. The project has been initiated in October 1968 and a detailed programme of work has been drawn up.

(c) No.

(d) Does not arise.

Post Offices in Gram Panchayat of Bihar

8907. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at least one Post Office has not so far been opened in

each Gram Panchayat of Kesaria, Pipra and Madhuvan Police Stations of Champaran District Sahibganj, Baruraj and Paran Public Stations of Muzaffarpur District and Taraiya, Amnaur and Mathoura Police Stations of Saran District of Bihar ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the names of places where it is proposed to open Post Offices in the above mentioned areas during the current financial year ;

(d) the dates by which they would be opened ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes.

(b) The present policy does not contemplate opening of Post offices in villages merely because they are headquarters of gram panchayats. Gram Panchayat villages will qualify for a post office only if they fulfil the departmental standards relating to distance from the nearest post office, limit of loss, population etc.

(c) Justification for a post office in the following villages is under examination :

Mahima Gopinath Naurangia Talimpur	under Baruraj Police Station.
Rupain	under Madhuban Police Station.
Pipra Kaithwalia Kusher Mohammadpur	under Kesaria Police Station.
Chintamanpur Bhirkhia	under Pipra Police Station.

(d) The actual opening and date of opening of the post offices will depend upon the justification and the availability of funds.

(e) Does not arise.

मदुरै (तामिलनाडु) में आकाशवाणी केन्द्र

8908. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मदुरै (तामिलनाडु) में आकाशवाणी का एक नया केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उस केन्द्र पर कितना धन खच होने का अनुमान है; और

(ग) यह केन्द्र कब तक चालू हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

कोसी नदी क्षेत्र का सर्वेक्षण

8909. **श्री राजदेव सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इसे अवांछनीय मानती है कि इस बात का अनुमान लगाने के लिए, कि इस क्षेत्र तथा इसकी जनता को क्या और कितना लाभ पहुंचता है तथा बिहार की अर्थ

व्यवस्था पर इनका कुल कितना प्रभाव पड़ता है; भारतीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् या किसी अन्य अभिकरण से कोसी नदी क्षेत्र का सर्वेक्षण करवाया जाना चाहिए;

(ख) क्या सरकार यह समझती है कि अन्य नदी घाटी परियोजनाओं में खेती योग्य नदी क्षेत्र के विकास के लिए ऐसा सर्वेक्षण लाभदायक होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). प्राक्कलन समिति (1968-69) (चौथी लोक सभा) ने अपनी 68वीं रिपोर्ट कोसी परियोजना—में यह सिफारिश की है कि राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् या किसी अन्य समुचित अभिकरण द्वारा कोसी नदी का सर्वेक्षण करवाया जाना चाहिए जिससे कि इस बात का पता लगाया जाये कि इस क्षेत्र की जनता को कितना तथा किस हद तक लाभ पहुंचता है और बिहार की अर्थ व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। इस सिफारिश को सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के पास टिप्पणी के लिए भेजा गया है। अब राज्य सरकार इस सिफारिश पर विचार कर रही है।

पुरी-हैदराबाद एक्सप्रेस में छटनी अनुभाग का खोला जाना

8910. **श्री स० कुन्दू** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरी-हैदराबाद एक्सप्रेस में एक छंटनी अनुभाग खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). जेड-1 नाम का एक छंटाई अनुभाग बहुत पहले से ही हैदराबाद-विजयवाड़ा के बीच पुरी-हैदराबाद एक्सप्रेस में काम कर रहा है। विजयवाड़ा से आगे के लिए छंटाई अनुभाग खोलने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

उड़ीसा में डाक-तार कर्मचारियों को तूफान सहायता ऋण

8911. **श्री स० कुन्दू** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को तूफान-सहायता ऋण दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऋण किस तारीख अथवा किन तारीखों को दिया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो ऋण क्यों नहीं दिया गया है तथा इसके कब तक दिये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क)

से (ग). तूफान सहायता ऋण के लिए उड़ीसा से विभिन्न तूफान से पीड़ित कर्मचारियों से 7-4-69 से 26-4-69 तक अलग-अलग तारीखों पर पोस्टमास्टर जनरल को आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। दावों की वास्तविकता संबन्धी आवश्यक जांच पड़ताल करने के बाद पात्र कर्मचारियों के लिए 30-4-69 को मंजूरी दे दी गई है। अब इसका भुगतान किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश के जबलपुर और भोपाल डिवीजनों में टेलीफोन केन्द्र तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

8912. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के जबलपुर और भोपाल डिवीजनों में टेलीफोन केन्द्रों का विकास करने तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने की कोई योजना बनाई अथवा स्वीकृत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भोपाल और जबलपुर डिवीजनों में निम्नलिखित एक्सचेंज खोलने और उनके विकास के लिए मंजूरी दे दी गई है—

जबलपुर डिवीजन

नए एक्सचेंज

(i) आजमगढ़

(ii) वैहार

(iii) धनसौर

(iv) जबलपुर तीसरा एक्सचेंज

(v) लक्ष्मादोन

(vi) महाराजपुर

(vii) नैनपुर

(viii) शोभापुर

विस्तार/उपस्कर बदलना

(i) छिन्दवाड़ा करचल एक्सचेंच के स्थान पर स्वचालित एक्सचेंज लगाना

(ii) जबलपुर

(iii) कटनी

(iv) रीवा

(v) सतना

भोपाल डिवीजन

नए एक्सचेंज

(i) भेनसदेही

(ii) घोड़ाडोंगरी

(iii) खिलचीपुर

विस्तार तथा उपस्कर बदलना

(i) बुरहानपुर

(ii) वैरागढ़

(iii) नरसिंहगढ़

(iv) रायसेन

(v) सारंगपुर

(vi) सिरोंज

II. चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन डिवीजनों में से प्रत्येक में 20 सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयातित ट्रैक्टरों का वितरण

8913. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष आयात किये जाने वाले ट्रैक्टरों में से प्रत्येक राज्य को कितने ट्रैक्टर आवंटित किये गये हैं अथवा आवंटित करने का विचार है;

(ख) क्या वितरकों से सांठगांठ करके एक राज्य को आवंटित किये गये ट्रैक्टर अन्य राज्य के व्यक्तियों द्वारा खरीदे जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस कदाचार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) वित्तीय वर्ष 1968-69 की आवश्यकताओं के अन्तर्गत 15000 ट्रैक्टरों को आयात करने का निश्चय किया गया है। इनमें से 3487 ट्रैक्टर पहले ही देश में पहुँच चुके हैं और शेष की भी 1969-70 के दौरान प्राप्त होने की संभावना है। विभिन्न राज्यों को नियंत्रित ट्रैक्टरों

की संख्या संलग्न विवरण में दे दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1047/69]।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

विभिन्न राज्यों में बीड़ी श्रमिकों की मजूरी में असमानता

8914. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**

श्री देवराज पाटिल :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री 17 अप्रैल, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 1165 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में बीड़ी श्रमिकों की मंजदूरी की दरों में असमानता होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उन्हें गुजरात की दरों पर मंजूरी देकर समान स्तर पर लाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) न्यूनतम मंजूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग में किये जाने वाले रोजगार के बारे में न्यूनतम मंजूरी को निर्धारित तथा संशोधित करने का कार्य पूर्ण रूप से राज्य के अधिकार में आता है। कुछ बातें जिनसे विभिन्न राज्यों में दी जाने वाली मजूरी में असमानता आती है, निम्न-लिखित है :—

(1) समतुल्य रोजगारों में मजूरी की चालू दरें।

(2) श्रमिकों की मांग और पूर्ति।

(3) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न समयों में न्यूनतम मजूरी दरों में संशोधन।

(ख) बीड़ी उद्योग में निर्धारित न्यूनतम मजूरी दरों में पाई जाने वाली असमानताओं के प्रश्न पर सरकार ने दिसम्बर, 1967 में राज्यों के श्रम मंत्रियों के साथ हुई एक बैठक में विचार किया। इस बैठक का यह विचार था कि सम्बन्धित राज्यों में न्यूनतम मंजूरी की एक समान दर करना संभव नहीं है, लेकिन वर्तमान असमानताओं को धीरे-धीरे कम कराने के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए और संबंधित राज्यों के सीमान्त क्षेत्रों के बारे में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में संचार साधन

8915. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री 7 अप्रेल, 1969 के तारांकित प्रश्न-संख्या 1145 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सर्किल द्वारा डाकघरों के लिये घाटे की अनुमेय सीमा 500 रुपये की बजाय 360 रुपये निर्धारित किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर तथा होशंगाबाद जिलों में उन ग्रामों में अब तक तारघरों की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं जिनमें पुलिस के उपनिरीक्षकों के अधीन पुलिस थाने हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) डाकघर खोलने और उन्हें स्थायी बनाने के लिए घाटे की स्वीकार्य सीमाओं का निर्धारण भारत सरकार ने किया है, पोस्टमास्टर जनरल, भोपाल ने नहीं। मौजूदा आदेशों के अन्तर्गत घाटे की कई स्वीकार्य सीमायें अर्थात देहाती क्षेत्रों में डाकघर खोलने के उद्देश्य से सामान्य इलाकों में 500 रुपयों, 750 रुपयों की और काफी पिछड़े इलाकों में 1000 रुपयों और 2500 रुपयों की, निर्धारित की गई हैं। सामान्य तौर पर किसी डाकघर को तभी स्थायी बनाया जाता है, जब वह 240 रुपये के घाटे की वार्षिक स्वीकार्य सीमा के भीतर आ जाता है। लेकिन जिन आज-माइशी डाकघरों ने अपने खुलने की तारीख से दस वर्ष पूरे कर लिये होते हैं, और जो निकटतम डाकघरों से तीन मील से कम की दूरी के भीतर स्थित नहीं होते, उन्हें स्थायी बनाया जा सकता है, बशर्ते कि उनके संचालन पर होने वाला घाटा प्रति डाकघर प्रतिवर्ष 360 रुपये से अधिक न हो। उसी तरह ऐसे आजमाइशी डाकघरों को स्थायी बनाया जा सकता है यदि उनका वार्षिक घाटा प्रतिवर्ष प्रति वर्ष प्रति डाकघर 500 रुपये से अधिक न हो और बशर्ते कि निकटतम डाक-घर पांच मील से कम की दूरी पर स्थित नहीं हो।

(ख) होशंगाबाद जिले के 13 पुलिस थानों और नरसिंघपुर जिले के 6 पुलिस थानों के मुख्य नगरों में तार सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है। पोस्टमास्टर जनरल, भोपाल द्वारा शेष प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

रतीबती कोयला खान में श्रमिकों को बहाल करना

8916. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : **श्री उमानाथ** :
श्री के० रमानी : **श्री भगवानदास** :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में रानीगंज की रतीबती कोयला खान में तालाबन्दी के समय उस कोयला खान की उपस्थिति नामावली में कुल कितने श्रमिकों के नाम दर्ज थे ;

(ख) 13 नवम्बर, 1967 को हुए समझौते के अनुसार उन श्रमिकों में से जिनके नाम पहले उपस्थिति नामावली में दर्ज थे, कितने श्रमिकों को पुनः नौकरी में लिया गया है;

(ग) उन सब श्रमिकों को जिनके नाम उपस्थिति नामावली में थे, पुनः नौकरी में न लिये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) सब श्रमिकों को पुनः नौकरी पर न लिये जाने के कारण क्या प्रबन्धकों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क)

(ख) 882

(ग) पांच व्यक्ति मर गये थे तथा प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों को वापिस काम पर बुलाने के लिए पत्र भेजने से पहले 57 श्रमिकों ने और बाद में 35 श्रमिकों ने पद त्याग दिये थे। 399 श्रमिक काम पर वापिस नहीं आये।

(घ) से (च). चूंकि प्रबन्धकों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1957 के सम्बन्धित उपबन्धों का कोई उल्लंघन नहीं किया था इसलिए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता था।

रतीबती कोयला खान (रानीगंज) में दुर्घटना

8917. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री के० रमानी :**
श्री भगवान दास : **श्री उमानाथ :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रतीबती कोयला खान में मार्च 1969 में हुई दुर्घटना में कितने मजदूर फंस गये थे और उनके नाम क्या हैं;

(ख) उस दुर्घटना में कितने व्यक्ति मरे तथा घायल हुए और उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उस पारी तथा उससे पहली पारी की उपस्थिति पंजी अपने कब्जे में ली है; और

(घ) यदि हां, तो उस पंजी में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री भागवत झा आजाद**) : (क) (1) श्री रशु राय (2) लाडू जादव (3) श्री राम बिलास महतो (4) रामाशीष शाव।

(ख) कोई नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रतीबती कोयला खान में दुर्घटना

8918. **श्री भगवान दास :** **श्री उमानाथ :**
श्री के० रमानी : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रानीगंज में रतीबती कोयला खान का कुछ भाग नूमियां नदी के नीचे है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि मार्च 1969 में रतीबती कोयला खान के उस भाग में जो नूमिया नदी के नीचे है एक दुर्घटना हो गई थी;

(ग) क्या नदी के नीचे काम करने के बारे में खान सुरक्षा विभाग द्वारा कुछ विनियम तथा विशेष अनुदेश दे रखे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या रतीबती कोयला खान के प्रबन्धकों ने इन अनुदेशों और विनियमों का पालन किया; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इन विनियमों और अनुदेशों का उल्लंघन किये जाने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, हाँ ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रतीबती कोयला खान में दुर्घटना

8919. **श्री वि० कु० मोडक :** **श्री गणेश घोष :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री भगवानदास :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1969 में रतीबती कोयला खान में भूमि के नीचे कोई दुर्घटना हुई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ;

(ग) दुर्घटना किस समय और किस तारीख को हुई थी ;

(घ) खान प्रबंधकों ने खान सुरक्षा विभाग को इस दुर्घटना के बारे में कब सूचित किया था ;

(ङ) खान सुरक्षा विभाग को तुरन्त सूचित न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(च) क्या सरकार ने इस त्रुटि के लिए प्रबंधकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) घुसिक 'ए' सीम के पश्चिम स्तर से कुछ दूर नं० 2 पश्चिम की ओर उठे हुए मुख में ब्लास्ट किए हुए कोयले को जब चार लौडर भर रहे थे, तब नं० 6 पश्चिम स्तर और नं० 2 के उठे हुए भाग के जंकशन पर छत गिर गई। बलती हुई रेत आ गई और उसने पूरी तरह जंकशन को बन्द कर दिया जिससे लोडर एक खड्डे के अन्दर बन्द हो गये

(ग) 15-3-1969 को लगभग 01.00 पूर्वाह्न में ।

(घ) 15-3-1969 को 02.30 पूर्वाह्न में ।

(ङ) से (छ). प्रश्न नहीं उठते ।

कनारदीन कोयला खान, रानीगंज

8920. श्री भगवानदास : श्री गणेश घोष :
श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1967 में रानीगंज में कनारदीन कोयला खान में कुल कितने श्रमिक काम करते थे ;

(ख) जनवरी, 1968 में कनारदीन कोयला खान में कुल कितने श्रमिक काम करते थे ;

(ग) पुराने श्रमिकों की संख्या में कमी होने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि प्रबन्धकों द्वारा मनमाने ढंग से पुराने श्रमिकों की छंटनी की गई ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार को कोयला खान मजदूर सभा से इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(च) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(छ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 775 ।

(ख) 601 ;

(ग) 107 श्रमिकों ने त्याग-पत्र दे दिये, और 67 श्रमिक बिना अनुज्ञा अनुपस्थित रहे जिनमें छुट्टी की अवधि समाप्त होने के बाद अनुपस्थित रहने वाले भी सम्मिलित हैं ;

(घ) जी नहीं ।

(ङ) ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(च) और (छ). प्रश्न नहीं उठते ।

मध्य प्रदेश के लिये उठाऊ सिंचाई योजनायें

8921. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली अप्रैल 1966 से अब तक मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई उठाऊ सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

(ख) ये योजनायें किन-किन तारीखों को प्राप्त हुई और किन-किन तारीखों को मंजूरी दी गई ; और

(ग) यदि किसी योजना को मंजूरी नहीं दी गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). 1-4-66 से मध्य प्रदेश सरकार से उठाव सिंचाई के लिए कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

1968-69 तक चालू रहने वाली केन्द्रीय सहायता की क्रियाविधि के अनुसार राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता सारे लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिये दी जाती है नाकि अलग-अलग योजनाओं के आधार पर। वर्तमान क्रियाविधि के अनुसार लघु सिंचाई कार्यक्रम के अधीन आने वाले नल कूपों, फिल्टर प्वाइंटों, कूओं की खुदाई, खुले कुओं, तालाबों, अहारों, बांधों, उठाऊ सिंचाई योजनाओं आदि के लिए भारत सरकार की मंजूरी आवश्यक नहीं है।

श्री लंका से स्वदेश लौटे लोगों का पुनर्वास

8922. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास बोर्ड ने, जो श्रीलंका से स्वदेश लौटे भारतीयों के पुनर्वास की समस्याओं की देखभाल करने के लिए बनाया गया है, श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों को आरम्भ में ठहराने के लिये आवाजाही शिविरें स्थापित करने की कोई योजनायें बनायी है, जिनके जुलाई, 1969 से बड़ी भारी संख्या में भारत लौटने की आशा है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने तथा किन-किन स्थानों पर शिविर स्थापित करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). पुनर्वास बोर्ड ने, जो सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ, श्री लंका से लौटने वाले भारतीयों को उद्योग तथा अन्य गैर-कृषक कार्यक्रमों में पुनर्व्यवस्थापन से सम्बन्धित नीतियों तथा उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए गठित किया गया है, श्रीलंका से लौटने वाले भारतीयों के लिए आवाजाही केन्द्र स्थापित करने की सुविधाओं के बारे में कोई योजना तैयार नहीं की है। तथापि, श्रीलंका से लौटने वाले भारतीयों के लिए सरकार ने तमिल नाडु राज्य में मण्डपम स्थान पर एक आवाजाही शिविर स्थापित करना अनमोदित कर दिया है। जिसके लिए 12.33 लाख रुपये का व्यय मंजूर किया जा चुका है। इस शिविर से लौटने वाले लगभग 700 परिवारों को आवास सुविधाएं प्राप्त होंगी। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि शिविर आवास का अधिकांश भाग पहले ही पूर्ण हो चुका है।

जब कभी अन्य आवाजाही केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता होगी, आवश्यकता की पूर्ति के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

Creation of Saharsa District as a separate Postal Zone

8923. **Shri Gunanand Thakur** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the area of Baktiarpur and Sarkhua regions of District Saharsa falls under the Postal Zone of Monghyr District and some area of Saharsa District falls under the Postal Zones of Darbhanga and Purnea district ;

(b) whether Government propose to make Saharsa district a separate postal zone ; and

(c) if so, the time by which it is likely to be done and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes.

(b) and (c). Formation of separate Postal Division for Saharsa Revenue District is not justified according to prescribed departmental standards. The proposal has, therefore, been defferred.

Post Offices in Saharsa District

8924. **Shri Gunanand Thakur :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of Postal Offices in Saharsa District during the last two years ;

(b) the number of post offices proposed to be opened there and the time by which a decision is likely to be taken in this regard ; and

(c) the number of proposed post offices in respect of which necessary enquiries have since been made ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) 12.

(b) Subject to availability of funds and fulfilment of departmental standards, it is proposed to establish 12 post offices during the current year. A decision in this regard will be taken after examination of individual proposals.

(c) 10.

बीज प्रौद्योगिकी में अनुसंधान

8925. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1969 के दूसरे सप्ताह में नई दिल्ली में हुई बीज विशेषज्ञों की चार दिवसीय विचार गोष्ठी ने सिफारिश की है किबीज प्रौद्योगिकी में अनुसन्धान को सुदृढ़ किया जाना चाहिए और सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में बीजों से सम्बन्धित कर्मचारियों को अधिक गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, हां, अप्रैल, 1969 में नई दिल्ली में हुई बीज विशेषज्ञों की एक विचार गोष्ठी ने बीज प्रौद्योगिकी के विकास और अनुसंधान के बारे में अनेक सिफारिशें की हैं, जिनमें कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी शामिल है। विचार गोष्ठी के औपचारिक कार्यवाही वृत्तान्त की प्रतीक्षा है।

(ख) सरकार भारत में बीज प्रौद्योगिकी में अनुसन्धान और विकास की आवश्यकता को महसूस करती है।

(ग) इस सम्बन्ध में अनेक कदम उठाये जा चुके हैं। इनमें शामिल हैं

(क) देश में फसलों के पौधों के उन्नत किस्मों के शुद्ध प्रमाणीकृत बीजों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने और राज्य सरकारों के सहयोग से पर्याप्त मात्रा में किसानों को उन्हें उपलब्ध करने के लिए बीज अधिनियम का बनाया जाना, (ख) बीज प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिये भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली में बीज प्रौद्योगिकी डिवीजन की स्थापना, (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा बीज प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और प्रशिक्षण से सम्बन्धित देश में अन्य एजेन्सियों के सहयोग से उन्नत किस्मों के आधार बीजों के उत्पादन और बीज कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना।

भारत में प्रवास करने वाले व्यक्तियो का पुनर्वास

8926. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 के पश्चात गत पांच वर्षों में पड़ोसी देशों से कितने व्यक्तियों ने भारत में प्रवास किया ; और

(ख) उन का पुनर्वास करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 26-4-1969 तक राज्य सरकारों तथा अन्य सम्बधित प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना के अनसार, पूर्वी पाकिस्तान से आये नये प्रवासियों तथा बर्मा और श्रीलंका से स्वदेश लौटे भारतीयों की संख्या निम्न में दी गई है :—

पूर्वी पाकिस्तान से आये नये प्रवासी (1-1-1964 से)	8,46,810
बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीय (1-6-1963 से)	1,68,483
श्रीलंका से स्वदेश लौटे भारतीय (30-10-64 से)	8,275

(ख) विस्थापित व्यक्तियों को कृषि में पुनर्व्यवस्थापन देने के लिये बहुत से राज्यों में पुनर्वास स्थल स्थापित किये जा चुके हैं। पूर्वी पाकिस्तान से आये नये प्रवासियों की एक बड़ी संख्या को दण्डकारण्य परियोजना में भी पुनर्व्यवस्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों तथा महाराष्ट्र के चान्दा जिला में विशेष क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। गैर-कृषकों के सिए, कारोबार आरम्भ करने तथा मकानों/दुकानों के निर्माण के लिए ऋण दिये जाते है ! उनको उद्योग तथा अन्य उपयुक्त संस्थानों में रोजगार दिलाने के प्रयत्न भी किये जाते हैं।

बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों के पुनर्व्यवस्थापन के सम्बन्ध में भी ऐसे ही पुनर्वास उपाय किये गये हैं। उन्हें भी व्यापार तथा आवास ऋण दिये जाते हैं। कुछ परिवारों को भूमि उपनि-

वेशन योजना तथा इस विभाग द्वारा मंजूरी की गई अन्य योजनाओं के अन्तर्गत भी बसाया जाता है ।

श्रीलंका से स्वदेश लौटे भारतीयों को व्यापार ऋण तथा आवास ऋण देने की प्रतिरूप योजनाएं मंजूर कर दी गई हैं और यह योजनायें सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं । इनको बागान तथा कृषि में पुनर्व्यवस्थापन देने के लिये कुछ विशिष्ट योजनाएं भी मंजूर कर दी गई हैं ।

गन्ने की फसल को क्षति

8927. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिक गरमी पड़ने के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में गन्ने की अधिकांश फसल को क्षति हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गन्ने की फसल को क्षति होने के कारण पेराई के लिए कारखानों को गन्ने की सप्लाई पर प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक सहायतार्थ क्या उपाय किये गये हैं ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

(ग) प्रश्न नहीं होता ।

Issue of Milk Tokens to M.Ps. by Delhi Milk Scheme :

8928. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of applications so far sent by the Members of Parliament to the Chairman of Delhi Milk Scheme for issue of Milk Tokens since 1st, November, 1968 ;

(b) the number of persons out of them who have been issued milk tokens and those who have not so far been issued milk tokens ; and

(c) the action taken by Government to issue milk tokens to the remaining applicants.

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) 10,820 applications for issue of milk tokens has been received by Delhi Milk Scheme through Members of Parliament and other dignitaries since November, 1968. Separate particulars are not maintained in respect of applications received through Members of Parliament.

(b) Out of (a) above, Milk tokens have been issued against about 7,000 applications received upto February 28, 1969.

(c) Milk tokens will be issued to the remaining applicants as and when the handling capacity of the Dairy is expanded. Necessary steps are being taken to expand the capacity.

छोटे समाचार-पत्रों पर डाकदर को कम करना

8929. **श्री ई० के० नायनार :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 60 ग्राम तक भार वाले 15 पैसे तक के मूल्य वाले छोटे समाचार-पत्रों पर डाकदर को घटा कर 2 पैसे की पुरानी दर पर लाने के लिये कार्यवाही करने का है ;

(ख) क्या यह सच कि 1968 में बंगलौर में हुए अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन द्वारा यह मांग की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां, 60 ग्राम तक के भार वाले रजिस्टर्ड समाचार पत्रों की एकल प्रतियों की डाक दर घटाकर 2 पैसे की पुरानी दर पर लाने का निर्णय 29 अप्रैल, 1969 को लोक-सभा में पहले ही घोषित कर दिया गया है।

(ख) दिसम्बर 1968 में बंगलौर में हुए अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन ने भी छोटे समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं की डाक दरें घटाने की मांग की थी।

(ग) ऊपर (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में कृषि विश्वविद्यालय

8930. **श्री ई० के० नायनार :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1969-70 के लिए केरल राज्य की वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श करते समय राज्य के प्रतिनिधियों ने स्पष्टीकरण दिया कि कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में अभी तक निर्णय नहीं किया गया है। कार्यकारी दल ने केरल में, कृषि विश्वविद्यालय सहित कृषि शिक्षा के लिए 8.25 लाख रुपये की व्यवस्था की सिफारिश की है।

(ख) केरल सरकार ने कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। यह भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के विचाराधीन है।

नजफगढ़ रोड, दिल्ली में नारायणा में झुग्गी झोंपड़ी कालोनी में डाकघर

8931. **श्री बलराज मधोक :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नजफगढ़ रोड़ पर नारायणा में झुग्गी-झोंपड़ी कालोनी में अब तक कोई डाक घर नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नजफगढ़ रोड पर झुग्गी-झोंपड़ी कालोनी की आबादी लगभग 20,000 है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक वहां कोई डाकखाना न खोलने के क्या कारण हैं और उसके कब खोले जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) झुग्गी-झोंपड़ी कालोनी नारायणा में एक डाकघर चल रहा है। झुग्गी-झोंपड़ी कालोनी नजफगढ़ रोड को राजोरी गार्डन डाकघर डाक-सेवाएं प्रदान करता है जो कि झुग्गी-झोंपड़ी कालोनी नजफगढ़ रोड से 5 फरलांग की दूरी पर है।

(ख) ठीक जनसंख्या मालूम नहीं है।

(ग) झुग्गी-झोंपड़ी कालोनी नजफगढ़ रोड में डाकघर खोलने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसन्धान संस्था के अनुसंधान सहायक

8932. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वीकृत भर्ती नियमों के अनुसार सीनियर ग्रेड अनुसंधान सहायक के पद पर पदोन्नत किये गये भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्था के अनुसंधान सहायकों की नियुक्ति को विनियमित करने का प्रस्ताव कृषि विभाग में वर्ष 1960 में प्राप्त हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसे कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) मामला विचाराधीन है। इसे अन्तिम रूप दिये जाने में विलम्ब का मुख्य कारण यह है कि विभागीय पदोन्नति समिति ने कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी थी जिसे संस्थान एकत्र कर रहा है। इसे अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा इसके विषय में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

Commemorative Stamp on Shivaji

8933. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** and Communications be pleased to state :

(a) whether Government have decided not to issue Shivaji's Commemorative Postal Stamp ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) and (b). A special Postage Stamp in honour of Shivaji was issued on 17-4-1961.

नई दिल्ली में कालकाजी के निकट की बस्ती में मकान बनाने के लिये गृह-निर्माण ऋण

8934. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में कालकाजी के निकट पूर्व पाकिस्तान के विस्थपित व्यक्तियों की बस्ती में मकानों के प्लाटों के अलाटी, जिन्हें भूमि की लागत किश्तों में देने के आधार पर पुनर्वास विभाग द्वारा उनके प्लाटों पर कब्जा दिया गया अथवा दिया जा रहा है, वर्तमान नियमों के अन्तर्गत अपने मकान तुरन्त बनाने के लिये सरकार से गृह निर्माण ऋण पाने के अधिकारी हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करने के लिये पुनर्वास विभाग अथवा किसी अन्य सम्बन्धित संगठन ने कोई प्रस्ताव रखे हैं अथवा अभ्यावेदन दिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले पर कब विचार किया गया था और अन्तिम निर्णय करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). व्यक्तियों द्वारा, गृह निर्माण ऋण दिल्ली प्रशासन की अल्प आय वर्ग तथा मध्य आय वर्ग की योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त किये जा सकते है और सरकारी कर्मचारियों के मामले में ऐसे ऋणों की सुविधाएं, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के गृह निर्माण ऋण अधिनियमों के जो कि स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण आबास तथा नगरीय विकास मंत्रालय के निर्माण आवास तथा नगरीय विकास विभाग द्वारा प्रशासित किये जाते हैं, आधीन भी उपलब्ध हैं । इन नियमों के आधीन, कोई व्यक्ति जिसके पास प्लाट हो, अपने आप ऋण का पात्र नहीं बन जाता ; यह उसके व्यक्तिगत मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा ।

(ग) और (घ). पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती के अलाटियों को गृह-निर्माण ऋणों की विशेष व्यवस्था का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है । पुनर्वास विभाग ने दिल्ली प्रशासन तथा निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास विभाग को फरवरी, 1969 में लिख कर यह प्रार्थना की थी कि वह विभाग अपनी योजनाओं के अन्तर्गत मंजूर किये जाने वाले गृह निर्माण ऋणों के अधिनियमों के संदर्भ में इस मामले की जांच करें । व्यक्तिगत अलाटियों को सुचारु रूप से सुझाव है कि वे अपने मामलों को सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ उठायें ।

गेहूं के निर्गम मूल्य में वृद्धि

8935. **श्री मधु लिमये** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गेहूँ के निर्गम मूल्य में 12 प्रतिशत की वृद्धि होने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो आम आदमी के जीवन निर्वाह व्यय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय भण्डारों से दिए जाने वाले गेहूं के निर्गम मूल्यों में 4 मई, 1969 से

परिशोधन करें गेहूँ की सभी किस्मों के लिए 78 रुपये प्रति क्विंटल का एक ही निर्गम मूल्य निर्धारित किया गया है जबकि इससे पूर्व लाल गेहूँ का निर्गम मूल्य 70 रुपये, सफेद गेहूँ का 85 रुपये और बढ़िया गेहूँ का 95 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा था।

(क) यह ठीक-ठीक बताना कठिन है कि आम आदमी के जीवन निर्वाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यह न केवल उस मूल्य पर जिसपर सरकार द्वारा गेहूँ दिया जाता है बल्कि गेहूँ के खुले बाज़ार में मूल्यों की प्रवृत्ति जिनमें नई फसल के आने से कुछ गिरावट आयी है, पर निर्भर करता है।

विदेशों में चलचित्रों की शूटिंग के लिये विदेशी मुद्रा

8916. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1969 तक पिछले तीन वर्षों में विदेशों में भारतीय चलचित्रों की विशिष्ट स्थलों पर शूटिंग के लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा दी गई और इन चलचित्रों से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ख) इन फिल्मों की शूटिंग के सम्बन्ध में उपरोक्त अवधि में फिल्म जगत के किन-किन व्यक्तियों ने विदेशों के दौरे किये थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). एक विवरण जिसमें जानकारी दी हुई है, सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 1048/69]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूँ की खरीद

8937. **श्री रा० बरुआ** : **श्री चेंगलराया नायडू** :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : **श्री नि० रं० लास्कर** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने 1969-70 विपणन सीजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर गेहूँ खरीदना आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निगम ने पंजाब तथा अन्य राज्यों में, राज्य-वार अब तक कुल कितना गेहूँ खरीदा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा पंजाब तथा अन्य राज्यों में अबतक अधिप्राप्त की गई गेहूँ की मात्रा इस प्रकार है :—

राज्य का नाम		खरीदी गई मात्रा	(मीटरी टन)
चण्डीगढ़ सहित पंजाब	*	7194	(28-4-1969 तक)
उत्तर प्रदेश		1120	(25-4-1969 तक)
बिहार		1000	(30-4-1969 तक)
राजस्थान		388	(30-4-1969 तक)
दिल्ली		722	(28-4-1969 तक)
	जोड़	10424	(मीटरी टन)

*इसके विपणन संघ पंजाब द्वारा अधिप्राप्त और भारतीय खाद्य निगम को हस्तान्तरित मात्रा शामिल नहीं है ।

सऊदी अरब में भारतीय चलचित्रों के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध

8838. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सऊदी अरब तथा मस्कात में भारतीय चलचित्रों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय चलचित्रों के प्रदर्शन पर किसी अन्य देश में भी प्रतिबन्ध है ;

(ग) यदि हां, तो किन-किन देशों में और इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इन देशों में भारतीय चलचित्रों के प्रदर्शन के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां । सऊदी अरब और मस्कात में भारत की या अन्य देश की किसी भी फिल्म को सार्वजनिक रूप से दिखाए जाने की अनुमति नहीं है ।

(ख) और (ग). जी, हां । पाकिस्तान में भी भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध है । यह प्रतिबन्ध 1965 में हुए भारत पाक संघर्ष के बाद लगाया गया था ।

(घ) सऊदी अरब और मस्कात में भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन के लिए कोई कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता । जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, फिल्मों के प्रदर्शन का सवाल दोनों देशों के बीच अन्य मामलों से अलग नहीं किया जा सकता ।

विदेशों में मनोरंजन कर मुक्त भारतीय चलचित्र

8939. **श्री क० प्र० सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई देशों में भारतीय चलचित्र मनोरंजन कर से मुक्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं जहां भारतीय चलचित्र मनोरंजन कर से मुक्त है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन देशों द्वारा बनाई गई चलचित्रों को भारत में मनोरंजन कर से मुक्त करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सदन की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण

उन देशों के नाम जहां पर भारतीय फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट दी गई हैं

ब्रिटेन :

(क) वास्तविक फिल्म संस्थाओं द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली सभी भारतीय फिल्मों (फीचर) को मनोरंजन कर से छूट दी गई है ; ये फिल्में ब्रिटेन में आयात की गई भारतीय फिल्मों का 90 प्रतिशत होती हैं ।

(ख) इन फिल्मों के नाम भारतीय उच्चायोग लन्दन के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि ये फिल्में ब्रिटेन में भारतीय फिल्म संस्थाओं (आयातकों) द्वारा लाई जाती हैं और सीमा शुल्क और मनोरंजन कर से छूट प्राप्त के लिये आयातक ब्रिटेन सरकारी के सम्बन्धित विभागों से सीधी बातचीत करते हैं ।

मालावी

मालावी में दिखाई जाने वाली भारतीव फिल्मों पर कोई मनोरंजन कर नहीं लगाया जाता है।

(ग) फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट देना राज्य विषय है, इस प्रकार के मामलों पर सरकार के पास तदर्थ योग्यता के आधार पर निर्णय करती है ।

आकाशवाणी से वार्ता के लिए सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करने के नियम

8940. **श्री बलराज मधोक** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो पर वार्ताओं में भाग लेने के लिए सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करने के बारे में कोई मापदण्ड निर्धारित किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकतर रेडियो वार्ताओं में किसी विशेष विचारधारा वाले व्यक्तियों को ही भाग लेने के लिये आमंत्रित किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राष्ट्रीय दलों को विशिष्ट तथा विभिन्न विचाराधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को ऐसी रेडियो वार्ताओं में स्थान देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि वे जन शिक्षा का प्रभावशाली माध्यम बन सकें ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) आकाशवाणी के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए चयन करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखा जाता है :

(1) किस प्रकार का विषय है,

(2) व्यक्ति विशेष की उस क्षेत्र की गतिविधियों में क्या स्थिति है,

(3) प्रसारण माध्यम की विशेष आयश्यकताओं के दृष्टिकोण से व्यक्ति की उपयुक्तता।

(ख) जी, नहीं। आकाशवाणी द्वारा प्रसारित की जाने वाली चर्चाओं में भाग लेने के लिये विभिन्न विचारधाराओं के व्यक्तियों को आमन्त्रित किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विस्थापित व्यक्तियों को आंवंटित भूमि पट्टे पर देने की शर्तें

8941. **श्री बलराज मधोक** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये मकानों तथा प्लाटों के पट्टे की शर्तें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पट्टेदारों को दी गई शर्तों की तुलना में अधिक कठोर हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार विस्थापित व्यक्तियों को 'न' लाभ और न हानि' के आधार पर प्लाट और मकान देने के लिये वचनबद्ध है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पट्टे की शर्तों में समानता या उनको दिल्ली विकास प्राधिकरण की पट्टे की शर्तों के बराबर लाने के लिये उनमें, संशोधन करने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). पट्टे की जिन शर्तों पर पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में प्लाट दिये गये हैं, उन्हें वर्ष, 1949 में अन्तिम रूप दिया गया था और उनका बाद में वर्ष 1955 में संशोधन किया गया था जिसके द्वारा पूर्व अलाटियों को कहा गया था कि वे या तो पुरानी शर्तों को रखे या संशोधित शर्तों को अपनायें। मूल शर्तों के अधीन, लगभग 200 वर्ग गज क्षेत्र छोटे प्लाट रियायती शर्तों पर दिए गये थे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वास्तविक अर्जन तथा विकास मूल्य के केवल 50 प्रतिशत की वसूली 15 वर्षों की अवधि में की जानी भी सम्मिलित थी। तथापि, इन बस्तियों में बड़े-आकार के प्लाटों की लघु संख्या को टैण्डरों/नीलाम के आधार पर बेचा गया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण का गठन बहुत समय बाद वर्ष 1958 में, किया गया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पट्टे की शर्तें कुछ भागों में विभिन्न हैं। यह अनुभव किया गया है कि विस्थापित व्यक्तियों के मामले में लागू पट्टे की शर्तें प्राय: रियायती तथा अनुकूल हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई शर्तों से अधिक कठोर नहीं हैं :

(ख) छोटे प्लाटों के मामले में जैसा कि ऊपर बताया गया है, अर्जन तथा विकास के

मूल्य की वसूली के मामले में रियायत दी गई थी। जहां कहीं भी ऐसे प्लाटों पर मकानों का निर्माण किया गया था, उनके बारे में, केवल ऊपरी ढांचे का ही वसूल किया गया है। जहां तक बड़े-आकार के प्लाटों का सम्बन्ध है, अलाटमेंट टेण्डरों/नीलामों के आधार पर की गई थी।

Post Offices in Kangra District (H. P.)

8942. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications be pleased** to state :

(a) whether it is a fact that there is no post office in Village Nagrota Surian and other nearby villages in Kangra District of Himachal Pradesh on account of which people in this area have to go to Mangwal Railway station which if nearly 8-10 miles away to send a telegram or to make a trunk-call in cases of emergency ;

(b) if so, whether Government propose to open a telegraph office/Public Call Office there and if not, the reason therefor ; and

(c) the names of villages where Telegraph Office/Public Call Offices are proposed to be opened in Dharmsala Circle of Kangra District during 1969-70 ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No ; there is a sub post office functioning at village Nagrota Surian. Mangwal is the nearest telegraph office and is at a distance of five miles from Nagrota Surian.

(b) Proposals for opening telegraph office/Public Call Office at Nagrota Surian are under examination.

(c) Telegraph Office at Dhaned and Public Call Offices at Bhota, Mubarikpur and Barsar in Kangra district, of which Dharamsala is the headquarters, are likely to be established during the year 1969-70 subject to the fulfilment of departmental standards and availability of funds, stores etc.

दिल्ली में दूध से तैयार किये हुए खाद्य पदार्थों पर रोक

8943. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली महानगर परिषद् को एक शिष्टमंडल दिल्ली तथा आस-पास के क्षेत्रों में दूध से तैयार किए जाने वाले खाद्य पदार्थों को बनाने पर लगाई गई रोक के सम्बन्ध में 16 अप्रैल, 1969 को उनसे मिला था और उक्त रोक के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में आपत्ति से आई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त आपत्तियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रयिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां। दिल्ली महानगर परिषद् के एक प्रतिनिधिमण्डल ने दिल्ली, मेरठ तथा बुलन्दशहर दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद नियन्त्रण आदेश, 1969 के जारी किये जाने के परिणामस्वरूप क्रीम बनाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण होने वाली संभावित कठिनाइयां बताई थी

(ख) संक्षेप में निम्नलिखित आपत्ति उठाई गई थी :—

(1) क्रीम तैयार करने पर प्रतिबन्ध के परिणाम स्वरूप क्रीम व्यवसाय के कर्मचारियों को उनके बेरोजगार होने के कारण कठिनाई ;

(2) नियंत्रण आदेश के लागू रहने की अवधि में दिल्ली के नागरिकों को सपरेटा तक न मिलने के कारण कठिनाई ;

(3) गर्मी के महीनों में दूध से दही बनाने के कारण दूध उत्पादकों को कठिनाई ;

(ग) दुग्ध नियन्त्रण आदेश के अधीन आने वाले क्षेत्रों के दिल्ली दुग्ध योजना को दूध की सप्लाई बनाये रखने के लिए गर्मी के महीनों में क्रीम सहित दुग्ध उत्पादों के तैयार करने पर प्रतिबन्ध आवश्यक समझा गया है। तदनुसार सरकार ने सम्बन्धित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से परामर्श करके निर्णय किया है कि क्रीम आदि तैयार करने पर प्रतिबन्ध व्यापक सार्वजनिक हित में 15 अप्रैल, 4969 से 14 जुलाई, 1969 तक की अवधि में लागू रहेगा।

लोक निर्माण विभाग, मनीपुर और उसके कर्मचारियों के बीच विवाद

8844. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने लोक निर्माण विभाग, मनीपुर और उसके कर्मचारियों के बीच विवाद की औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(क) के उपबन्ध के अनुसार मनीपुर के प्रशासक को सौंप दिया है ;

(ख) क्या मनीपुर प्रशासन को न्याय निर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए उचित कार्यवाही करने की सलाह भी दे दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो मनीपुर सरकार ने उक्त विवाद के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ). मनीपुर प्रशासन व मनीपुर लोक निर्माण विभाग कर्मचारी एसोसिएशन के बीच हुए विवाद के न्याय-निर्णय के लिए भेजने के सम्बन्ध में सरकार को एक प्रार्थना-पत्र और एसोसियेशन के सेक्रेटरी से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ। ये आवश्यक कार्रवाही के लिये मनीपुर प्रशासन ही समुचित सरकार है। मनीपुर प्रशासन ने यह बताया है कि मामला विचाराधीन है।

कीबुल आखेट निषिद क्षेत्र, मनीपुर

8945. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मनीपुर स्थित कीबुल आखेट निषिद क्षेत्र के आकार को कम करने के मामले पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और मनीपुर से बाहर के कितने दर्शक 1967 68 तथा 1968-69 के दौरान इसे देखने आये ; और

(ग) क्या इस आखेट निषिद क्षेत्र से कोई आय प्राप्त हुई थी और यदि हां, तो वर्ष-वार उसकी राशि कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र से पूछी गई जानकारी इकट्ठी की जा रही हैं और सभा पटल पर दी जायेगी ।

डायमंड हार्बर क मछली पकड़ने के लिए उपयोग

8946. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या डायमंड हार्बर काकद्वीप नामखना, फ्रेजरगंज का मछली पकड़ने के बन्दरगाहों के रूप में उपयोग किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना के अन्तर्गत मछली पकड़ने वाले जहाजों के प्रयोग के लिये नामखाना में समुद्र स्थित जेट्टी के निर्माण की स्वीकृति दी गई है और इस प्रयोजन के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को 5.48 लाख रुपये उपलब्ध कर दिये गये हैं । फ्रेजरगंज में मछली उतारने का एक केन्द्र पहले ही से है । इस समय डायमंड हार्बर अथवा काकद्वीप में मछली पकड़ने वाले जहाजों के रुकने और खड़े होने की सुविधाओं की व्यवस्था करने का कोई कार्यक्रम नहीं है । पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से रसूलपुर और सोला में मछली पकड़ने के बन्दरगाहों के स्थान का सर्वेक्षण करने का विचार है ।

पश्चिमी बंगाल को अन्य राज्यों से मछलियों का आयात

8947. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मछली पालन निगम की प्रशीतित रेल डिब्बों तथा स्टीमरों में केरल अन्य राज्यों से पश्चिमी बंगाल को मछलियों का आयात करने की तुरन्त कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जबसे केन्द्रीय मात्स्यकी निगम ने अपना व्यापार सम्बन्धी कार्य शुरू किया है वह कलकत्ता में बेचने के लिये उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तामिलनाडू तथा आन्ध्र प्रदेश तथा गुजरात, आदि अन्य राज्यों से मछली खरीदता रहा है । कुछ अवसरों पर कलकत्ता में बेचने के लिये जमी हुई मछलियों की थोड़ी सी मात्रा केरल से खरीदीं गई विभिन्न राज्यों में खरीदी हुई मछली को रेल के ठण्डे डिब्बों में या सामान्य गाड़ियों द्वारा बर्फीले पार्सलों में कलकत्ता लाया जाता है । अधिकांश मछलियाँ अन्तर्देशीय ताजा जल से उपलब्ध होती हैं, अत: परिवहन के लिये स्टीमरों के प्रयोग का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ है । निगम ने कई राज्यों में अधिप्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्था की हुई है और उन राज्यों से मछलियों की अधिप्राप्ति करने का कार्य

चलता रहेगा । इस समय केरल से मछली खरीदने का निगम का कोई कार्यक्रम नहीं है । पश्चिमी घाट से पकड़ी जाने वाली मछलियों को कलकत्ता में बेचने का कार्य विशेष समस्याओं से जुड़ा हुआ है । फिर भी इस मामले का अध्ययन किया जा रहा है ।

केन्द्रीय मछली पालन निगम

8948. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मछली पालन निगम का पूंजी परिव्यय कितना है ;

(ख) इसकी स्थापना से अब तक इसका वार्षिक सिब्बंदी व्यय कितना है ;

(ग) इसके लक्ष्य क्या थे और वे कहां तक पूरे हुए हैं ;

(घ) समाचार और बिक्री डिपों की संख्या कितनी है ;

(ङ) प्रत्येक किस्म की प्रतिवर्ष कितनी मछलियां बेची गई ;

(च) पश्चिम बंगाल में सेहू (बड़ी) और छींगा मछलियों का औसत विक्रय मूल्य कितना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय मछली पालन निगम का वर्तमान पूंजी परिव्यय 55 लाख रुपये है ।

(ख) निगम का वर्षवार सिबबंदी व्यय इस प्रकार हैं :—

1965-66	1.15 लाख रुपये	(निगम थोड़े से कर्मचारियों के साथ 29 सितम्बर, 1965 को स्थापित किया गया था)
1966-67	6.56 लाख रुपये	
1967-68	9.63 लाख रुपये	
1968-69 (फरवरी 1969 तक)	9.20 लाख रुपये	(लेखा-परीक्षा और समंजन अभी किया जाना है)

(ग) केन्द्रीय मछली पालन निगम मुख्य रूप से मछली का समाहार करने और बेचने तथा जल क्षेत्रों का विकास का कार्य कर रहा है । इसका वार्षिक मछली समाहार लक्ष्य और वास्तविक समाहार इस प्रकार है :

वर्ष	समाहार लक्ष्य (टन)	वास्तविक समाहार (टन)
1965-66 (4 महीने)	—	431
1966-67	1800	1441
1967-68	2200	1108
1968-69 (फरवरी 1969 तक)	1800	1179

जल क्षेत्रों के विकास के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है । जहां कहीं व्यावहारिक हो, ये पट्टे पर लिये जाते हैं । पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और गुजरात में जल क्षेत्र जा चुके हैं और उनका विकास किया जा रहा है ।

(घ) समाहार केन्द्रों और विक्रय डिपों की संख्या इस प्रकार है :

(1) समाचार केन्द्रों की संख्या	13
(2) उप समाहार केन्द्रों की संख्या	7
योग	20

(3) विक्रय डिपो की संख्या :

कलकत्ता और हावड़ा	24
मद्रास	5
दामोदर घाटी निगम क्षेत्र	4
दिल्ली	1
योग	34

(ङ) और (च). एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1049/69]

गोआ, दमन तथा दीव में टेलीफोन सलाहकार समिति

8949. **श्री शिंकरे** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोआ, दमन तथा दीव संघ राज्य क्षेत्र में कोई टेलीफोन सलाहकार समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ;

(ग) क्या इस समिति ने वहां काम करना आरंभ कर दिया है तथा 1 अप्रैल, 1967 से उसकी कितनी बैठकें हुई हैं ;

(घ) सलाहकार समिति क्या कार्य करती है तथा क्या बैठकों के लिए कोई समय-सूची निर्धारित की गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या उपर्युक्त समिति की नियमित बैठकों के लिए कोई समय सूची निर्धारित करने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) समिति के सदस्यों की एक सूची अनुबन्ध I में दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1050/69]

(ग) जी हाँ। अप्रैल 1967 से अब तक दो बैठकें हो चुकी हैं।

(घ) समिति के कार्य-कलापों की एक प्रतिलिपि अनुबन्ध II में दी गई है। समिति की बैठक तीन महीने में एक बार होगी। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1050/69]

(ङ) पोस्टमास्टर जनरल, महाराष्ट्र को ये बैठकें मौजूदा आदेशों के अनुसार तीन महीने में एक बार बुलाने के लिए कहा गया है।

गोआ में प्रोन मछली पालन

8950. **श्री शिंकरे :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ संघ राज्य क्षेत्र की सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत नदी के किनारों पर स्थित कुछ खेतों का प्रयोग नदी के किनारे के बन्धों को तोड़ कर तथा उन में समुद्री जल भर कर मछली पालन के लिए किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना से नदी के किनारे पर स्थित बहुत बड़े भू-भाग की उर्वर भूमि में पैदा होने वाली फसलों को, जो भीतरी बन्धों में दरारें आने से पानी की लहरों में डूब सकते हैं, खतरा हो जायेगा ;

(ग) क्या वर्तमान खाद्य स्थिति को देखते हुए ऐसी उर्वर भूमि पर जिसमें खाद्यान्नों की खेती की जाती है इस कारण मछली पालना कि मछलियों का निर्यात करके कुछ विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सके, वांछनीय है ; और

(घ) क्या वर्तमान स्थिति में इस साहसिक योजना को कार्यान्वित न करने का गोआ सरकार को परामर्श देने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). चतुर्थ योजना के अन्तर्गत कार्यान्वियन के लिए मत्स्य सम्बर्धन हेतु गोआ सरकार ने केवल एक परियोजना तैयार की है। इस का संबंध प्रदर्शन हेतु एक खारी जल के मातस्यकी फार्म की स्थापना करने से है। निर्मित रूप में यह परियोजना बन्ध बनाकर खारी जल से निमग्न परती भूमि के प्रयोग की व्यवस्था करती है। परियोजना के ब्यौरे गोआ सरकार से एकत्रित किये जा रहे हैं और कृषि भूमि पर परियोजना के संभावित प्रभाव के विशिष्ट संदर्भ में स्थिति का स्पष्टीकरण करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

गोआ की खानों तथा बन्दरगाहों में श्रमिक असंतोष

8951. **श्री शिंकरे :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि गोआ की अयस्क खानों तथा बन्दरगाहों में श्रमिक असंतोष है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि गोआ में पुर्तगालियों के शासनकाल में किसी क्षेत्र में मजदूर संघ आन्दोलन का निशान भी नहीं था ;

(घ) क्या यह भी सच है कि मजदूर संघों के नेता अपने स्वार्थ के लिए मजदूरों को गुमराह करते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो मजदूरों को उचित रूप से शिक्षा देने की कोई योजनायें बनाने का सरकार का विचार है ताकि वे राष्ट्र की समृद्धि को देखते हुए अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). जी हां। लौह अयस्क खानों में हाल ही में श्रमिक अशांति रही है। औद्योगिक विवाद अधिकांशतः लौह अयस्क खनन उद्योग के केन्द्रीय मंजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति के प्रश्न से संबंधित हैं। ऐसे विवाद न्याय निर्णय के लिए भेजे जा चुके हैं।

जहां तक गोवा पत्तन का प्रश्न है वहां वार्जमैनों की आंशिक हड़ताल है। यह मामला राज्य के क्षेत्र में आता है।

(ग) और (घ). केन्द्रीय सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ङ) एक योजना जो श्रमिक शिक्षा योजना के नाम से प्रसिद्ध है, पहले ही चल रही है। इस योजना का उद्देश्य सुविज्ञ, जिम्मेदार और ठोस श्रमिक वर्ग तैयार करना है जो अपने अधिकारों तथा अपनी जिम्मेवारियों के बारे में पूर्ण सजग हो।

Appointment of a Study Team to Study the Labour Problems

8952. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to appoint a Study Team to find out the causes of the widespread and increasing discontentment and rebellious tendencies among the labourers throughout the country and to suggest remedial measures therefor ; and

(b) if so, when ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment, and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise,

श्रम सम्मेलन में भाग लेने के लिये विदेशों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडल

8953. **श्री ओंकार लाल बोहरा** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगले वर्ष विभिन्न श्रम सम्मेलनों में भाग लेने के लिए कितने प्रतिनिधि मंडल विदेशों में भेजने का विचार है तथा उन्हें कब तक भेजा जायेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : 1970 में श्रम सम्बन्धी मामलों के बारे में होने वाले सम्मेलन/समितियों का कार्यक्रम अभी उपलब्ध नहीं है। प्रत्येक सम्मेलन/समिति के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अथवा अन्य संगठनों से

औपचारिक निमंत्रण प्राप्त होने पर सम्मेलनों/समितियों में सरकार द्वारा भाग लिये जाने के प्रश्न पर निर्णय किया जायेगा ।

मनीराम दीवान की स्मृति में डाक-टिकट

8954. **श्री हेम बरुआ** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के एक महान देश भक्त मनीराम दीवान की स्मृति में, जिन्होंने अपना जीवन भारत कीं स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये बलिदान कर दिया था, एक डाक टिकट जारी करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा यह मामला इस समय किस अवस्था में है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) स्वर्गीय श्री मनीराम दीवान की स्मृति में डाक-टिकट निकालने के प्रस्ताव पर डाक-टिकट सलाहकार समिति ने पहले जुलाई 1968 में और एक बार फिर विशेष रूप से अक्तूबर 1968 में विचार किया था, किन्तु इन दोनों ही अवसरों पर इसे जारी करने की सिफारिश नहीं की ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Flour Mill at Tikamgarh (Madhya Pradesh)

8955. **Shri Nathuram Ahirwar** : Will the Minister of **Food and Agricultural** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a proposal to set up a flour mill at Niwadi in Tikamgarh district of Madhya Pradesh was forwarded by the State Government to the Centre ; and

(b) if so, the reasons for not granting permission therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No such formal proposal has been received.

(b) Does not arise.

Purchase of Wheat by Food Corporation of India

8956. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the States in which the Food Corporation of India has started purchasing wheat ;

(b) the names of States where it is being purchased direct from cultivators and those where it is being purchased through foodgrain dealers ;

(c) whether the purchase prices of wheat are the same in both the cases or there is some difference ; and

(d) in case there is difference, the extent thereof and the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Punjab, U. P., M. P. and the Union Territory of Delhi. Arrangements have also been made to undertake purchases in the States of Bihar, West Bengal and Rajasthan and Union Territory of Chandigarh as soon as stocks are offered at the declared procurement prices.

(b) Normally wheat purchases are made through agents who may be Cooperatives, individual foodgrains dealers or syndicates of dealers. However, a start is being made this year to effort direct purchases of wheat from cultivators in selected centres in the States of Uttar Pradesh, Bihar and Rajasthan.

(c) The purchase prices payable to the farmers are the same irrespective of the mode of procurement.

(d) Does not arise.

Procurement of Wheat in Punjab by Food Corporation of India

8957. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Punjab have issued orders to the Food Corporation of India not to purchase wheat direct from the cultivators ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) This matter is being taken up with Punjab Government.

आग लगाने से गेहूं नष्ट होना

8958. **श्री अदिचन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान दिल्ली में ओखला के निकट एक गांव में हाल में आग से 1,000 मन से अधिक गेहूँ नष्ट हो जाने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या देश के अन्य भागों से भी फसल इस प्रकार नष्ट होने के समाचार मिले हैं और यदि हां, इस फसल की कटाई के समय कुल कितनी फसल नष्ट हुई ;

(ग) देश में गत वर्ष इसी सीजन में फसल की कटाई के समय कितनी फसल नष्ट हुई थी ; और

(घ) भविष्य में ऐसी हानि को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हाँ ।

(ख) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रयोगात्मक नलकूप संगठन द्वारा नलकूप लगाना

8959. **श्री अदिचन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रयोगात्मक नलकूप संगठन ने 1969-70 में नलकूप लगाने का एक कार्यक्रम बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में क्षेत्रवार कितने नलकूप लगाये जायेंगे और कार्यक्रम का अन्य ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). 1969-70 के दौरान विभिन्न राज्यों में लगभग 400 छिद्रण करने के

लिए समन्वेषणी नलकूप संगठन ने एक अनन्तिम कार्यक्रम बनाया है। प्रस्तावित लक्ष्य और योजनाबद्ध क्षेत्र (जो प्रत्येक राज्य में कार्यान्वित करने हैं) परिशिष्ट में उल्लिखित हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1051/69] समन्वेषी नलकूप संगठन की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और 1969-70 के लिये योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। दूसरी बात यह है कि समन्वेषण हेतु लिये जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्रों के विषय में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने भूमिगत जल की उपलब्धि के विषय में संकेत नहीं दिया है। अतः परिशिष्ट में उल्लिखित कार्यक्रम बिल्कुल ही अस्थायी है और इसमें संशोधन हो सकता है।

Pahari Dhiraj House Building Societry, Delhi

8960. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased refer to the reply given to Unstarred Question No. 3011 on the 13th March, 1969 and state :

(a) whether it is a fact that land in front of Britannia Biscuit Factory on the Ring Road, Delhi had been earmarked for allotment to the Pahari Dhiraj House Building Society, Delhi ;

(b) if so, the reasons for allotting some other inferior land to this Society instead of the aforesaid land ;

(c) to whom the land in front of the Britannia Biscuit Factory has been allotted and the reasons for this allotment ;

(d) the time by which land would be allotted to the members of the Society and the reasons for the delay in this regard ; and

(e) whether the land in question is proposed to be developed by the C. P. W. D. and if not, the reasons therefor and if so, by when ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (e). The necessary information is being collected and will be laid in the House.

Pahari Dhiraj House Building Society, Delhi

8961. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3011 on the 13th March, 1969 and state :

(a) whether the Pahari Dhiraj House Building Society, Delhi has taken possession of the land and has allotted it to its members and if so, when and if not the reasons therefor ;

(b) whether the meetings of the General Body and of the Managing Committee of the Society are held regularly and the decisions taken thereat are duly implemented ; and

(c) if not, the reasons therefor and whether Government propose to look into the affairs of the Society in order to safeguard the interests of the members of the Society ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : According to the information furnished by the Delhi Administration, the Pahari Dhiraj House Building Society, Delhi, took possession of land allotted to it on the 3rd April, 1969 ; the land will be allotted to its members after it is developed and steps are being taken by the society for its development.

(b) Yes, Sir.

(c) Does not arise.

भारतीय खाद्य निगम के कमीशन एजेंट

8962. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 17 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6739, 6740 और 6741 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को सिंडीकेटों को खाद्यान्नों के समाहार के लिए अपने कमीशन एजेन्ट के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है जबकि माल डिब्बों में लदान के लिए कमीशन की दरें और मालगोदामों में माल रखने का व्यय आदि निजी कमीशन एजेन्टों पर लागू दरों से कहीं अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रक्रिया देश के हितों में कहां तक अधिकतम मितव्ययता की आवश्यकता के अनुरूप है ; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा पंजाब और हरियाणा में नियुक्त किए गए कमीशन एजेन्टों के नाम क्या हैं और कौन-कौन से कमीशन एजेन्ट अभी भी इस निगम की सूची पर हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). भारतीय खाद्य निगम से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय खाद्य निगम के कमीशन एजेन्ट

8963. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** 17 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6741 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्ज रतन चन्द किशनलाल लुधियाना के श्री रतन चन्द और मैसर्ज रूपचन्द राम लाल, लुधियाना के श्री चरंजीत लाल भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न सप्लाई कर रहे हैं भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियुक्त सिंडीकेट द्वारा जारी किये गये अधिकारपत्र के आधार पर भुगतान ले रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह स्थिति इस बात से कहां तक मेल खाती है कि सिंडीकेट द्वारा निजी सब-एजेन्टों के साथ की गई सब-एजेन्सियों की शर्तों की जानकारी निगम को नहीं है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि निजी कमीशन एजेन्ट अभी भी मोगा, तलबन्डी और फिरोजपुर जिलों आदि में कार्य कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और कमीशन एजेन्टों के नाम क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे : (क) से (ग). भारतीय खाद्य निगम से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

तेलुगु फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट देना

8964. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अब तक कौन-कौन सी तेलुगु फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट दी गई है अथवा प्रतिबन्ध लगाया गया है ; और

(ख) उक्त फिल्मों के निर्माताओं के नाम तथा पते क्या हैं और उनकी फिल्मों को छूट देने अथवा प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा बंगाली चलचित्र पास किया जाना

8965. **श्री जुगल मण्डल :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 से अप्रैल, 1969 तक की अवधि में केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने किन-किन बंगला चलचित्रों को पास किया ;

(ख) उन चलचित्रों के निर्माताओं के नाम और पते क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त बोर्ड द्वारा पास की गई कुछ फिल्मों के विरुद्ध पश्चिम बंगाल सरकार ने न्यायालयों में मुकदमें चलाये हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो उन चलचित्रों तथा उनके निर्माताओं के नाम क्या हैं और इस सम्बन्ध में न्यायालयों ने क्या निर्णय दिये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). एक सूची सदन की मेज पर रख दी गई है जिसमें 1 जनवरी, 1967 से 30 अप्रैल, 1969 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा पास की गई बंगला फिल्मों के नाम तथा उन फिल्मों के निर्माताओं के नाम और पते दिये हुए हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1052/69]** ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन

8966. **श्री जुगल मण्डल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1968 में पश्चिम बंगाल को 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के लिए कितनी धनराशि मंजूर की थी ;

(ख) वस्तुत: कितनी धनराशि का उपयोग किया गया और कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया ; और

(ग) इस योजना के क्या परिणाम होंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राज्यों को 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता (i) कृषि उत्पादन (भूमि विकास सहित) और (ii) लघु सिंचाई के विकास शीर्षकों के अन्तर्गत आती है। 1968-69 की अवधि में उपरोक्त दोनों विकास शीर्षकों के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल सरकार को राज्य-योजना और केन्द्रीय संचालित योजनाओं के लिए 465.49 लाख रुपये ऋण और 274.87 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिये गये थे।

(ख) राज्य सरकार द्वारा 1968-69 में वस्तुत: उपयोग में लाई गई सहायता का पता राज्य सरकार द्वारा उस वर्ष के लेखा परीक्षा द्वारा पास हुए आंकड़ों के प्रस्तुत किये जाने के बाद चलेगा।

(ग) उपरोक्त दोनों विकास शीर्षकों के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रत्याशित सफलता निम्न प्रकार है :

1.	अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम	10 लाख एकड़ से अधिक
2.	लघु सिंचाई के अन्तर्गत कुल अतिरिक्त क्षेत्र	1.88 ,, ,,
3.	उर्वरकों की खपत	50,000 मीटरी टन नाइट्रोजन 15,000 मीटरी टन पी^{2} ओ^5 15,000 मीटरी टन के^{2} ओ
4.	वनस्पति रक्षा उपाय	40 लाख एकड़ से अधिक
5.	बहुफसली खेती	2.4 ,, ,,

आलू का क्रांतिकारी उत्पादन

8967. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि क्षेत्र में आलू के उत्पादन में क्राँति आई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; विशेष कर बिहार में आलू उत्पादन में आई क्रांति का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हाँ। देश की कृषि क्षेत्र में आलू संबंधी अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है।

(ख) 1949 में स्थापित किये गये केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके आधार पर बिहार सहित देश के आलू उत्पादक क्षेत्रों में विकास किया जा रहा है। अधिक उपज देने वाली और रोग-प्रतिरोधक किस्में तैयार की गई हैं। परीक्षणों में कुफरी सिन्दूरी, कुफरी चन्द्रमुखी और कुफरी चमत्कार की उपज स्थानीय किस्म की तुलना में

क्रमशः 56.2, 23.2 और 12.2 प्रतिशत अधिक हुई। शीघ्र पकने वाली किस्में, जो बहु फसल पद्धति में प्रयोग की जा सकती हैं, भी तैयार की गई हैं। मैदानी इलाकों में रोग-मुक्त बीज के आलू की खेती का तरीका निकाला गया है। आलू के सस्य पहलुओं के संबंध में लाभदायक परिणाम प्राप्त हुए हैं। 1968 में राज्य कृषि विभाग, बिहार को बीज कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा और बीज तैयार करने के लिये 404 क्विंटल बीज तैयार करने के बीज सप्लाई किये गये थे। 1969 में उक्त राज्य को केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान से 500 क्विंटल बीज तैयार करने के बीज का और राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा तैयार किये गये 1300 क्विंटल बीज का नियतन किया गया। आशा है कि राज्य के समस्त आलू उत्पादक क्षेत्र में नई अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती होने लगेगी।

बिक्री योग्य फालतू कृषि जिन्सें

8969. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968 में बिक्री योग्य फालतू कृषि जिन्सें थी ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1967 की तुलना में इसकी मात्रा कितनी थी ; और

(ग) बिक्री योग्य फालतू कृषि जिन्सों की मात्रा बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). बिक्री योग्य फालतू खाद्यान्नों और अन्य कृषि जिंसों के सही सही तथा अद्यतन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचने वाले खाद्यान्नों को देख कर बिक्री योग्य फालतू जिंसों के बारे में कुछ मोटे अनुमान लगाये जा सकते हैं। पिछले दो वर्षों की अवधि में चुनिंदा मंडियों में ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचने वाली महत्व पूर्ण कृषि जिंसों के बारे में जानकारी संलग्न सारिणी में दी गई है। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1053/69]

(ग) कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाये जा रहे हैं उनसे बिक्री योग्य फालतू उपज में वृद्धि होने की आशा है।

रेडियो-टेलीफोन व्यवस्था

8969. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो-टेलीफोन व्यवस्था देश में विद्यमान है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर और इसकी वर्तमान दरें क्या हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह): (क) जी हां।

(ख) क. निम्नलिखित मार्गों पर स्थित रेडियो टेलीफोन प्रणालियाँ सूक्ष्म तरंग तकनीक का प्रयोग करती है—

(1) कलकत्ता, आसनसोल, कटिहार, सिलीगुड़ी, दारजिलिंग, कूच बिहार, शिलांग, गोहाटी, तेजपुर, जोरहाट ।

(2) कलकत्ता, खड़गपुर ।

(3) जालंधर, डलहौजी, ऊधमपुर, जम्मू, पठानकोट, श्रीनगर ।

(4) अम्बाला, चण्डीगढ़, शिमला ।

ख. निम्नलिखित मार्गों पर स्थित रेडियो टेलीफोन प्रणालियों पर अति उच्च आवृत्ति तकनीक का प्रयोग किया जाता है—

(1) नौगांग, तेजपुर ।

(2) गांधींधाम, नवलखी ।

(3) अमलापुरम, राजामुंदरी ।

(4) घूलिया, माल्दा ।

(5) दिऊ, ऊना ।

(6) कोहिमा, शिलांग ।

(7) उत्तरी लखीमपुर, जोरहाट ।

ग. निम्नलिखित मार्गों पर स्थित रेडियो टेलीफोन प्रणालियों पर उच्च आवृत्ति तकनीक का प्रयोग किया जाता है—

(1) अगरतला, कलकत्ता ।

(2) ऐजल, शिलांग ।

(3) बेलगाम, कारवाड़ ।

(4) बेजगाम, पंजिम ।

(5) भद्राचलम, राजामुंदरी ।

(6) बंबई, मंगलोर ।

(7) कलकत्ता, पोर्ट ब्लेयर ।

(8) इम्फाल, शिलाँग ।

(9) श्रीनगर, लेह ;

(10) पस्सीघाट, जोरहाट ।

(11) जोरहाट, तेजू ।

(12) सिल्चर, शिलांग ।

(13) सिल्चर, ऐजल ।

(14) दिल्ली श्रीनगर ।

(15) शिलांग, अगरतला ।

घ. किन्हीं दो स्थानों के बीच किए जाने वाले ट्रंक कालों का शुल्क उनकी अरीय दूरी पर निर्भर करता है और उनमें परिपथ की किस्म के मुताबिक कोई कमीवेशी नहीं होती अर्थात् रेडियो टेलीफोन परिपथों पर किये जाने वाले ट्रंक कालों का शुल्क वही होता है, जो कि स्थल लाइन या भूमिगत परिपथों द्वारा किये जाने वाले ट्रंककालों का होता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) ऊपर दी गई सूचना से यह स्पष्ट है कि डाक-तार विभाग ने देश में रेडियो टेलीफोन परिपथ लगाने में काफी प्रगति की है। कई नई योजनाऐं या तो हाथ में ले ली गई हैं, या उनकी विभिन्न स्तरों पर जाँच की जा रही है।

नेताजी द्वारा विदेशों में दिये गये भाषणों के रिकार्डों का प्राप्त करना

8670. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा आजाद हिन्द फौज के दिनों में, जर्मनी, जापान और दक्षिण पूर्व के देशों में दिये गये भाषणों के रिकार्ड को सुरक्षित रखे हुए है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनके भाषणों के रिकार्ड उन देशों में उपलब्ध हैं ;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उन देशों की सरकारों से रिकार्ड किये गये उक्त भाषणों को प्राप्त करने के लिये क्या प्रयास किये और इस कार्य में अब तक कितनी सफलता मिली है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) और (ख) जी, हां। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के कुछ एक रिकार्डों, जो अधिकतर जापान से प्राप्त हुए थे, का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) भारत की जनता को संदेश	...	15 मिनट
(2) टोकियो आगमन पर भाषण	...	12½ मिनट
(3) टोकियो के भाषण के उद्धरण	...	3 मिनट
(4) वृहत्तर पूर्वी एशिया की एकता के लिये टोकियो में राष्ट्रीय रैली में भाषण।		12 मिनट

(ग) सरकार के पास जानकारी नहीं है।

(घ) सवाल नहीं उठता।

आकाशवाणी से "टु डे इन पार्लियामेंट" कार्यक्रम का प्रसारण

8971. **श्री शिवचन्द्र झा :** **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**
श्री रामावतार शास्त्री : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री क० मि० मधुकर : **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 अप्रैल, 1969 को आकाशवाणी से "टु डे इन पार्लियामेंट" और "संसद समीक्षा" कार्यक्रमों के द्वारा संसद में योजना आयोग की अनुदानों की मांगों पर हुआ वाद-विवाद का वृत प्रसारण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रसारण कार्यक्रम में संयुक्त समाजवादी दल और भारतीय साम्यवादी दल के सदस्यों को छोड़कर सभी विपक्षी दलों के सब वक्ताओं के नाम और उनके भाषणों का उल्लेख किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो संयुक्त समाजवादी दल के सदस्यों के नाम और उनके भाषणों का उल्लेख न किये जाने के क्या कारण थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

आंध्र प्रदेश में चीनी के कारखाने

8972. **श्री एस० नारायण रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में चीनी के ऐसे कारखानों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं, जिन्होंने चालू फसल में गन्ना उत्पादकों को गन्ने का मूल्य 100 रुपये प्रति मीटरीक टन के हिसाब से नहीं दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन कारखानों के उत्पादकों को उपर्युक्त मूल्य देने के लिए प्रेरित करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ; और

(ग) अप्रैल, 1969 के अन्त तक आंध्र प्रदेश में चीनी बनाने के विभिन्न कारखानों द्वारा कितने गन्ने की पिराई की गई और 20 अप्रल, 1969 तक उन्हें कुल कितनी अनियंत्रित चीनी की अनुमति दी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) आन्ध्र प्रदेश में सीथानगरम और बोबिल्ली के दो कारखानों ने चालू मौसम में उत्पादकों को गन्ने का 100 रुपये प्रति मीटरी टन का मूल्य नहीं दिया था । चार कारखानों

अर्थात ब्यूरू, छगूलू, टनकू और छल्लापली ने गन्ने का न्यूनतम मूल्य दिया है और कुछेक शर्तों पर कुल मिलाकर 100 रुपये तक और राशि देना मान लिया है।

(ख) केन्द्रीय और आंध्र प्रदेश सरकार ने सीथानगरम और बोबिल्ली के कारखानों से उत्पादकों को उपर्युक्त मूल्य देने के लिये कहा था लेकिन इन कारखानों ने अपने अलाभकर कार्यकरण के कारण यह मूल्य देने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी।

(ग) आंध्र प्रदेश में चीनी कारखानों ने अप्रैल के अन्त तक 32.35 लाख मीटरी टन गन्ना पेरा था और 23 अप्रैल, 1969 तक उन्हें 0.47 लाख मीटरी टन चीनी खुले बाजार में बेचने के लिए दी गई थी।

गन्ने का कानूनी न्यूनतम मूल्य

8973. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 के गन्ने की पिराई के मौसम के लिये गन्ने के कानूनी 'न्यूनतम मूल्य' के बारे में सरकार की भावी नीति क्या है और इसकी घोषणा कब की जाने की संभावना है ;

(ख) आगामी मौसम 1969-70 के लिए गन्ने के न्यूनतम मूल्य की घोषणा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों में गन्ने की खेती की ठीक लागत का अनुमान लगाया है ; और

(घ) यदि हां, तो विभिन्न राज्यो के संदर्भ में इसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) 1969-70 मौसम के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के प्रश्न की जांच हो रही है और बहुत ही शीघ्र घोषणा किए जाने की सम्भावना है।

(ग) और (घ) भूतपूर्व भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति ने 1955-1963 की अवधि में प्रमुख रूप से गन्ना पैदा करने वाले राज्यों में गन्ने की खेती की लागत के बारे में अध्ययन किए थे। निम्नलिखित सारणी में अध्ययन की अवधियां और विभिन्न राज्यों के लिए नकद तथा जिन्स रूप में निहित अनुमानित खर्चे दिए गए हैं। इन खर्चों में खेती में काम करने वाले परिवार के मजदूरों का खर्च शामिल है लेकिन अन्य खर्चे सम्मिलित नहीं हैं :

राज्य	अवधि	प्रति एकड़ अनुमानित खर्च (रुपयों में)
आन्ध्र प्रदेश	1955-58	663.72
मैसूर	1960-63	1007.27
महाराष्ट्र	1656-59	1338.05
पंजाब (भूतपूर्व)	1955-58	372.87
उत्तर प्रदेश	1955-58	334.46
बिहार	1955-58	367.64

गन्ने की खेती

8974. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न राज्यों में कुल कितने क्षेत्र में गन्ने की खेती की जाती है और गत तीन वर्षों में, राज्यवार, उस क्षेत्र में तुलनात्मक दृष्टि से कितनी कमी अथवा वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि गन्ना उत्पादनों का कोई अखिल भारतीय संगठन है तो उसके सदस्यों की संख्या तथा उसका काम क्या है, और विभिन्न राज्यों में इनके कौन-कौन से संगठन तथा संस्थाएं हैं ; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय अथवा किसी अन्य सरकारी संस्था के तत्वाधान में हाल ही में गन्ना उत्पादकों का अखिल भारतीय स्तर पर कोई सम्मेलन हुआ था, और यदि हां, तो उसमें किये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) अपेक्षित सूचना परिशिष्ट में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल०टी० 1054/69]

(ख) गन्ना उत्पादकों का कोई अखिल भारतीय संगठन नहीं है। विभिन्न राज्यों के संगठनों और संस्थाओं के बारे में राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी नहीं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PARERS LAID ON THE TABLE

धातुयुक्त खान (पहला संशोधन) विनियम, 1969

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं खान अधिनियम, 1952 की धारा 59 की उपधारा (7) के अधीन धातुयुक्त खान (पहला संशोधन) विनियम, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 26 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1016 में प्रकाशित हुई थी, सभा पटल पर रखता हूँ। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी० 1036/69]

अंतर्क्षेत्रीय गेहूँ तथा गेहूँ उत्पाद (वहन नियंत्रण) आदेश, 1969

खाद्य, कृषि, सामुदायिक बिकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन अन्तर्क्षेत्रीय गेहूँ तथा गेहूँ उत्पाद (वहन नियन्त्रण) आदेश, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 16 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 997 में प्रकाशित हुआ था कि एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 1037/69]

इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बंगलौर का वार्षिक प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण) सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बंगलौर का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 1038/69]

(दो) हिन्दुस्तान टेली प्रिन्टर्ज लिमिटेड, मद्रास का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 1038/69]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

49 वां प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर (खेड) : गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 49 वां प्रतिवेदन पेश करता हूं।

सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBERS

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : It is said that during discussion on the Call Attention motion by Shri S. M. Banerjee, I mentioned that they have raped hundreds of women.

This had created some misundersanding among the members that I used these words against him. Actually it was directed towards Anti-Social elements. When I saw this is the proceedings of the House, I wrote to the concerned department to satisfy it.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) :मैं इसको बहुत पहले ही भूल गया हूँ।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव पेश करता हूँ कि "यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 36 वें प्रतिवेदन से जो 7 मई, 1969 को सभा में पेश किया गया था सहमत है।"

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मुझ से कहा गया था कि कार्य मंत्रणा समिति में आपने अगले सप्ताह के कार्यक्रम के बारे में चर्चा की थी। मैं नहीं जानता कि दल-बदल की समिति के

प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए समय नियत किया गया है, आपने कहा था कि वित्त विधेयक के बाद इस पर चर्चा की जाएगी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अगले सप्ताह इस पर बहस होगी।

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति में सब दलों के प्रतिनिधि थे और किसी ने भी इस प्रश्न को नहीं उठाया था। मुझे आशा है कि दल के सदस्य अपने-अपने दलों में जाकर बताया करेंगे कि समिति में किस विषय पर चर्चा हुई थी। मैंने किसी को भी दल-बदल की समिति के प्रतिवेदन के प्रश्न को उठाने के लिए मना नहीं किया था।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : कल ही कुछ बातें उठाई गई थीं और आपने 17 मई का दिन आवश्यक मामले में बहस करने के लिए नियत किया था।

अध्यक्ष महोदय : इसका कारण यह था कि श्री नाथ पाई ने राष्ट्रपति के निर्वाचन-उत्तराधिकार आदि सम्बन्धी प्रश्नों को उठाया था। ये वास्तव में ही महत्वपूर्ण थी। अगर कोई आवश्यक तथा महत्वपूर्ण बात उठती है तो उसके लिए शनिवार का दिन नियत किया जायेगा अन्यथा सभा शुक्रवार को स्थगित कर दी जायेगी। अभी काफी विषयों को हाथ में लेना है और शुक्रवार के दिन भी कई विधेयकों को अगले सूत्र के लिये ले जाना पड़ेगा।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : लद्दाख के बारे में क्या हुआ ? प्रधान मन्त्री को इस विषय में अपनी जागरुकता व्यक्त करनी चाहिये कि वह देश का अखंड भाग है। वहां संसद सदस्यों को जाने से रोका जा रहा है। इस विषय पर बहस करने के लिए समय निकालना चाहिये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : आप जानते ही होंगे कि कार्य मंत्रणा समिति विभिन्न वाद-विवाद के लिए समय नियत करती है। जहा तक कार्यक्रम का सम्बन्ध है इसके लिए समय निकालना तथा नियत करना सरकार का काम है।

मैं नहीं समझता कि इस प्रश्न को उठाने का यह उपर्युक्त मंच है।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मैं आपके कार्यक्रम के साथ असहमति व्यक्त नहीं करना चाहता हूं पर मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि राजस्थान की अकाल स्थिति पर चर्चा की जाए क्योंकि वहां से भयावह समाचार आ रहे हैं। एक डाक्टर तथा एक मंत्री महोदय का आज सबेरे यह वक्तव्य था, कि अपर्याप्त भोजन से 16,000 से अधिक व्यक्ति मरे हैं। मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय इस पर वक्तव्य दें।

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकंदराबाद) : आपने इस सभा में यह आश्वासन दिया था कि प्रधान मंत्री के तेलंगाना के वक्तव्य पर वाद-विवाद करने के लिए समय दिया जायेगा। इसके लिये कुछ समय देना ही पड़ेगा क्योंकि हैदराबाद की हालत बिगड़ती जा रही हैं। वहां से हमें तार पर तार मिल रहे हैं।

श्री त्रिविब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : एक ऐसा भी मामला है जो पश्चिमी बंगाल के सदस्यों को भ्रम में डाले हुए हैं वह है सरकार का राज्य परिषद को समाप्त करने की योजना।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को पूछने का क्या तात्पर्य है ?

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : मैं सरकार का अभिप्राय जानना चाहता हूँ और क्या यह विधेयक तैयार है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने कल भी इस प्रश्न को उठाया था । सरकार की ओर से कहा गया था कि उन्हें पश्चिमी बंगाल की सरकार से कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ है जब उन्हें संदेश मिल जायेगा तब विधान तैयार किया जायेगा । गृह मंत्री महोदय ने भी बेनर्जी के उठाये गए प्रश्न के उत्तर में कहा है कि संदेश अभी नहीं मिला है । अतएव अभी इस प्रश्न को इस समय उठाना ठीक नहीं है ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस सत्र में विधेयक को पेश करने के लिए तैयार है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : पिछली बार जब हड़ताल वापिस ली गई थी तो इस सभा को यह आश्वासन दिया गया गया था कि एक विस्तृत विधान प्रस्तुत किया जाएगा । हड़ताल करने का अधिकार वापिस ले लिया गया था । विभिन्न एसोसिएशन और यूनियनों से मान्यता वापिस ले ली गई थी । चूंकि यह विधेयक लाया जा रहा है अतएव उन्हें मान्यता पुन: दे दी जानी चाहिए और इस पर वक्तव्य देना चाहिए ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : You may remember that before the discussion on budget, you said that no date yet named motions will be taken up often the demands of Ministries. About 250 no date yet named motions were received and only one was admitted. Now only one week is left even that is not being put up for next week. It is not proper that Members are not being given time on such an important issue.

श्री नाथ पाई : मैं अपने मित्र श्री बाकर अली मिर्जा द्वारा उठायी गयी बातों का समर्थन करता हूँ । आपने भी कहा था कि इस वक्तव्य पर चर्चा की जायेगी । मैं बैनर्जी का भी समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूँ कि वे यूनियनों को मान्यता उन्हें पुनः दिलायें ।

यह कह कर आपने कृपा की है कि मैंने उत्तराधिकार सम्बन्धी दो विधेयकों के लिये पूर्व सूचना है क्योंकि संविधान में एक रिक्त स्थान रह गया है । अब इस सभा के नेता और संसदीय विभाग के मंत्री यह बतायें कि उत्तराधिकार सम्बन्धी मेरे विधेयक को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : गत सत्र के दौरान आपने कलकत्ता के शहरी विकास का प्रस्ताव स्वीकार किया था चूंकि उस समय काम अधिक था तो आपने उसे अगले सत्र में ले लेने को कहा मैंने अगले सत्र में इस ओर ध्यान दिलाया तो आपने कहा कि वहां सरकार बदल गई है और इस विषय पर वाद-विवाद करना उचित नहीं है बंगाल के मुख्य मंत्री तथा अन्य मन्त्रियों ने भी कलकत्ता के शहरी विकास के प्रश्न को उठाया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 36 वें प्रतिवेदन से जो 7 मई, 1969 को सभा में पेश किया गया था सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : हमने प्रधान मंत्री से कुछ प्रश्न पूछे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने सब बातों को ध्यान में रख लिया है। मैं नहीं सोचता कि हर कोई इसका उत्तर दे सकता है। मैंने गलती की है। आगे से मैं एक दिन इस कार्य के लिए नियत करूंगा जिसमें इस बात पर विचार किया जायेगा कि अगले दिनों के लिए किन-किन विषयों पर वाद-विवाद किया जायेगा।

श्री नाथ पाई : मेरी यह बात समझ में नहीं आती है कि संसदीय कार्य मन्त्री इस पर कुछ कहते क्यों नहीं हैं। हमारा अभिप्राय आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना नहीं था। परन्तु कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर संशोधन प्रस्तुत करना एक परम्परा है। अगर आप कार्य मंत्रणा समिति का कार्य समाप्त करना चाहते हैं तो यह आपका अधिकार है।

श्री रघुरामैया : जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध हैं यह श्री नाथ पाई को दिये गये नियत समय के लिये है परन्तु उन्होंने अन्य मामले भी उठाये हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अन्य मामले भी समान महत्व के हैं। वास्तव में प्रश्न समय का है। आप जानते है कि कार्य मन्त्रणा समिति में हमें किस तरह समय निकालना पड़ा।

श्री नाथ पाई : मैंने जो उत्तराधिकारी सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत किया है उसको वे स्वीकार करेंगे अथवा वे अपना ही विधेयक लाना चाहते हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैंने सोचा था कि आपने पहले ही कह दिया है कि सरकार इस विधेयक को लायेगी मैं इस समय नहीं कह सकती कि इसका प्रारूप क्या होगा।

श्री बाकर अली मिर्जा : हम एक महीने से तेलंगाना पर वाद-विवाद करने पर जोर दे रहे हैं।

श्री रघु रामैया: सब मामले लगभग एक महीने से पड़े हुए हैं, प्रश्न समय निकालने का है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं अध्यक्ष महोदय की बात का समर्थन करती हूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि माननीय सदस्यों ने अपनी बातें कही हैं और मंत्री महोदय ने उनको ध्यान में रखा है। मैं नहीं समझती कि उसको यहां दोहराया जाये।

चौथी पंचवर्षीय योजना-प्रारूप के बारे में प्रस्ताव

MOTION REGARDING FOURTH FIVE YEAR PLAN-DRAFT

अध्यक्ष महोदय : कल हमने समय के नियतन के बारे में चर्चा की थी। योजना पर वाद-विवाद करने के लिए बड़ी कठिनाई से समय निकाला गया है। अगर इसमें समय थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता हुई तो वह भी किया जा सकता है। अब प्रधान मंत्री जी बोलेंगी।

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं प्रस्ताव पेश करती हूँ कि :

"चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74 प्रारूप पर, जो 21 अप्रैल, 1969 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार किया जाये।"

मुझे प्रसन्नता है कि मैं योजना पर बहस आरम्भ कर रही हूं और माननीय सदस्यों तथा उनके द्वारा जनता के विचार जानना चाहती हूँ। हम 18 वर्षों से नियोजित आधार पर आर्थिक विकास कर रहे हैं। योजना हमारे आर्थिक जीवन का अंग बन गई है जैसे कि मत व्यक्त करने की स्वतन्त्रता और स्वतन्त्र चुनाव हमारे राजनीतिक जीवन में घुल मिल गए हैं। जब कुछ आलोचकों ने कहा कि योजना के प्रति लोगों में उत्साह कम है तो मेरे विचार में वे तथ्यों को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि आरम्भ में योजना के प्रति लोगों में उत्साह था परन्तु आज उन्होंने इसको हमारे विकास कार्य का एक अभिन्न अंग मान लिया है जिसके द्वारा हम देश में एक नई आर्थिक व्यवस्था ला रहे हैं।

हम नियोजित विकास का कार्य प्रजातंत्रीय ढाँचे के अन्तर्गत कर रहे हैं। योजना के उद्देश्यों पर वाद-विवाद, प्राथमिकता का चुनाव करना, इसके द्वारा हुई उपलब्धि पर वाद-विवाद करना इसी का एक अंग बन गया है। ये विवाद कभी-कभी उग्र रूप धारण कर लेते हैं परन्तु इन चर्चाओं द्वारा ही हम लोगों में योजना के प्रति उत्साह बढ़ाते हैं जिसके बिना सुनियोजित योजना भी संभवतः अच्छा परिणाम नहीं दे सकती है। इसलिए सरकार चतुर्थ योजना पर वाद-विवाद को अत्यधिक महत्व देती है।

हम पुनः इस स्थिति में आ गए हैं जहां हम आर्थिक विकास नियोजित योजना के आधार पर करना चाहते हैं। हमने जो प्रगति की है उसका उचित मूल्यांकन करते समय उन कठिनाइयों को भी ध्यान में रखना चाहिए जिसमें से होकर यह देश गुजरा है जैसे दो युद्धों की विभीषिका, कृषि उत्पादन में गिरावट, रक्षा तैयारियों के लिए साधनों का जुटाना आदि।

यह संभव है कि हम कई लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके हैं। मैंने स्वयं स्वीकार किया है कि योजना को क्रियान्वित करने तथा उसको बनाने में कुछ कमियां रह गई हैं परन्तु हम चाहते हैं कि वे दुबारा न हो। मेरे विचार से केवल कमियों की ओर ही ध्यान देकर तथा वास्तविक उन्नति, जो की गई है, की उपेक्षा करके हम योजना के प्रति कोई लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं।

हमारा खाद्य उत्पादन 1950-51 में 5 करोड़ 10 लाख से बढ़कर 1967-68 में 9 करोड़ 60 लाख, टन हो गया है। इस प्रकार इसमें 88 प्रतिशत वृद्धि हुई है। अभी यह मानसून की चंचलता पर निर्भर है। खाद्य उत्पादन में यह वृद्धि सिंचाई सुविधाओं, रासायनिक उर्वरकों की बहुत उपलब्धता, सुधरे बीजों का प्रयोग, पौध संरक्षण कार्यक्रम अपनाने से हुआ है।

औद्योगिक क्षेत्र में भी गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। मैं इसके बारे में पहले ही बता चुकी हूं। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काफी उन्नति की गई है। विभिन्न मंत्रियों ने सभा में यह बात कही है।

इस सभा में तथा बाहर 'योजना से अवकाश' के बारे में काफी चर्चा हुई है। वास्तव में

ऐसा कोई अवकाश की बात नहीं थी। योजना एक नितन्तर प्रक्रिया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1966 से आरम्भ की जाने वाली थी परन्तु कृषि उत्पादन में गिरावट आने से इसको सक्रिय नहीं रखा जा सका। इसके स्थान पर तीन वार्षिक योजनाएं चलाई गई इससे कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं। लगभग 314 करोड़ रुपये छोटी सिंचाई योजनाओं में व्यय किये गये जबकि तृतीय पंचवर्षीय योजना के समूचे पांच वर्षों में 270 करोड़ रुपये व्यय किये गये गए। विकास में किसी भी तरह का अनुरोध उत्पन्न नहीं हुआ बल्कि अपेक्षित क्षेत्रों में उन्नति हुई है।

इसके पश्चात लोक सभा दो बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen hours of the Clock.

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात 2 बजकर 4 मिनट में पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after lunch at four minutes past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : I want to draw your attention to an incident. The Israel Government had asked the trade counsel of Israel at the time of funneral procession of Dr. Zakir Hussain. (*Interruption.*)

* * *

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, इसको कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं करना है। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय को लिखकर भेज सकते हैं। श्री गुप्त अपनी जगह बैठ जाएं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हम सब जानते हैं कि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता विकास को गति को बढ़ाना है जो कि सब समस्याओं का उत्तर है। यह समस्याएं बेरोजगारी, अर्द्धबेरोजगारी उद्योग की उपयोग में न लाई हुई क्षमता पिछड़े हुए क्षेत्र तथा समाज के वर्ग से सम्बन्धित है। हमें विकास में प्रयुक्त व्यय को बढ़ाना चाहिए परन्तु साथ ही साथ मूल्यों के स्थायित्व को भी बनाये रखना है।

इस योजना में आत्म निर्भरता पर अधिक जोर दिया गया है यह इस बात से स्पष्ट है कि रियायती शर्तों पर गेहूँ का आयात बन्द कर दिया गया है। और वास्तविक विदेशी सहायता चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक वर्तमान स्तर के आधे तक आ गई है। यह इस बात से भी स्पष्ट है कि हम स्वदेशी माल के उत्पादन में अधिक महत्व दे रहे हैं। हमारा ध्येय विकास के साथ सामाजिक न्याय भी प्रदान करना है। यह शीघ्र विकास से ही सम्भव है। सामाजिक न्याय तभी मिल सकता है जब हम समाज के गरीब वर्ग से उपभोग के स्तर को बढ़ायेंगे और यह खाद्यान्न, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता से ही संभव है। इस योजना में यही निहित है।

***कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया गया।

Not recorded.

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवाओं पर सरकारी व्यय में वृद्धि की व्यवस्था की गई है। यह प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में उत्पादिता बढ़ाने तथा पिछड़े वर्गों की अर्जन क्षमता बढ़ाने का एक अत्यन्त कारगार तरीका है।

योजना में विविध शीर्षों के अन्तर्गत सरकार व्यय में उचित वृद्धि दर की व्यवस्था की गई है। वास्तव में हमारा उद्देश्य यह है कि यदि संभव हुआ तो सामाजिक सेवाओं पर अधिक धन व्यय करने के लिए अधिक साधन जुटाये जायें।

योजना में कृषि को प्राथमिकता दिया जाना स्वाभाविक है क्योंकि हमारा सम्पूर्ण विकास यहां तक कि औद्योगिक विकास भी कृषि उत्पादन पर पर्याप्त सीमा तक निर्भर करता है। मैं यह पहले ही कह चुकी हूँ कि यदि धन की अधिक व्यवस्था हो सकी तो कृषि पर योजना में की गयी धन की व्यवस्था से अधिक धन व्यय किया जायेगा। योजना में की गई व्यवस्था के अनुसार सिंचाई पर 963 करोड़ रुपये, गांवों में बिजली की व्यवस्था पर 363 करोड़ रुपये, लघु तथा कुटीर उद्योगों पर 36.25 रुपये ट्रैक्टरों, उर्वरकों अथवा उद्योगों तथा खनिजों 854.5 करोड़ रुपये और परिवहन तथा संचार पर 100 करोड़ रुपये व्यय किए जायेंगे। इस प्रकार 'कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार' शीर्ष अंतर्गत 2217.5 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रास्ताव है। इस क्षेत्र में काश्तकारी कानूनों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना, खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजूरी निर्धारित करना, छोटे किसानों के हित में सहकारी समितियों अथवा बैंकों द्वारा ऋण सम्बन्धी नीतियों को नई दिशा प्रदान करना अधिक आवश्यक है तथा औद्योगिक क्षेत्र में विविध प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित करने और जीवन बीमा निगम तथा वित्त निगम जैसी वित्तीय संस्थाओं की नीतियाँ इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाने की अधिक आवश्यकता है।

देश के चहुंमुखी विकास के लिए कृषि क्षेत्र के विकास के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना भी अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि एक क्षेत्र का विकास करने और दूसरे क्षेत्र की उपेक्षा करने से संतुलन बिगड़ जायेगा। इसीलिए दूसरी योजना में हमने औद्योग क्षेत्र के विस्तार तथा उसे सुदृढ़ बनाने पर दिया था जिसमें सरकारी क्षेत्र को विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई थी। हम समझते हैं कि इस्पात, मशीन निर्माण, पेट्रो-रसायन आदि आधारभूत उद्योग केवल सरकारी क्षेत्र में ही स्थापित किए जा सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के लिए 14,400 करोड़ रुपये तथा गैर सरकारी क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मैं यह पहले बता चुकी हूं कि हमने सरकारी क्षेत्र में जो पूंजी लगाई है उसके परिणाम अच्छे रहे हैं।

मैं यह पहले ही बता चुकी हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान पर अधिक बल दिया गया है। हम चाहते हैं कि इस योजना में आय और धन में समानता हो, धन, सम्पदा तथा आर्थिक शक्ति के कुछ लोगों के पास एकत्रित होने को उत्तरोत्तर कम किया जाये तथा समाज के पिछड़े वर्गों को इस योजना में आर्थिक विकास का अधिक से अधिक लाभ मिले। हम यथासम्भव यह प्रयत्न कर रहे हैं कि अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों के आर्थिक, शैक्षणिक तथा अन्य हितों के विकास की विशेष ध्यान दिया जाये।

गैर सरकारी क्षेत्र को विकास का पूरा अवसर देने के साथ साथ हमें सामाजिक नियंत्रण

का भी ध्यान रखना है । इसलिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में सरकारी क्षेत्र को अधिक कार्य सौंपा गया है ।

जहाँ तक रोजगार का सम्बन्ध है, मैं पहले बता चुकी हूं कि हमारे कृषि कार्यक्रमों की क्रियान्विति से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में सहायता मिलती है । कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं । उद्योगों और परिवहन में अधिक पूंजी विनियोजन से लोगों को अधिक रोजगार मिल सकता है । कृषि उत्पादन तथा अन्य उत्पादन में हम जितनी अधिक वद्धि करेंगे, उतनी ही वृद्धि हम, बिना मुद्रा स्फीति के विनियोजन की दर में भी कर सकते हैं ।

हमें अपनी योजनाओं की क्रियान्विति के लिए तथा विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करने के लिए अधिकाधिक साधन जुटाने होंगे । संसाधन जुटाने का उत्तरदायित्व केन्द्र तथा राज्यों पर समान रूप से होना चाहिए । यदि राज्य संसाधन जुटाने में अनाकानी करेंगे तो राष्ट्र की विकास की गति कम हो जायेगी ।

योजना के सम्बन्ध में केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्धों के बारे में काफी विवाद रहा है । परन्तु चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम तैयार करने की छूट दी गई है । केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में निष्पक्ष कसौटी निर्धारित की है और अब राज्य-योजनाओं के आकार उनके संसाधनों पर निर्भर करेंगे । इस सम्बन्ध में केन्द्र और राज्यों के बीच किसी प्रकार का संघर्ष नहीं रहा ।

जहां तक आर्थिक विकास के बारे में क्षेत्रीय असंतुलन का सम्बन्ध है, एक योजना की अवधि में सभी वर्तमान असंतुलनों को दूर करना सम्भव नहीं है । किन्तु चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए अच्छा आरम्भ किया गया है । केन्द्रीय सहायता का दस प्रतिशत भाग केवल पिछड़े राज्यों के लिए निर्धारित किया गया है और दूसरा दस प्रतिशत भाग राज्यों की विशिष्ट समस्याओं के लिए निर्धारित किया गया है । केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त परियोजनाओं के स्थान के चयन के सम्बन्ध में जहां कहीं भी स्वविवेक की गुंजाइश होगी, वहां उसे पिछड़े राज्यों के पक्ष में किया जायेगा । गैर सरकारी परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी वांचू समिति ने इस प्रश्न का सविस्तार अध्ययन किया कि किस प्रकार लाइसेंस देने के सम्बन्धी नीतियों तथा वित्तीय संस्थाओं की नीतियों द्वारा स्थान के चयन सम्बन्धी निर्णयों पर प्रभाव डाला जा सके । मुख्य मंत्रियों द्वारा उस प्रतिवेदन पर विचार किये जाने तथा उनके द्वारा अपने विचार दिये जाने के पश्चात सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी ।

यह योजना समूचे देश को एक इकाई के रूप में ध्यान में रख कर तैयार की है । यह योजना राज्यों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का मिला जुला रूप है । इस योजना में यह व्यवस्था की जा रही है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जो काम किया जायेगा वह अधिकतर राज्यों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के लिए होगा । अत: हमारी सफलता मिलजुलकर काम करने की क्षमता और सामर्थ्य पर निर्भर है । हमारा यह प्रयत्न है कि योजना में निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए अधिकतम धन दिया जाये । बिना इसके हम वह आधार नहीं बना सकते जो कि देश के लिए अत्यावश्यक है ।

अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि उनके द्वारा दिये जाने वाले सुझावों को कार्य रूप नहीं दिया जाता है। कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि सरकार द्वारा अपनी ही मर्जी से काम किया जाता है। यह ठीक है कि कई बार माननीय सदस्यों द्वारा क्रियान्वित करना कठिन हो जाता है क्योंकि हमें कई विचारों का समन्वय करके एक व्यापक दृष्टिकोण अपना कर आगे बढ़ना पड़ता है। यदि हम अधिक लोगों को साथ रखना चाहे तो हमारे लिए कई विचारों का समन्वय करना आवश्यक हो जाता है। हम योजना में सभी क्षेत्रों का यथासम्भव विकास करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

यह मानते हैं कि यह पूरी तरह आदर्श योजना नहीं है और इससे राज्यों अथवा राज्यों के भीतर की सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं अतः इससे थोड़ी बहुत निराशा होना अनिवार्य है। किन्तु हम यह समझते हैं कि हम सही दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं और यदि हम इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लें तो हमारा आधार सुदृढ़ हो जायेगा और देश की स्थिति ठीक हो जायेगी। हम पिछली त्रुटियों से अनुभव प्राप्त करके सही कार्य करने का प्रयत्न करेंगे।

हमारे साधन जुटाने के लिए करों के अतिरिक्त और कोई उपाय नही है अतः अधिक कर लगाना अनिवार्य सा हो जाता है। विकास के साथ साथ हमारी संसाधन जुटाने की शक्ति भी बढ़ेगी और देश और अधिक उन्नति कर सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य स्थापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते है, वे उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाये, अर्थात :—

"21 अप्रैल, 1969 को सभा-पटल पर रखे गये 'चौथी पंचवर्षीय योजना 1970-74 —प्रारूप पर विचार करने के पश्चात, इस सभा की राय है कि—

(क) योजना में आयोजन के किसी भी वैज्ञानिक दर्शन का सर्वथा अभाव है;

(ख) इस योजना में अर्थव्यवस्था के शिखर, जैसे बैंकों, विदेश तथा आन्तरिक थोक व्यापार, इस्पात, तथा कोयले के राष्ट्रीयकरण की नितांत आवश्यकता का कोई संकेत नहीं है और इसमें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि भू-स्वामित्व में वास्तविक परिवर्तन कैसा लाये जाये;

(ग) योजना में सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में कर्मचारियों के योगदान के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया गया है और एक और दस के अनुपात में आय सीमा तुरन्त लागू की जाए;

(घ) भारत में अमरीकी दूतावास द्वारा अधिकृत तथा प्रयुक्त पी०एल० 480 निधि तुरन्त जब्त कर ली जाए;

(ङ) योजना में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि देश में सभी को रोजगार दिलाने के लिए क्या उपाय किये जायेंगे; और

(च) 'नियोजित प्रैस तथा दलीय प्रैस' के रूप में प्रैस को योजनाबद्ध करने से योजना की कार्यान्विति में जनता का योगदान कैसे संभव होगा, इस बारे में योजना में कोई उल्लेख नहीं है।"(3)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाय अर्थात :

'21 अप्रैल, 1969 को सभा-पटल पर रखे गये 'चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74 प्रारूप" पर विचार करने के पश्चात इस सभा की राय है कि—

(क) योजना को जन हित का रूप देने के लिये केरल की संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा गठित 'राज्य योजना बोर्ड' की अलटरनेटिव योजना के मूलभूत सिद्धान्तों को योजना का आधार बनाया जाय,—राष्ट्रीय विकास परीषद् की गत बैठक में केरल सरकार के मुख्य मंत्री तथा पश्चिम बंगाल के उप-मुख्य मंत्री द्वारा उठाये गये मुद्दों को चौथी योजना में शामिल किया जाए;

(ख) योजना के पूंजीवादी विकास की नीति को तिलांजलित दे कर गैर पूंजीवादी विकास की नीति अंगीकार की जाय;

(ग) देश के आर्थिक जीवन पर 75 पूंजीवादी परिवार के बढ़ते हुए एकाधिकार को तोड़ने के लिए बैंकों, बुनियादी उद्योग धन्धों, चाय बागानों, विदेशी व्यापार, विदेशी तेल कम्पनियों, खाद्यान्न के थोक व्यापार आदि का राष्ट्रीयकरण किया जाय; बिड़ला बंधुओं के विरुद्ध लगाये गए आरोपों तथा भ्रष्टाचार की जांच के लिए शीघ्र कदम उठाये जायें;

(घ) उपयोग की अत्यावश्यक सामग्रियों के मूल्यों को बांधने तथा मुनाफाखोरों, गल्लाचोरों, सटोरियों की लूट खसोट की नीति का अंत करने के लिए शीघ्र कठोर कदम उठायें जाये ;

(ङ) देश के श्रमिक वर्ग को देश के आर्थिक विकास के कार्यों में उत्साहपूर्वक भाग लेने के योग्य बनाने के लिए उन्हें आवश्यकता के आधार पर आधारित वेतन की गारंटी दी जाय, महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ दिया जाय, पूरी पूरी महंगाई की शून्यीकरण की नीति अपनायी जाय, ट्रेड यूनियन अधिकारों की रक्षा की जाय तथा हड़ताल विरोधी तथा दूसरे दमनात्मक कानून रद्द कर दिये जायें और ये उपबन्ध योजना में शामिल किये जायें ;

(च) बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात तथा अन्य पिछड़े राज्यों के सम्यक विकास के लिए और अधिक धनराशि आवंटित की जाए; प्रादेशिक असन्तुलन का अन्त करने के लिए ठोस और कारगर कदम उठाये जायें; और देश के अन्दर मौलिक उद्योग धन्धों का विस्तार सरकारी क्षेत्र में ही किया जाये।"(5)

श्री रामावतार शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाये, अर्थात :—

'21 अप्रैल, 1969 को सभा पटल पर रखे गये "चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74' प्रारूप" पर विचार करने के पश्चात इस सभा की राय है कि---

(क) देश को अन्न के मामले में आत्म निर्भर बनाने हेतु अधिक अनाज पैदा करने के लिए कृषि सुधार सम्बन्धी कानूनों को सख्ती के साथ लागू करने फालतू जमीन तथा सरकारी परती जमीन को खेत मजदूरों एवं गरीब किसानों में निःशुल्क वितरित करने तथा सस्ते दर पर खाद और बीज की अपूर्ति के लिये प्रभावी कदम उठाये जायें और देहातों में सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध की जाये ।

(ख) खेत मजदूरों के लिए बास की जमीन की व्यवस्था की जाये तथा उन्हें जीने लायक मजदूरी दी जाये ।

(ग) बेकारी का अन्त करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाये जायें ।

(घ) अलाभकर जोतों से मालगुजारी प्रथा का अन्त कर क्रमिक कृषि आय कर की प्रथा चालू की जाये ।

(ङ) योजना में निर्धारित सरकारी क्षेत्र की राशि को और बढ़ाया जाये और व्यक्तिगत क्षेत्र की राशि को कम किया जाये ।

(च) योजना में सिंचाई, समाज कल्याण, शिक्षा, बिजली, कृषि खाद्यान्न, उद्योग धन्धों के विकास, सड़कों एवं पथों के विकास, गृह निर्माण एवं जलपूर्ति योजनाओं, पिछड़ी जातियों के विकास, मजदूरों के कल्याण के लिए नियत राशि को बढ़ाया जाये ।'(6)

श्री श्रीचन्द गोयल (चन्डीगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाय, अर्थात :----

'21 अप्रैल, 1969 को सभा पटल पर रखे गये "चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74 प्रारूप" पर विचार करने के पश्चात इस सभा की राय है कि :—

(क) योजना को पुनरक्षित किया जाय ताकि इसको देशीय साधनों तकनीकी तथा मशीनरी पर निर्भर स्वदेशी योजना बनाई जा सके । विदेशी सहायता को जिससे कि हमारी राजनीति एवं अर्थव्यवस्था पर विदेशी प्रभाव पड़ता है, पूर्णत; समाप्त किया जाये;

(ख) योजना को तैयार करने तथा उसको क्रियान्वित करने के लिए हमारे बहुत बड़े साधन, जन शक्ति, का पूर्ण उपयोग किया जाय शिक्षितों तथा अशिक्षितों में व्याप्त बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायें । आंशिक रूप से रोजगार पर लगे लोगों को सारे वर्ष के लिये पूरा रोजगार दिया जाये;

(ग) अर्द्धव्यवस्था सम्बन्धी प्रादेशिक पिछड़ेपन को दूर किया जाये; आय की वर्तमान असमानता को कम किया जाये; कृषि तथा रक्षा उत्पादन को प्राथमिकता दी जायें; उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए उपर्युक्त कदम उठाये जायें;

(घ) सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा गैर-सरकारी क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान दिया जाये क्योंकि सरकारी क्षेत्र में इस समय कुप्रबन्ध है तथा इससे देश को भारी आर्थिक हानि हुई है;

(ङ) देश के उन सभी भागों में विशेष रूप से राजस्थान, हरियाणा, बिहार और आन्ध्र प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जहां इस समय पीने के पानी की अत्यन्त कमी है, पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायें।" और

(च) कुछ क्रम वह कार्यक्रमों के माध्यम से देश के सभी नागरिकों के लिए मकानों की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त धन व्यवस्था की जाये !'

श्री हुमायून कबिर (बसिरहाट) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाये, अर्थात :

'21 अप्रैल, 1969 को सभापटल पर रखे गये 'चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74-प्रारूप' पर विचार करने के पश्चात इस सभा की राय है कि—

(क) योजना में संविधान के अनुच्छेद 39 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है; बढ़ते हुए भाषा सम्बन्धी, साम्प्रदायिक तथा प्रादेशिक झगड़ों का मुख्य कारण इस अनुच्छेद में निर्दिष्ट सिद्धांतों को कार्यान्वित करने में असफलता है;

(ख) एक ओर उत्दादन तथा विकास और दूसरी ओर सम्यक वितरण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए योजना में उत्पादन में वृद्धि की उपेक्षा के अवसर बढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिए;

(ग) समाजवादी व्यस्वथा का आदर्श उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है जब गांवों में बिजली लगाने, गांवों में सड़कें तथा मकान बनाने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये ताकि रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके और देहाती तथा शहरी इलाकों के बीच बढ़ती हुई विषमता कों दूर किया जा सके;

(घ) भारी तथा बड़ा सामान तैयार करने वाले उद्योगों में मुख्य रूप से और अधिक असन्तुलित विस्तार करने के बजाय वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग करने और इसे संगठित करने पर बल दिया जाना चाहिए;

(ङ) उपरोक्त (ग) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए बड़े संशोधनों के उपबन्ध के

अधीन रहते हुए, चौथी योजना में कुटीर, लघु तथा मध्यम क्षेत्रों में विस्तार का मुख्य क्षेत्र उपभोक्ता--वस्तु उद्योग होने चाहिए; और

(च) उपरोक्त (ग), (घ) और (ङ) में उल्लिखित कार्यक्रमों की ओर विशेष ध्यान देते हुए उपरोक्त निष्कर्षों की दृष्टि से योजना आयोग को कहा जाये कि वह योजना का प्रारूप दुबारा तैयार करे और पुनरीक्षित योजना 31 अक्तूबर, 1969 तक संसद के समक्ष प्रस्तुत करें।'(12)

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

'कि मूल प्रस्ताब के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात :—

'21 अप्रैल, 1969 को सभा-पटल पर रखे गये "चौथी पंचवर्षीय योजना—1969-74 प्रारूप" पर विचार करने के पश्चात यह सभा निम्नलिखित कारणों से उसका निरनुमोदन करती है :

(क) चौथी योजना के प्रारूप से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि सरकार ने दूसरी तथा तीसरी योजनाओं की असफलता से कुछ भी पाठ नहीं सीखा और इसके लक्ष्य उतने ही काल्पनिक है जितने कि दूसरी तथा तीसरी योजनाओं के थे तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति की भी उतनी ही कम संभावना है;

(ख) कृषि की उपेक्षा करके भारी उद्योगों पर अनुचित जोर देने की प्रवृत्ति चौथी योजना में भी जारी है;

(ग) इसमें इस तथ्य की उपेक्षा की गई है कि मुद्रा स्फीति से मूल्य बढ़ते हैं तथा रुपया देशों की मिलीभगत के कारण गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में निराशा होती है;

(घ) इसमें इस बात को मान लिया है कि बेकार के व्यय को कम नहीं किया जा सकता तथा और अधिक कर लगाने तथा लगातार घाटे की व्यवस्था का सहारा लेना आवश्यक हो जायेगा; अधिक कर लगा कर जो आय होगी उसको तथा जनता की बचतों को उन सरकारी उपक्रमों के बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए उपयोग में लाने का उद्देश्य जो अदक्ष हैं तथा घाटे पर चल रहे हैं;

(ङ) कृषि सम्बन्धी गतिविधियों को संस्थागत किये जाने से डर;

(च) यह मानकर भी कि नियंत्रण तथा लाइसेंस प्रणाली संतोषजनक कार्य नहीं कर रही है, अनियंत्रण तथा अधिक प्रतियोगिता के विकल्प के लिए कोई तत्परता नही दिखाई गई है; और योजना में उपभोक्ताओं के हितों की उपेक्षा की गई है।'(14)

श्री चन्द्रिका प्रसाद (नालंदा) मैं प्रस्ताव करता हूँ :

'कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाये, अर्थात,

(क) नगरीय सम्पति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने, आय में विषमता दूर करने

तथा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए योजना में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है;

(ख) उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में गांवों में शीघ्र पानी की सप्लाई करने, कुटीर एवं लघु उद्योगों और सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने के बारे पटेल आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए कोई प्रभावी तथा ठोस कार्य तथा अन्य उपयुक्त उपायों का कोई प्रस्ताव नहीं है;

(ग) योजना में देश के सर्वाधिक निर्धन लोगों के लिये अच्छे जीवन स्तर की व्यवस्था करने और इस कार्य के लिए सहकारी समितियों को उपयुक्त स्थान देने तथा पशु एवं फसल बीमा योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है;

(घ) अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए प्रभावी उपाय किये जायें;

(ङ) देश में अलाभप्रद जोतों पर लगान समाप्त किया जाये;

(च) देश में बढ़े पैमाने पर वर्तमान क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए तथा अल्प विकसित क्षेत्रों को योजना का लाभ देने के बारे में कोई ठोस उपायों का प्रस्ताव नहीं है।' (15)

श्री चन्द्रिका प्रसाद : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाये, अर्थात,

'21 अप्रैल, 1969 को सभा पटल पर रखे गये "चौथी पंचवर्षीय योजना—1969-74 प्रारूप पर विचार करने के पश्चात इस सभा की यह राय है कि—

(क) सामाजिक कल्याण के लिए योजना नियतन बढ़ाकर 50 करोड़ रुपया लिया जाये;

(ख) सिंचाई तथा विद्युत के लिए योजना नियतन बढ़ाया जाये;

(ग) शिक्षा के लिए योजना नियतन बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपया किया जाये;

(घ) पिछड़े क्षेत्रों के लिए योजना नियतन बढ़ाया जाये;

(ङ) परिवार नियोजन के लिए योजना नियतन घटा कर 100 करोड़ रुपया किया जाये।' (16)

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाये, अर्थात :

'21 अप्रैल, 1969 को सभा पटल पर रखे गये "चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74 प्रारूप" पर विचार करने के पश्चात, इस सभा की राय है कि :—

(क) भारत के अन्न उत्पादन में पूर्णतया आत्म निर्भर बनाने और दो बार निरन्तर

पड़ने वाले सूखे का मुमाबला करने के लिए सिंचाई को अधिक महत्व दिया जाए और योजना के प्रारूप में उचित परिवर्तन किया जाये;

(ख) भारत के लिये ब्रिटिश-अमरीकी इस्पात सार्थ संघ द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार विशाखापटनम में पांचवां समेकित इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए कार्य आरम्भ करने के लिए उपबन्ध किया जाये ताकि 1975-76 में सप्लाई की स्थिति में भारी अन्तर दूर किया जा सके जैसा व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद और स्टीयरिंग ग्रुप द्वारा भी सुझाव दिया गया है और इन्हीं सिफारिशों के अनुसार एक नया इस्पात कारखाना स्थापित किया जाए; और

(ग) विशाखापटनम पत्तन तथा हिन्दुस्तान पोत निर्माण कारखाने का विस्तार करने तथा यराडा हिल के दक्षिण में बालचेरूआ क्षेत्र में तथा वर्तमान पत्तन में अतिरिक्त पत्तन सुविधाओं के लिए निर्माण हेतु तुरन्त कार्यवाही करने का उपबन्ध किया जाए ।' (17)

———

सदस्यों की रिहाई

RELEASE OF MEMBERS

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचना देनी है कि नई दिल्ली सेंट्रल जेल के अधीक्षक से 8 मई, 1969 को निम्न सूचना प्राप्त हुई है :

"मुझे आपको सूचित करना है कि लोक-सभा के सदस्य, श्री सी० के० चक्रपाणी और श्री पी० गोपालन के जो भारतीय दन्ड सहिता की धारा 188 के अन्तर्गत 29 अप्रैल, 1969 को दोषसिद्ध पाये गये थे, दण्ड की अवधि समाप्त हो जाने पर उन्हें आज 8 मई, 1969 को रिहा किया गया।"

———

चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारूप के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION RE : DRAFT FIVE YEAR PLAN—(Contd.)

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 14 का समर्थन करता हूँ । यह धारणा गलत है कि स्वतन्त्र पार्टी आयोजना के पक्ष में नहीं है । परन्तु वास्तविकता यह है कि स्वतन्त्र पार्टी लोकतंत्रात्मक आयोजना में विश्वास रखती है जैसी कि फ्रांस, ब्रिटेन और स्केंडिनेविया के देशों में अपनाई जा रही है । हमारी पार्टी रूसी किस्म की दबाव डालकर आयोजना के विरुद्ध जो सभी देशों में बुरी तरह असफल रही है । हम चाहते हैं कि राज्य अपना कार्य आर्थिक मामलों तक ही सीमित रखें हम मिली-जुली अर्थव्यवस्था में और कम से कम नियंत्रण में विश्वास रखते हैं । अतः हम चाहते हैं कि योजना आयोग को जो वास्तव में एक समानान्तर सरकार बन गई है समाप्त कर दिया जाये और इसके स्थान पर वास्तविक रूप में

एक विशेषज्ञ सलाहकार संस्था बनाई जाये जो कृषि, उद्योग, श्रमिकों तथा अन्य हितों के साथ सहयोजित हो। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि यह योजना तैयार करने में सरकार की सहायता करे।

प्रधान मन्त्री ने दावा किया है कि हमने पिछले कुछ वर्षों में आश्चर्यपूर्ण प्रगति की है। किन्तु वास्तविकता कुछ और ही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्राय: सभी लक्ष्य अपूर्ण ही रहे हैं। पिछले पांच-सात वर्षों में मूल्य काफी बढ़ गये हैं किन्तु आय और बचत में कोई वृद्धि नहीं हुई है। पूंजी बाजार में भी किसी प्रकार की प्रगति नहीं हुई है और बेरोजगारी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। विश्व के निर्यात में भारत का अंश एक प्रतिशत से भी कम है। विश्व के देशों की दृष्टि में भारत दिवालिया हो चुका है क्योंकि हम अपने दायित्वों को नहीं निभा पा रहे हैं और हम सदा ऋणों की अदायगी की अवधि बढ़ाने के लिए कहते हैं।

जहां तक सामाजिक न्याय का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के पश्चात तीन भारतीयों में से केवल एक भारतीय की आय एक रुपया दैनिक है। इन योजनाओं के परिणामस्वरूप लोगों का वास्तविक जीवन स्तर गिर रहा है। आज लोग इस पहले की तुलना में अधिक गरीब हैं। पहले की तुलना में अनाज कपड़े आदि की प्रतिव्यक्ति खपत भी घट गई है। दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में समाज का निर्धन वर्ग और अधिक निर्धन हो गया है। यदि प्रधान मन्त्री ने आज प्रातः योजना के प्रति लोगों के उत्साह के अभाव की शिकायत की है तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। वास्तव में लोग इस प्रकार की योजनाओं से तंग आ चुके हैं।

मैं समझता हूँ कि चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप अवास्तविक है। इसमें यत्र तत्र सच्चाई प्रकट करने का प्रयत्न किया गया है कि फिर तुरन्त आयोजक सच्चाई को मानने से मुकर गये हैं और वास्तविकता पर आवरण डालने का प्रयत्न किया गया है। इस प्रारूप में पिछली योजनाओं की असफलता के दो कारण—दो युद्ध तथा दो सूखे-बताये गये हैं। मैं यह तो मानता हूँ कि इनका थोड़ा बहुत प्रभाव तो अवश्य पड़ा है किन्तु इतनी बुरी स्थिति के लिए केवल इन दो कारणों को ही उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता है। असफलता का मुख्य कारण तो सरकार का गलत आयोजन और उसकी गलत नीतियां हैं। योजना का प्रारूप से यह पता चलता है कि हमने अपनी पिछली असफलताओं से किसी प्रकार की शिक्षा नहीं ली है। अतः मैं इस योजना से कतई असहमत हूँ। इस योजना में भी वही सब पुरानी बातें हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई नवीनता नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी और तीसरी योजनाओं में निर्धारित किए लक्ष्य अवास्तविक थे उन्हें प्राप्त करना हमारे संसाधनों से परे था।

राष्ट्रीय विकास परिषद् की हाल में हुई बैठक के बाद समाचार पत्रों को यह समाचार दिया गया था कि केवल तीन राज्य योजना से सहमत नहीं है जब कि वास्तविकता यह है कि चार राज्यों ने उड़ीसा ने भी, अपनी असहमति प्रकट की है। उड़ीसा के मुख्य मन्त्री ने अपने भाषण में इस योजना के प्रारूप के प्रति निराशा प्रकट की है और इसे अवास्तविक और अस्पष्ट बताया है। अन्त में उन्होंने कहा है कि दूसरे शब्दों में सम्पूर्णतः इस योजना में निर्धन राज्यों,

विशेषत: उड़ीसा के लोगों को अन्धकारमय दिखाई देता है । यह स्पष्ट है कि इस प्रकार योजना हमें स्वीकार्य नहीं हो सकती है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चार राज्यों को यह योजना स्वीकार्य नहीं है ।

हमारा इस योजना को अस्वीकार करने का कारण यह है कि यह योजना अवास्तविक अनुमानों और लक्ष्यों पर आधारित है । इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आय प्रति वर्ष 5.5 प्रतिशत बढ़ेगी, कृषि उत्पादन में 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी और पूंजी निवेश की दर 11.5 प्रतिशत से बढ़कर 13.8 प्रतिशत हो जायेगी । घाटे की अर्थव्यवस्था 850 करोड़ रुपये की होगी किन्तु इन सब के बावजूद मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी । यह सब अवास्तविकता है । हमें यह पूरा विश्वास है कि मूल्यों में तेजी से वृद्धि होगी ।

हमें अब तक यह बताया जाता रहा है कि योजना में कृषि को प्राथमिकता दी जायेगी किन्तु इस योजना में इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं किया गया है जिससे भारी उद्योग और कृषि के संतुलन को बेहतर बनाया जा सके । प्रधान मन्त्री ने कहा है कि योजना के प्रारूप में दिये गये आंकड़ों पर निर्भर करना ही ठीक नहीं है । संसाधन उपलब्ध हो जाने में इन पर संशोधन किया जा सकता है । समझ में नहीं आता कि संसाधन कहाँ से उपलब्ध हो सकेंगे ।

26 अगस्त, 1965 को मैंने स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री को बताया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा क्योंकि साम्यवादी लोग किसानों के समर्थक नहीं है । मैं इस सम्बन्ध में यह भी कहना चाहता हूँ कि योजना में रोजगार तथा सड़क परिवहन की उपेक्षा की गई है ।

यह योजना भी बिल्कुल दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के समान ही है । इसमें भी सरकारी क्षेत्र को ही प्राथमिकता दी जा रही है ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र के लिए 8577 करोड़ रुपये रखे गये थे । चौथी योजना में कुल परिव्यय 24000 करोड़ रुपये है जिसमें से सरकारी क्षेत्र के लिए 14,397 करोड़ रुपये रखे गये हैं । इस राशि में से 3400 करोड़ रुपये की पूंजी केवल उद्योगों और खनन पर लगाई जायेगी । हमें प्रसन्नता है कि सरकारी क्षेत्र के प्रति हमारी कटु आलोचना का अब स्वयं वे ही समर्थन करने लगे हैं जो योजना-व्यवस्था और समाजवाद के समर्थक हैं । कांग्रेस के फरीदाबाद मेले में भी कांग्रेस दल के प्रधान श्री निजलिंगप्पा ने इस बात पर बल दिया जिस पर मैं बल दे रहा हूँ । हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक लेख में प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य पर आश्चर्य प्रकट किया गया है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है । लेखक ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि सरकारी क्षेत्र के बड़े-बड़े कारखानों में लाभ क्या होने या उनमें भारी हानि होने से उनके प्रति जनसाधारण की क्या धारणा बनेगी । पहले जो बात स्वतंत्र दल कहता था अब प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति या अर्थशास्त्र का विद्यार्थी उसका अनुभव करता है ।

श्रीमती गांधी ने अपने भाषण में कहा है कि योजना में नियंत्रण से कुछ राहत दी जायेगी । मेरा कहना यह है कि जितने नियन्त्रण लगे हैं वे अनावश्यक है और अति की सीमा को छूते हैं, सरकार उन सबको ही क्यों नहीं समाप्त कर देती ? मौखिक रूप से छूट देकर लोगों

को धोखा दिया जा रहा है। यह संदेह इस बात से पुष्ट होता है कि योजना में स्थान-स्थान पर ऐसे वाक्य लिखे हैं कि सामाजिक न्याय और समानता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसाधनों पर और अधिक सरकारी नियंत्रण के लिए व्यापक योजना बनायी जायेगी। इस नीति से नियंत्रण अधिक बढ़ेंगे और राज्य का एकाधिकार बढ़ेगा। सम्पूर्ण योजना में यह शंका दृष्टिगोचर होती है कि कहीं किसान अमीर न हो जाये, कहीं उद्योगों का विस्तार न हो जाये जिससे उद्योगपति शक्तिशाली बन जायें। इसीलिए उन्हें परमिट, लाइसेंस और नियंत्रण व्यवस्था से जकड़ दिया गया है।

प्रधान मंत्री ने संसाधनों के विदोहन की बात कही थी। बड़ी अच्छी लगती है यह बात। परन्तु इसका भार पड़ेगा जनसाधारण पर। अप्रत्यक्ष करों और उपकरों से धन एकत्र किया जायेगा। सरकार यह भी कहती है कि मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी। परन्तु कागजी धन बढ़ने पर मूल्य स्थिर रहेंगे, इसमें संदेह है। मेरे विचार से इस योजना से देश के निर्धन लोगों की स्थिति आज की स्थिति से भी बदतर हो जायेगी। इस योजना से आगामी पांच वर्षों में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सरकार अपनी गलत नीतियों को बदले और इस प्रकार की योजना बनाने के बजाय सरकार लोगों को अपनी क्षमतानुसार विकास करने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दे। इसके परिणाम योजना से कहीं अच्छे होंगे।

डा० जाकिर हुसैन ने ठीक कहा है कि हमें काम चाहिए, अधिक काम, और अधिक काम। इस योजना में एक भी व्यवस्था ऐसी नहीं हैं जिससे लोगों को काम करने की प्रेरणा मिले, नये उद्यम और खोज करने की प्रेरणा मिले। योजना योजना भवन और सरकारी कार्यालयों या बड़े-बड़े उपक्रमों में बैठने वाले अधिकारियों द्वारा बनाई जाती है और वे ही इससे लाभ उठाते हैं। इससे जनसाधारण को कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए हम इस पूरी योजना को अस्वीकार करते हैं, इसके लिए अपना सहयोग देने को तैयार नहीं हैं क्योंकि यह लोगों को स्थिरता और विनाश के गर्त में धक्का देगी।

Shri S. N. Shukla (Rewa) : Mr. Deputy Speaker, I welcome the draft of the Fourth Five Year Plan. More honest and proper methods have been used in preparing the plan; If it is put to action successfully on Central level as well as State level, it will, no doubt. yield good results. But the difficulty is this that the plans are not implemented honestly. That is why we fail in actioning the desired results. The Planning Commission has admitted that there has been some lacunae we carring out the planned programmes. It says : "While the difficulties of the last few years have unquestionably arisen from factors beyond because control, there are still a number of lacunae which have evoked legitimate criticism. Despite larger outlays actual developments have often fallen short of targets."

The most important think about the Plan is that it is based on certain determinations. First is that we will have to achieve self-sufficiency in matter of foodgrains. Secondly, a buffer stock will be made, for which a sum of 125 crores of rupees has been earmarked in Central Sector. A sum of 57 crores of rupees has been set apart for warehousing marketing, and storage purposes. Thirdly, dependence on foreign aid will be put to an end. I am also of the opinion that self-sufficiency in foodgrains and freedom from dependence on foreign aid will make the future of our country bright.

Now I want to invite the attention of the Prime Minister to Madhya Pradesh. In 1956 Vindhya Pradesh, Bhopal, Mahakaushal and Madhya Bharat all the backward areas were integrated into one Unit, which was named Madhya Pradesh. It was assured at that time

that progress will be made as faster speed in Madhya Pradesh. But till now Madhy a Pradesh continues to be a backward State. There are no pucca roads to link one district to another. In rainy season even existing roads are flooded by rainy water. Harijans and tribal people constitute one-third of total population of the State. As regards the progress in the field of education. There are 171 educated persons out of 1,000 in Madhya Pradesh while average figure for the country is 240. Therefore I request that more attention should be paid towards development of Madhya Pradesh.

[श्री गादिलिगन गौड पीठासीन हुए]

[**Shri Gadilingana Gowd** *in the Chair*]

It is said that more attention will be paid to the public sector undertakings. I had been a Member of the Committee on Public Undertakings for the last two years. What I feel is that money is being spent on them lavishly. One of the biggest drawbacks of this sector is that retired officers and other incompetent persons are given high offices in them. I would like that the Prime Minister herself should look into the affairs of these public undertakings and set them right so that they may help in bringing about economic progress in the country.

The outlay for the States made in this Plan is Rs. 6,066 crores and out of that only Rs. 3,500 crores will be made available by the Centre. It is for the States to raise rest of amount from their own resources. The Central funds allocated to States are meagre. It will not be possible for States to implement all the schemes with the amount at their disposal. The Central Government should re-examine the issue and give Rs. 1,000 crores more to States. Otherwise States will not be in a position to make economic progress. I also request that out of Rs. 1,000 crores proposed to be given to States at least Rs, 500 crores should exclusively by distributed among backward States like Madhya Pradesh. The allocation made in the draft of Fourth Five Year Plan is not sufficient. So special attention should be given to Madhya Pradesh. With these words I welcome the draft of Fourth Five Year Plan.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Sir, as regards the Fourth Five Year Plan, it is not based on any philosophy. While giving reply to discussion on the demands of Planning Commission the Prime Minister was pleased to state that this Plan is a Swadeshi Plan. But from the point of view of its dependence on foreign aid, it does not appear to be Swadeshi. From this angle it is as much foreign as the previous three Plans. It is no use of talking about a take off stage in the economy of the country. The planners say that we will achieve self-sufficiency by 1980-81 on the basis of 18 per cent national income. But at the present rate of growth we will achieve the target of 6.5 per cent national income.

In regard to the agricultural sector I want to make certain observations and suggestions. The agricultural production will not increase unless we bring about a change in land ownership. Landless farmers should be given land. But we have not as much land as can be given to all the landless people. In these circumstances there is only one alternative and that is the introduction of co-operative farming. It will also put an end to fragmentation of land. After adopting co-operative farming modern techniques, technical Know-how, fertilizers and improved seeds should be applied in agriculture. Only then we can have an increase in agricultural production. We should proceed in this direction under 'grandeur' movement. Instead of individual ownership of land there should be villiage ownership of land.

I am sorry to mention that public sector undertakings are running in loss. It is mainly due to the mismanagement and inefficiency prevailing in them. There should be qualitative change in the management of these Undertakings. Control Commissions should appointed to have a look on them. Workers should be allowed to participate in the management. It will make the workers more responsible towards their duties. If it is

done only then these Undertakings will become remunerative. Such a mention has not been made in the Plan.

The problem of unemployment in our country is becoming more and more acute day by day. At present the number of unemployed persons is one and a half crore. Our Government failed to provide employment to all needy persons. Thus we can not call our country as having a Welfare State.

Deficit financing has become the annual feature with our Government. During the current financial year there is deficit financing of the time of Rs. 250 crores and it would become Rs. 850 crores by the end of this Plan. P. L. 480 fund received from America also adds to the deficit financing and inflation. There is bound to be instability of prices where there is infllation. So I request that steps should be taken to check the use of P. L. 480 funds. Such matters have not been mentioned in the draft Plan.

If you want people's participation in the planning and its implementation, you will have to make people plan-concions. In this respect I would like to suggest that all newspapers with a circulation of more than 10,000, should be nationalized. Political parties should have their own press for propagating their policies and programmes.

It is often said that there is lack of resources in our country. But it is not a fact. People say that we have to seek aid from foreign countries. But I say that effective steps are not taken to mobilize our own resources. Why do the Government not put a ceiling on income ? Government are unable to put a check on tax evasion. It is reported that these days tax evasion is to the extent of Rs. 13 or 14 crores. Similarly by putting ceiling on income we can get Rs. 1,000 crores. A colossal amount can be saved by abolishing privy purses. These days a lot of money is being extravagantly spent. According to a calculation made by Shri Ram Manohar Lohia a sum of Rs. 25,000 is daily spent on the Prime Minister of India. Recently our Prime Minister went on tour of Latin American countries and a sum of Rs. 10 lakhs was spent thereon. Such an extra expenditure may also be reduced.

Shri Chandra Jeet Yadhav (Azamgarh) : Sir, I welcome the draft Fourth Five Year Plan presented by the Prime Minister to the House for consideration. While initiating the debate on the motion regarding the draft Fourth Five Year Plan. Shri Masani said that there is nothing concrete in the Fourth Plan. He also said that no progress was made during the course of last 3 Five Year Plans. But I want to say that it was decided 18 years ago that progress will be made according to the planning. No doubt, we achieved success by advancing along with the planning. We have made sufficient progress. Looking to our national income and agriculture we will find that they are now double of what they were 18 years ago. Now we produce 95 million of foodgrains as against 55 millions at the outside of planning.

Shri Masani has quoted some figures which mislead the Housc. He quoted the figures in respect of year 1960-61 which was the most unfavourable year for our country from view of agricultural production. For example, per capita consumption of sugar in 1960-61 was 4.9 kilograms which rose to 5.3 kilograms in 1966-67. The per capita consumption of cloth in 1960-61 was 14.7 metres while it rose to 15.1 metres in 1964-65. There was decrease in per capita consumption in 1967-68. But it was due to 80 per cent increase in population of the country. Shri Masani wants freedom to all *i.e.* industrialists should be free to exploit workers and the workers should be free to go on strikes whenever they like. He wants monopolies to be established or economic power to be concentrated into few hands. It will not be allowed under the planning. We have already declared that monopolies will not be allowed to grow. We want to make economic justice available to all the people. In December, 1954 we resolved and the Parliament of India has passed a resolution

that socialistic pattern of society will be established in the country. Since then we have been trying to achieve this goal.

I am glad that this Plan is bigger than the previous Plans. But I am sorry to point out that public sector has not been given as much attention as it requires. The financial allocation made for public Sector in this Plan is not adequate. More money should be allocated to it. Shortcomings are rampant in the administration of or otherwise in public sector undertakings. These should be removed. Unless the public sector is strengthened, there will be no economic progress in our country and the standard of living of general masses will not go up.

We feel pained to see that economic disparities are increasing in our country. While mobilizing the resources, we should see that poor people are not made to bear additional burden of taxation. More taxes should be imposed on those who accumulated wealth during last 20 years. Government should take steps to remove economic disparities. For if Government will have to impose ceiling on urban property Government should be bold enough to nationalize all the banks. Economic power should not be allowed to concentrate in a few hands.

Disparity is increasing not only among people but between different regions also. We should not blame the Centre for this. Government should take immediate and effective steps to put an end to this disparity. Moreover, unemployment in our country is increasing and the available human power is not being utilized fully. The Central and State Governments should make their schemes job-oriented and employment oriented, so that the problem of unemployment may be resolved soon.

Uttar Pradesh is also one of the backward States. Government should pay attention towards it. The Patel Commission was set up in 1964, which recommended for speedy development of eastern districts of U. P. As these districts have so far remained neglected, the recommendations of the Patel Commission should be implemented.

Shri Shri Chand Goyal : Sir, the Third Five Year Plan ended in March, 1966. Since then there has been plan holiday for three years. The Government should not go on such plan holidays. No doubt, progress has been made in our country during last three plan-periods. But the tempo of the progress has been slow. We could not make as much progress as we should have made. I am of the opinion that at a time of crisis we should make planning more intelligently and the same should be implemented honestly and industriously. Certain States including Delhi are not happy over the financial allocations made for them in this draft Plan. There has been made discriminations against Delhi. I do not agree with those who make complaint that there is dearth of resources in India. This is a plenty of resources in India. We have greatest man-power in India and this is the greatest resource. But our Government do not know how to utilize the resources available in the country.

Natural resources and funds were not used properly with the result we could not get anything from these plans. In the previous plans much foreign aid was invested but in the present plan dependence on foreign aid was reduced. I think the Planning Commission has brought some changes in it but it is not so radical as it should have been. Therefore, I say that we should reconsider the objective of five year Plans. If we have not been able to eliminate unemployment then how can we regard our plans as success. There are many countries in the world whose economic condition was worst in comparison to ours. Japan is an example. She was lagging behind in every fields but by adopting planned strategy Japan has made revolutionary headway in Agriculture and Industry.

We are investing much money in Public Sector but the results have not been satisfactory. In this five year Plan we are going to invest Rs. 14,344 crores and Rs. 10,000

crores in Public Sector and Private Sector respectively. In Japan when the Government felt that Private Sector cannot undertake large scale industry they started such industries themselves by mobilising resources and then sold it to Private people. It proved a success. I think if our Government follow the example of Japan we may also achieve some success in this direction.

Besides this I also want to say that there is no attempt to eliminate disparity or imbalance in the planning. You know and understand the motive behind the agitation of Telengana. The reason is that the people feel that the Government have done nothing for their up liftment in any field. If the Government neglect this aspect of planning then our national unity will be Jeopandized. So I urge the Government to institute a Commission. The work of the Commission will be to specify the backward areas by collecting relevant data. Before giving final shape to planning it should be ascertained that the backward areas like Chattisgarh of Madhya Pradesh, Telengana of Andhra Pradesh etc. should be given proper attention. The imbalance in income of the people create frustration. Some people are leading a luxurious life whereas a majority of persons do not get one squ a day meal. The condition of famine-stricken areas of Rajasthan is very miserable. Drinking water is not available to the people. The water which is available there is not fit for drinking as it is selive. People have to wait for long hours to get water from the Government vehicles. Even after 20 years the Government have not been able to make provision for Drinking water. At the time of famine and drought the condition of the people become very miserable. So I demand that this thing should be taken into consideration before finalizing the plan.

As far as the disparity in the income of the people is concerned, I would like to say that the Government should do something in this respect. On the one hand a person spends Rs. 10 thousand a month on his family whereas another person is not able to spend even one hundred rupees. This disparity should go. Before giving incentive to industry, the people should be ensured that they would be given justice and their fundamental necessities would be met. If you cannot provide this guarantee in the plan then the objective of the same would never be achieved.

Our planning should be on long term basis. There is nothing if we follow the planning of other countries but instead of following them blindly we should take good points from them which may prove useful for us. I can quote an example. The former school of thought regarding education was that if you would give facilities like instruments, laboratories to the students then they would able to pick up knowledge quickly but now the Scientists and Scholars says that such system would not be helpful for the development of imaginative power of the students. So the time has come that we should think over it. The National Council of Applied Economic Research has in a report stated that cow—dung is not used for agricutural purposes but is used for fuel. It will be good if we give soft coke sufficiently to the people so that they may use dung for Agricultural purposes.

There is need to utilize our resources properly. It is not the question that how much we spend of our income on any scheme. Other countries spend a little more on education then we do. But they have raised their standard of education. It is because that they have utilized their resources properly.

As far as the production of agriculture is concerned we say that it should be given priority but the fact is that instead of giving incentive to agriculture. We are obstructing its development. India is only the unfortunate country when fertilizers are sold at high rates. Different kinds of taxes have been imposed on farmers. After all what priority you have given to agriculture. At last I will request that a report regarding the progress achieved in the planning should be placed on the Table of the House so that we may able to know and discuss about it.

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : I want to answer the criricism put fourth by the Swatantra Party. The Spokesman of Swatantra Party says that they will abolish the

Planning Commission as it has not done any useful work for the upliftment of masses. The income of the people has not increased and there is much property among the people. Surely, we agree with the Swatantra Party that the country should progress but the idea of abolishing Planning does not appeal us. We think that Planning is useful for the country. The people as well as parties like Jan Sangh have accepted the importance of Planning.

The Masani has said that Government extort money from the people by befooling them. It means that what they spend on planning come from the people by way of extortion. I have made a thorough study of Plannings and I can say that their aim of Fourth Plan is to increase the per capita income and bring prosperity to the people.

It is said that attention should be given to the backward areas and the fruits of planning should also reach to rural areas. The plan contains all these things.

Some remark that plans have not given prosperity. It is very easy to say such things. The fact cannot be ignored that the number of cars have multiplied fifty times in comparison to the figuras of 1951. Where did the money come from ?

There is no doubt that plans have benefited the people of urban areas much more than the rural areas. The tributes go to Pandit Jawahar Lal Nehru and Congress Party who initiated plans and maintained that the country can only progress through plannings. I do not deny that plans have no lapses but these can be removed. Instead of taking part only in debates one should give constructive suggestions. Those people who regard plans as framed and tell others similar things about the plans are only misguiding the people. I think it is good to take to planning for the benefit of the country. Those who criticize plannings are all hungry for political power. They want the ruins of the country in their hands. This they think can be done only by keeping the masses in dark. Today even an illiterate knows that India manufacturers watches, aeroplanes, railway coaches, machines etc. These all show that our economy has improved a lot. I want that money should not be concentrated in the hands of a few people.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

[**Mr. Speaker** *in the Chair*]

It should be checked.

The Government should change the procedure of alloting money to Private Sector. I can quote the figures of Industrial Finance Corporation. It shows that the Government help the Private Sector.

The Prime Minister has said that imbalance exists in different States. In the Public Sector of Bengal and Orissa Rs. 408 crores and Rs. 418 crores were invested respectively whereas only Rs. 147 crores were given to Uttar Pradesh. Such imbalances should be removed. The people have grievances against the Government on this regard and it should be looked into. The Private Sector was given Rs. 5,100 crores in Third Five Year Plan whereas the Public Sector was given Rs. 6,300 crores. In Fourth Plan also Public Sector was given more money in comparison to Private Sector. This shows that Planning Commission is not doing justice towards Public Sector. This Sector should be provided with more money and the drawback be removed.

I also urge the Prime Minister to look into the recommendations of Monopolies Commission so that such lapses do not occur.

The draft of Plan depicts that Industrial development has taken place in all the States and Union Territory of Delhi but other Union Territories have been neglected. So I request that special attention may be given to backward areas and other Union Territories.

Himachal Pradesh provide great scope for tourism. Hill stations like Kulu, Manali, Dharamsala and Simla are all in Himachal Pradesh. But only Rs. 25 lakhs have been

provided for the development of Tourism whereas Jammu and Kashmir was given Rs. 320 lakhs. In the field of irrigation Delhi has been given Rs. 600 lakhs whereas Himachal Pradesh, got only Rs. 40 lakhs. The Government should look into this.

The Government are going to spend Rs. 1,050 crores on Railways but not a single pie is being spent on Himachal Pradesh. Atleast a railway line from Nangal to Uoona may be constructed.

The huge amount which is being spent on Family Planning should be diverted to other purposes. The Family Planning will not help in reducing the population. For this other means should be adopted like providing cinema for the entertainment of the poor.

At the last I will say that a machinery should be set up to assess the progress and lapses in the achievement of planning.

श्री मुरासोली मंरन (मद्रास दक्षिण) : मैं भारत में आर्थिक योजना और इससे संबंधित कुछ आधरभूत बातों को कहना चाहूँगा माननीय प्रधान मन्त्री ने कहा है कि आयोजना एक निरंतर प्रक्रिया है पर यह तो एक आर्थिक सम्बन्धी कहावत है, इस मसौदे को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मसौदा कहना एक मजाक है क्योंकि तीन वर्षों में सरकार का आयोजन में कोई विश्वास नहीं रहा। राज्य सरकारों ने चौथी योजना के पूर्ववर्ती तीन योजनाओं की भांति स्वीकार नहीं किया है। कांग्रेस के कुछ मुख्य मंत्रियों ने भी इस योजना पर असन्तोष प्रकट किया है। निरन्तर अथवा इसकी स्वीकृति इस बात का समर्थन करती हैं से भी इसे चौथी योजना नहीं माना जा सकता है। वास्तव में राष्ट्रीय विकास परिषद को पुनः इस योजना का प्रारूप प्रस्तुत करना चाहिये।

जब योजना आयोग का पुनर्गठन किया गया तो हमारी प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। इसका कारण योजना आयोग का नेतृत्व डा० गाडगिल के हाथों में जाना था। परन्तु वह प्रसन्नता क्षणिक थी। डा० गाडगिल पहले केन्द्रीकृत आयोजन प्रक्रिया के विरुद्ध थे, वे नहीं चाहते थे कि आर्थिक सम्पत्ति कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में आ जाये। परन्तु योजना आयोग में आने से उनके विचारों में परिवर्तन आ गया। यह सब नौकरशाही व्यवस्था के प्रभाव से हुआ।

मैं योजना आयोग के सम्बन्ध में डा० गाडगिल के विचार रखना चाहता हूँ। उनका कहना था कि योजना आयोग के सदस्य 55 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति ही होने चाहिये क्योंकि यह श्रमसाध्य काम है और इसमें सफलता स्वतन्त्र और सबल मस्तिष्क वाले व्यक्तियों से ही प्राप्त की जा सकती है। और आज डा० गाडगिल 69 वर्ष की आयु में इसके उपाध्यक्ष बने हुए हैं।

यद्यपि तीन वर्ष तक वस्तुतः योजना से अवकाश रहा परन्तु फिर भी हमने पहले की भूलों से कोई सबक नहीं लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि हमने जो चौथी योजना का मसौदा बनाया है वह भूलों से भरा हुआ है।

योजना के प्रति मुख्य दोषारोपण यह हैं कि इस में रोजगार और जीवन-स्तर के प्रति उपेक्षा-पूर्ण दृष्टिकोण अपनाया हुआ है। साधारण आदमी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसे देश में, जहां बेरोजगारी और अर्धबेरोजगारी काफी है, वहां योजना का उद्देश्य रोजगार उपलब्ध कराना होना चाहिये। तीसरी योजना में नियोजन राष्ट्रीय आय का 14 प्रतिशत था जबकि जन-संख्या में वृद्धि केवल 2½ प्रतिशत थी। फिर भी अर्थ व्यवस्था में श्रम-शक्ति को नहीं खपाया जा सका। क्या हम योजना में इन दोषों का दूर कर रहे हैं ? यह शर्म की बात है कि योजना का मार्ग अपनाने पर भी बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हैं।

सामाजिक अन्याय बढ़ा है, तीन योजनाओं ने देश में एक निहित स्वार्थों वाली श्रेणी खड़ी कर दी है। समाजवादी देशों में सरकार जनता को भोजन उपभोग की सामग्री, रोजगार आदि प्रदान करने का दायित्व लेती है। वह माल के उत्पादन, कीमतें आदि पर नियंत्रण रखती है, हमारी योजना उनका अनुकरण तो करती है परन्तु फिर भी साधारण वर्ग के हितों को संरक्षण प्रदान नहीं कर सकती है। गैर-सरकारी उपक्रमों में काफी धन लगाया जा रहा है, ऐसा अनुमान है गैर-सरकारी क्षेत्रों में 10,000 करोड़ लगाया जायेगा परन्तु तीसरी योजना में यह 4,100 करोड़ और दूसरी योजना 3,100 करोड़ रुपये था यह आंकड़े बताते हैं कि किस प्रकार कांग्रेस समाजवाद से दूर होती जा रही है। दूसरी ओर सरकारी क्षेत्रों में कम धन लगाया जा रहा है।

यह योजना केन्द्र राज्य सम्बन्धों पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाती है। दक्षिण भारत के सब राज्यों के साथ अन्याय किया है। जबकि उत्तर प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात को क्रमशः 170 करोड़ रुपये, 120 करोड़ रुपये, 122 करोड़ रु०, 47 करोड़ रुपये दिये गये हैं वहां तामिलनाडू, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर को क्रमशः 16 करोड़, 20 करोड़ और 16 करोड़ रुपये दिये गये हैं। हम समझते हैं कि अतिरिक्त धन का आवंटन करते साथ दक्षिण राज्यों के साथ न्याय नहीं किया गया है।

धन का आवंटन और केन्द्रीय सहायता का स्वरूप यथार्थवादी नहीं हैं और इसका झुकाव कुछ राज्यों की ओर ही है, अगर राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत आय से कम है तो उसे दस प्रतिशत मिलेगा अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। मैं नहीं समझता कि यह वैज्ञानिक फार्मूला है। आप दस प्रतिशत उन बड़ी सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को देते हैं जो निर्माणाधीन हैं। जिन योजनाओं ने निर्धारित समय में अपना कार्य समाप्त कर लिया है उन्हें कुछ भी नहीं मिलता इसी प्रकार दस प्रतिशत उन राज्यों को मिलता है जिनकी कुछ विशेष समस्यायें हैं? मेरे विचार में यह सब ढकोसला है तभी कुछ राज्यों को अधिक सहायता मिलती है, इसलिए भारत जैसे संघीय देश में प्रत्येक इकाइयों के मन में यह भावना आनी चाहिये कि उनके साथ वितरण के मामले से न्याय किया जा रहा है।

राज्यों की आवश्यकताओं को जानने के लिये वित्त आयोग और योजना आयोग अपना कार्य कर रही हैं। कुछ राज्य इस स्थिति में हो सकते हैं कि उन्हें वित्त आयोग के पंचाट के तौर पर अधिकतर आय की प्राप्ति हो। हमारी प्रार्थना है कि केन्द्रीय सहायता का आवंटन करते समय इसको भी ध्यान में रखा जाये।

हमारे आयोजन उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं। परन्तु वास्तव ने ऐसा नहीं हो रहा है। तामिलनाडू में चौथी योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में किसी भी नई परियोजना को आरंभ करने का विचार नहीं है। दूसरी ओर बेकारों में ही लगभग 700 करोड़ रुपये लगाने का विचार है। एक ओर तो कहा जाता है कि दक्षिण में नई परियोजना चलाने के लिये धन नहीं है तो दूसरी ओर एक राज्य में नए कारखाने खोले जा रहे है। क्या राष्ट्रीय असमानता दूर करने का यही तरीका है?

मैं चाहता हूं कि वित्तिय संस्थाएं दक्षिण में स्थापित हों। आज वे एक ही प्रदेश में केन्द्रित

हैं, जीवन-बीमा निगम का मुख्य कार्यालय बम्बई में है यही बात औद्योगिक विकास बैंक आफ इंडिया आदि के साथ है, मेरे विचार में विश्व बैंक ने भी इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश किया है।

भारत के इतिहास में यह पहला अवसर है जबकि इस योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद का बहुमत नहीं मिला है, पंडित नेहरु के समय में राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग द्वारा तैयार योजनाओं को अनिवार्य रूप से स्वीकृति दे देती थी, वह इसे नाममात्र को ही देखती थी। वही प्रथा अब भी चली आ रही है। यह परिषद अपना कार्य भली भांति नहीं करती है। अब पहले वाली परिस्थितियां नही रही है। अगर आर्थिक योजना को कार्यक्षम बनाना है तो बहुमत पाने का एक नया आधार निकालना पड़ेगा।

इसके लिए दो विकल्प हैं, पहला सभी राज्य केन्द्रीय योजना आयोग के विरोध में अर्थ-शास्त्रियां और विशेषज्ञों की संख्या बनायें, परन्तु अगर सभी राज्य ऐसा करने लगे तो उनका व्यय बहुत बढ़ जायेगा जो ठीक नहीं हैं।

अतएव हमारे सामने अब दूसरा ही विकल्प रह जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद को एक ऐसी कार्यक्षम संस्था बना दी जाये जो कि सारे वर्ष कार्य करे, और इसके लिए इसका पृथक सचिवालय भी होना चाहिये। समय में परिवर्तन आ गया है अतएव आवंटन के स्वरूप में भी परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है।

श्री विक्रम चंद महाजन (चम्बा) : योजना का आधारभूत उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी की चुनौती का सामना करना है, चौथी योजना का मसौदा तैयार करते समय इसी बात को ध्यान में रखा गया है। इसकी भी पूर्ववर्ती योजनाओं के समान आलोचना की गई है।

योजना का आकार उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर केन्द्रीय सरकार के पास जितने साधन उपलब्ध हैं उतना ही बड़ा आकार योजना का होगा। राज्यों की यह शिकायत रहती है कि उनको उचित भाग नहीं दिया गया परन्तु वे योजना में कम से कम अंश-दान करना चाहते हैं। केन्द्रीय संसाधन को दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला, विदेशी सहायता जो कि अब बहुत कम ली जा रही है तथा दूसरा देश के ही संसाधन जो कि सीमित मात्रा में हैं। आज देश में करारोपण अपनी अन्तिम सीमा में पहुंच गया है और अब इसके आगे और गुंजाइश नहीं है। अगर कर और लगाये जायेंगे तो इससे गरीब वर्ग को बहुत ही हानि उठानी पड़ेगी अतएव केन्द्रीय सरकार के लिए अधिक साधन उगाहना कठिन है।

घाटे की वित्त-व्यवस्था को भी बड़े पैमाने पर नहीं अपनाया जा सकता है। ऐसा करने से मुद्रास्फीति को प्रोत्साहन मिलता है जिससे छोटे वर्ग के लोग तथा बंधी-बंधायी आय वाले प्रभावित होते हैं।

राज्यों ने भी अपने साधनों को नहीं जुटाया है। उदाहरण के लिए कृषि पर आय कर लगाया गया है परन्तु राज्य इसे कार्यान्वित नहीं करना चाहते क्योंकि ऐसा करने से उन्हें कम वोट मिलेंगे। चतुर्थ योजना में कृषि उन्नति के लिये सिंचाई, उर्वरक और अच्छे बीजों की व्यवस्था की गई है, परन्तु जहां तक आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद जोत का सम्बन्ध है यह कार्य राज्यों का दायित्व है। हम देखते हैं कि आर्थिक जोत का उपविभाजन होता जा रहा है अतएव राज्य सरकारों को एक

विधान पारित करके इस प्रवृत्ति को रोकना चाहिए परन्तु ऐसा करने से उनको कम वोट मिलेंगे, तीसरा शिक्षा के क्षेत्र में काफी बल दिया जा रहा है चौथी योजना में इसके लिए 802 करोड़ रु० रखे गए हैं । परन्तु राज्य शिक्षा के मामले में आगे नहीं आ रहे हैं, वे वही पुरानी पद्धति पर ही चल रहे हैं।

आज देश को अच्छे कारीगरों, अच्छे किसानों एवं श्रेष्ठ उद्योगपतियों की आवश्यकता है । राज्यों में 11 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा प्रचलित है जिसमें विज्ञान, कला अथवा कृषि किसी भी विषय पर बल नहीं दिया जाता । राज्यों में ऐसी धारणा है कि योजनाएं सफल नहीं रही । परन्तु योजना को क्रियान्वित करने में बहुत त्रुटियां रही हैं जो कि राज्यों का विषय है ।

योजना आयोग ने परिवार नियोजन कार्यक्रम पर अधिक बल दिया है । चौथी योजना अवधि में उनके लिये 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था है । स्वेच्छा वाले पर्याप्त प्रयत्न नहीं रहे हैं, अतएव परिवार नियोजन को प्रभावी बनाने के लिये अनिवार्यतः लाने की आवश्यकता है । स्मरण रहे कि जनसंख्या की वृद्धि अत्यधिक हो रही है जबकि उत्पादन अधिक नहीं बढ़ता है ।

विरोधी सदस्यों द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना की आलोचना में रचनात्मक सुझाव नहीं दिये गये हैं जिनसे साधनों की वृद्धि हो ।

एक सदस्य ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण एवं नगरीय सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करने की बात कही थी । क्या राष्ट्रीयकरण द्वारा लाभ बढ़ सकेगा, जिससे योजना के साधन बढ़ सकें ? उससे हमें हिस्सेदारों को क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी । ऐसी दशा में हम चौथी योजना के लिए धन कहाँ से जुटाएंगे ?

बैंकों के राष्ट्रीयकरण से तुरन्त लाभ न होकर 10-15 वर्ष पश्चात ही लाभ हो सकेगा ।

स्वतंत्र पार्टी के एक सदस्य ने चौथी योजना का ऐसा चित्र खींचा है जिससे देश का विनाश होगा । परन्तु मैं समझता हूँ कि वास्तव में चौथी योजना आर्थिक प्रगति एवं आर्थिक विकास की दिशा में सही कदम है ।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमांडे) : चौथी योजना के प्रारम्भ से कोई भी संतुष्ट नहीं है । प्रधान मंत्री के आज के भाषण में भी निराशा की झलक स्पष्ट दिखाई देती है ।

कभी ऐसा समय था जब योजना के प्रारूप के प्रकाशन की घोषणा की जाती थी तोस भी लोगों में उसकी उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा की जाती थी । आज स्थिति बिल्कुल प्रतिकूल है । प्रधान मंत्री ने कहा है कि योजना हमारे जीवन का अंग बन गई है अतएव जनता को उसमें कुछ भी नया प्रतीत नहीं होता । उत्तम होगा यदि सरकार योजना के प्रति जनता की अरूचि के कारणों का अध्ययन करे ।

इस बारे में हमारा आधार भूत मतभेद है । पिछली योजनाओं के समय भी हमने चेतावनी दी थी । शताब्दियों के विदेशी शासन से उत्पन्न समस्याएं जनता एवं सरकार के क्रान्तिकारी प्रयत्नों द्वारा ही सुलझाई जा सकती हैं । सदन में हुए भाषणों में योजना प्रयत्नों में जनता द्वारा भाग लेने का उल्लेख कहीं भी नहीं हुआ ।

ऐसी योजना, जिसमें किसानों श्रमिकों एवं जन-साधारण का सक्रिय सहयोग हो, असफल ही हुआ करती है। जनता ने देख लिया है कि पिछली योजनाओं से जो थोड़े लाभ हुए हैं, उनका उपयोग एक छोटे से वर्ग ने ही किया है और यह सरकार तथा योजना आयोग उस वर्ग का पोषक रहा है। जब तक शासकों एवं जनता के प्रयत्नों से अर्जित लाभों को हड़पने वाले व्यक्तियों के मध्य गठबंधन है तब तक जन-साधारण को योजना के कार्यों से प्रेरित नहीं किया जा सकता। हमारे सुझावों के बारे में कहा जाता है कि इनमें कोई नई बात नहीं है। परन्तु जब तक इन सुझावों को क्रियान्वित नहीं किया जाता, तब तक हम इन्हें दोहराते रहेंगे। हमारे देश में कुछ लोग इतने आयोजन को भी सहन करने को तैयार नहीं। वे लोग योजना एवं योजना आयोग, दोनों को ही समाप्त करना चाहते हैं। चौथी योजना का प्रारूप देखने से यह बात स्पष्ट होती है कि सरकार योजना विरोधी तत्वों की ओर झुकी हुई है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

चौथी योजना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लक्ष्य 5.5% रखा गया है जो न्यूनाधिक तीसरी योजना के बराबर है। कृषि क्षेत्र में लक्ष्य तीसरी योजना से भी कम रखा गया है। संगठित उद्योगों के बारे में भी विकास का लक्ष्य, जो तीसरी योजना के लिए 11% था, इस योजना में 8% रखा गया है।

तीसरी योजना 10400 करोड़ रुपए की थी जिसमें से निजी क्षेत्र का भाग 4100 करोड़ रुपया था। चौथी योजना 22000 करोड़ रुपए की है जिसमें निजी क्षेत्र का भाग 10000 करोड़ रुपये रखा गया है। तीसरी योजना की अपेक्षा चौथी योजना में सरकारी क्षेत्र का भाग दुगना है जबकि निजी क्षेत्र का भाग 4100 करोड़ से बढ़ कर 10000 करोड़ रुपए हो गया है।

परन्तु ऐसी आशा रखना कि निजी क्षेत्र से 10000 रुपए का पूंजी विनियोजन प्राप्त हो सकेगा, व्यर्थ है। व्यवसायी लोग जो भी धन लगायेंगे उसका उद्देश्य मुख्यतः निजी लाभ कमाना ही रहेगा। क्या यह योजना निजी क्षेत्र के प्रति समर्पण की भावना की प्रतीक नहीं है ?

अब सरकार और दक्षिण पंथियों के मध्य अन्तर कम होते जा रहे हैं। नये बीजों पर अधिक बल दिया जाता है। यदि कृषि वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाय तो खेती में क्रान्ति आ सकती है। हमें प्रसन्नता है कि ग्रामों में परिवर्तन आ रहा है। योजना आयोग के अध्ययन दलों ने प्रतिवेदन तैयार किया है कि हमारे गांवों में अधिकतम भूमि कुछ ही व्यक्तियों के पास है जबकि लाखों व्यक्ति सर्वथा भूमि-हीन हैं। हमारी लाखों एकड़ भूमि परती है हमें उसे कृषिकों में बांट देना चाहिए।

हमारे देश में 1948 से पूर्व 258 करोड़ रुपया की विदेशी पूंजी लगी हुई जबकि आज 1038 करोड़ रुपया की पूंजी लगी हुई हैं। क्या हमें ऐसी नीति नहीं अपनानी चाहिए जिससे उद्योगीकरण से राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो सके।

अवमूल्यन के निर्णय से हमारे 6000 करोड़ रुपया के ऋणों में 1500 करोड़ रुपये की

वृद्धि हो गई हैं। हमारी 375 करोड़ रुपया की वार्षिक देनदारी है। ऐसी दशा में विदेशी सहायता हम कैसे बन्द कर सकते हैं।

हम समय-समय पर आत्म निर्भरता की बातें करते रहे हैं परन्तु अपनी जानकारी को विकसित कर वैज्ञानिक तथा तकनीकी उन्नति प्राप्त करना सम्भव नहीं हो सका। इतने वर्षों से हम सामाजिक न्याय एवं समता की बात करते आ रहे हैं। वित्त मन्त्री समाजवादी व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं बताते। योजना आयोग ने आय के नियंत्रण के बारे विस्तृत अध्ययन किया है।

एकाधिकार के बारे में आने वाली विधि, सरकार की आबंटन एवं लाइसेंस देने की नीति सावजनिक वित्तीय संस्थाएं एवं बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण को समाजवादी व्यवस्था में महत्व-पूर्ण योग देना हैं।

योजना आयोग को आशा है कि भारत में समता एवं सामाजिक न्याय स्थापित हो जाएगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि 1/3 जनसंख्या की आय ग्रामों में 15 रुपया मासिक से कम हैं तथा नगरों में 24 रुपए मासिक से कम है $82\frac{1}{2}\%$ जनता एक रुपया प्रतिदिन से कम व्यय करती है। एक करोड़ से अधिक व्यक्ति बेरोजगार हैं। उद्योगों पर 75 उद्योग पतियों का पूर्ण अधिकार हैं फिर भी सरकार को आशा है कि उनकी योजना सफल होगी। योजनाओं के बारे में राष्ट्रीय नेताओं में एकमत नहीं।

अब तक सरकार के आचरण से तथा इस प्रारूप से स्पष्ट है कि सरकार पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था की नीति पर चल रही है पश्चिम बंगाल तथा केरल ने वैकल्पिक नीति प्रस्तुत की है। यदि सरकार वास्तव में समाजवाद चाहती है तो उसे अपनी नीति बदलनी चाहिए और ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे जनता का भला हो।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : (विशाखापततम्) 1951 में, योजना के आरम्भ में खाद्य समस्या पर सम्यक ध्यान नहीं दिया गया और न हीं खाद्य में आत्म-निर्भरता के महत्व को समझा गया। मैंने 1951 में मद्रास विधान सभा में सुझाव दिया था कि हमें 5 वर्ष के लिए अपने प्रयत्न खाद्य उत्पादन कार्यक्रमों पर ही केन्द्रित करने चाहिए।

आज भी हमारी खाद्य स्थिति में सुधार नहीं आया है। जब हम जेलों में थे तो हमें 18-20 औंस चावल मिलता था और आज पूरे अनाज की उपलब्धि 14 औंस प्रति व्यक्ति बैठती है। इसमें न तो कोई सुधार हुआ है और न ही हमने इस शोचनीय स्थिति से कोई शिक्षा ग्रहण हैं। श्रमिकों, और सरकारी कर्मचारियों के अधिक वेतन के लिए संघर्ष की शिकायत क्यों की जाती है। दो करोड़ टन अनाज एकत्रित करके कहा जाता है कि फसल बहुत अच्छी हुई है।

कुछ ही व्यक्तियों के पास धन इकट्ठा होने से सभी समस्याएं उप्पन्न हुई है। प्रथम योजना द्वारा, अंग्रेजों द्वारा तैयार युद्धोत्तर पुनर्निर्माण प्रस्तावों को ही अपनाया गया है। युद्धोत्तर प्रस्तावों को ऐसे व्यक्तियों ने तैयार किया था जिन्होंने 1937 में प्रदेशों की कांग्रेस सरकारों के अधीन कार्य करने से इन्कार कर दिया था। ऐसे लोगों के कहने पर नियंत्रण रखे गये। ईमानदार सरकार के अधीन तो नियन्त्रणों का लाभ होता है, किन्तु सरकार इमानदार न हो तो उनका दुरुपयोग भी होता है। इमानदारी का अभाव ही समस्याओं का मुख्य कारण है।

व्यापार में प्रसिद्ध व्यक्तियों ने यह कहना शुरू किया है कि कोट लाइसेंस ऐसे ही नहीं दिये जाने चाहिए। अपितु यह सुस्थापित कोटा जातियों को ही दिये जाने चाहिए।

इस प्रारूप में कहीं कहीं स्पष्ट उल्लेख भी मिलते हैं जिनमें इस योजना के सम्भावित फल दर्शाए गये हैं :

"1965-66 में प्रति व्यक्ति आय वही है जो 1960-61 में थी"

"1973-74 में कुल आय तथा प्रति व्यक्ति आय तीसरी योजना के लिए अनुमानित आय से भी कम होगी।

चौथी योजना में कुछ भी सुधार की अपेक्षा नहीं।

रोजगार की स्थिति में और सामाजिक सेवाओं में भी महत्वपूर्ण सुधार की आशा हीन है।

ये सब बातें विरोधी सदस्य ही नहीं कह रहे अपितु योजना के प्रारूप में भी इनका उल्लेख मिलता है।

योजना आयोग अनुभव करता है कि जनता का सहयोग अनिवार्य है तथा स्थानीय आयोजन अत्यन्त आवश्यक है। तीन वर्ष प्रतीक्षा करने के पश्चात भी हम आगे नहीं बढ़ सके।

यह बड़े खेद की बात है। वास्तविक कठिनाई यह है कि जिन लोगों ने, योजनाओं को चलाना है उन्हें स्वयं ही योजनाओं में विश्वास नहीं है।

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 9 मई, 1969/19 वैशाख, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, May 9, 1969/ Vaisakha 19, 1891 (Saka).

———

आकाशदीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज, दिल्ली-6।